



The Uttar Pradesh Stamp Act, 2010

Act 17 of 2010

Keyword(s):

Association, Banker, Bond, Chargeable, Clearance List, Collector, Conveyance

Amendment appended: 1 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अप्रैल, 2010

चैत्र 17, 1932 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 526/79-वि-1-10-1(क) 26-2008

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे तथा भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएँ

2—इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो,—

(एक) "संगम" का तात्पर्य ऐसे संगम, केन्द्र, व्यक्तियों के संगठन या समूह, चाहे निगमित हो या न हो, से है, जो किसी माल या विषय्य प्रतिभूतियों से सम्बन्धित विक्रय या कारोबार का नियन्त्रण या संचालन करने या कोई अन्य संव्यवहार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया हो;

(दो) "बैंककार" का तात्पर्य ऐसे किसी संघ, कम्पनी या व्यक्ति से है, जो जनता से जमा के रूप में ऐसा धन स्वीकार करता हो जो मांग पर या अन्यथा प्रति संदेय हो और चेक/ड्राफ्ट, भुगतान आदेश द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरणीय हो;

(तीन) "बाण्ड" के अन्तर्गत—

(क) कोई लिखत जिससे कोई व्यक्ति दूसरे को धन अदा करने के लिये इस शर्त पर स्वयं को आबद्ध करे कि किसी निश्चित कार्य के पूरा किये जाने या न किये जाने, जैसी भी स्थिति हो, पर बंधन निष्प्रभावी हो जायेगा ;

(ख) एक साक्षी द्वारा साक्ष्यांकित कोई लिखत जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों को धन अदा करने के लिये आबद्ध करे, जो उसके आदेश पर या वाहक को देय न हो ;

(ग) उक्त प्रकार से साक्ष्यांकित कोई लिखत जिसे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को अन्न या अन्य कृषि उपज देने के लिये आबद्ध करे;

स्पष्टीकरण:— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी लिखत के सम्बन्ध में "साक्ष्यांकित" का तात्पर्य एक या उससे अधिक ऐसे साक्षियों द्वारा साक्ष्यांकित किये जाने से है जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादी को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो या अपनी उपस्थिति में या निष्पादी के निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा हो या निष्पादी से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त किया हो और उनमें से प्रत्येक ने निष्पादी की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किया हो, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक साक्षी एक ही समय उपस्थित रहे हों और साक्ष्यांकन का कोई विशिष्ट तरीका आवश्यक नहीं होगा।

(चार) "प्रभार्य"— इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद निष्पादित या सर्वप्रथम निष्पादित लिखत के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में "प्रभार्य" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन "प्रभार्य" है और अन्य किसी लिखत के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में उस विधि के अधीन "प्रभार्य" है, जो लिखत के निष्पादन के समय, या जब लिखत अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर निष्पादित किया गया हो, तो प्रथम निष्पादन के समय भारत में लागू हों:

(पांच) "मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी" का तात्पर्य राजस्व परिषद के किसी सदस्य, मण्डल आयुक्त, अपर मण्डल आयुक्त या स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी जो उप आयुक्त स्टाम्प की पंक्ति से नीचे का न हो, और किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये इस निमित्त नियुक्त करे :

(छ) "समाशोधन सूची"— का तात्पर्य सविदाओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की ऐसी सूची से है जो किसी संगम के समाशोधन गृह में संगम के नियमों या उप विधियों के अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित हो.

परन्तु कोई लिखत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये तब तक समाशोधन सूची नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसमें ऐसे संव्यवहार का निपटारा करने वाले व्यक्तियों द्वारा या उसकी ओर से समुचित रूप से नियत अटार्नी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा न हो, अर्थात्:-

" मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूची में मेरे/हमारे संव्यवहार का पूर्ण एवं सत्य विवरण समाविष्ट है जिसके अन्तर्गत संगम के नियमों/उप विधियों के अनुरार निरस्त संव्यवहार या समाशोधन गृह में प्रस्तुत किये जाने वाले संव्यवहार भी है। मैं/हम अग्रतर घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कोई संव्यवहार, जिसके लिये इस अधिनियम की अनुसूची के, यथास्थिति, अनुच्छेद 5(ख) (करार या उसके अभिलेख या करार का ज्ञापन) अनुच्छेद 44 (टिप्पणी या ज्ञापन) के अधीन छूट के लिए दावा किया गया है, छोड़ा नहीं गया है।"

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिये संव्यवहार के अन्तर्गत विक्रय और कय, दोनों होंगे।

(सात) " कलेक्टर " का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे और जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य कलेक्टर को कोई या सभी शक्तियाँ, ऐसी अधिसूचना द्वारा या किसी अन्य अधिसूचना द्वारा प्रदत्त की गयी हों।

(आठ) " हस्तान्तरण-पत्र " के अन्तर्गत:-

(क) विक्रय का हस्तान्तरण पत्र, या

(ख) प्रत्येक लिखत, या

(ग) किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अन्तिम आदेश, या

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 394 के अधीन कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, या

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1949) की धारा 44-क के अधीन बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश है।

(च) सहकारी समितियों द्वारा ऐसी समिति के किसी विद्यमान सदस्य की अचल सम्पत्तियों में किसी अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में नया शेयर सर्टीफिकेट जारी करके या विद्यमान सदस्य के शेयर सर्टीफिकेट पर अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में पृष्ठांकन करके शेयर का अन्तरण,

जिसके द्वारा सम्पत्ति, चाहे वह जंगम या स्थावर, किसी अन्य व्यक्ति को या जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरित या निहित की जाती है और जो अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं है।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निम्नलिखित लिखतों को इस खण्ड के प्रयोजन के लिये ऐसा लिखत समझा जायेगा जिसके द्वारा सम्पत्ति जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरित की जाती है:-

(एक) कोई लिखत जिसके द्वारा सम्पत्ति के परिनिश्चित अंश का सह-स्वामी ऐसे अंश या उसके भाग को सम्पत्ति के दूसरे सह-स्वामी को अन्तरित करता है; या

(दो) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई भागीदार, भागीदारी कारबार की सम्पत्ति में अपने अंश को दूसरे भागीदार या अन्य भागीदारों को, चाहे पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, सेवानिवृत्ति या विघटन पर अन्य कारबार या आस्तियों के अन्तरण के साथ अन्तरित करता है या जिसके द्वारा वह किसी सम्पत्ति में अपने अधिकार और हक या हित के अन्तरण द्वारा भागीदारी फर्म की पूंजी में अंशदान करता है।

(तीन) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी निगमित कम्पनी या निगमित निकाय की सम्पत्ति उसके साधारण अंशों के अन्तरण द्वारा दूसरी निगमित कम्पनी या निगमित निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अन्तरित की जाती है।

(नौ) "सम्यक् रूप से स्टाम्पित"—से जबकि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह तात्पर्य है कि समुचित राशि से अन्यून राशि का आसंजक या छापित स्टाम्प, उस लिखत पर लगा हुआ है, और यह कि ऐसा स्टाम्प राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है।

(दस) "निष्पादित" और "निष्पादन" का तात्पर्य जब उसका प्रयोग लिखतों के सम्बन्ध में किया गया हो, "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर" से है।

स्पष्टीकरण—पद "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर" का वही तात्पर्य होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 11 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का विचार में प्राविधानित है।

(ग्यारह) "सरकारी प्रतिभूति" का तात्पर्य लोक ऋण अधिनियम, 1944 (अधिनियम संख्या 18 सन् 1944) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति से है,

(बारह) "अचल सम्पत्ति" में भूमि, भवन, आनुवांशिक भत्ता, मार्ग का अधिकार, प्रकाश, नौघाट, भत्स्य पालन या भूमि से उत्पन्न कोई अन्य लाभ या पृथ्वी से संलग्न वस्तुएं या पृथ्वी से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप में बंधी हुई लेकिन इसके अन्तर्गत काष्ठ, उगती हुई फसल या घास, वृक्षों के फल या उनके रस या किसी न्यास सम्पत्ति में लाभार्थी का लाभकारी हित सम्मिलित नहीं है।

(तेरह) "छापित स्टाम्प" — के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) समुचित अधिकारी द्वारा लगाये गये और छापित लेबल, और

(ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्भूत या उत्कीर्ण स्टाम्प,

(ग) फ्रेंकिंग मशीन, ई-स्टाम्पित या किसी अन्य ऐसी मशीन से छाप जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, या

(घ) गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, सील या पृष्ठांकन।

(चौदह) "लिखत"—के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में यथा परिभाषित किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस, मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित, विस्तारित, निहित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है, लेकिन उसमें विनिमय पत्र, चेक, वचनपत्र, बिल आफ लेडिंग, प्रत्यय पत्र, बीमा पालिसी, शेयर का अन्तरण, डिबेन्चर, प्राक्सी और रसीद सम्मिलित नहीं हैं।

(पन्द्रह) "दान की लिखत"—के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिये कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो।

(सोलह) " विभाजन की लिखत "— का तात्पर्य ऐसी लिखत से है, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वामी किसी सम्पत्ति को अलग-अलग विभाजित करते हैं या ऐसी सम्पत्ति को विभाजित करने का करार करते हैं, और इसके अन्तर्गत—

(क) किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने के लिये पारित किया गया अन्तिम आदेश है;

(ख) किसी मंध्यस्थ द्वारा विभाजन का निदेश करने वाला पंचाट है; और

(ग) जब ऐसी किसी लिखत को निष्पादित किये बिना कोई विभाजन किया गया हो तो सहस्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित और सहस्वामियों के मध्य ऐसे विभाजन की शर्तों को अभिलिखित, चाहे ऐसा विभाजन घोषणा के रूप में हो या अन्यथा, करने वाली कोई लिखत या लिखतें।

(सत्रह) " पट्टा "— का तात्पर्य चल या अचल सम्पत्ति के पट्टे से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है:—

(क) पट्टा :

(ख) किसी स्थावर सम्पत्ति पर खेती करने, उस पर अधिभोग रखने या उसके लिये भाटक का संदाय या परिदान करने के लिये कोई कबूलियत या कोई अन्य लिखित वचनबन्ध जो पट्टे का प्रतिलेख नहीं है.

(ग) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी प्रकार के पथ—कर पट्टे पर उठाये जाते हैं.

(घ) पट्टे के लिये आवेदन पर कोई लेखन, जिससे यह संज्ञापित करना आशयित हो कि आवेदन स्वीकृत किया गया है.

(ङ) कोई लिखत, जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 3 के खण्ड (ड) में यथापरिभाषित गौण खनिजों के सम्बन्ध में खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय।

(च) पट्टा के सम्बन्ध में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अन्तिम आदेश।

(अठारह) " विपण्य प्रतिभूति " का तात्पर्य इस प्रकार की प्रतिभूति से है जो भारत के किसी भी स्टाक बाजार में बेचे जाने के योग्य है।

(उन्नीस) " बाजार मूल्य " सम्पत्ति के बाजार मूल्य का तात्पर्य कलेक्टर द्वारा नियत दरों के आधार पर यथा अवधारित मूल्य या लिखत में दी गयी प्रतिफल, जो भी उच्चतर हों, से है.

" शेरों के बाजार मूल्य " के लिए अनुच्छेद 24 (ड.) के स्पष्टीकरण (2) को देखें।

(बीस) " बन्धक विलेख " के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक लिखत है जिसके द्वारा इस प्रयोजन से कि उधार के तौर पर दी गयी या दी जाने वाली धनराशि को या किसी वर्तमान या भावी ऋण को या किसी वचनबन्ध का पालन किये जाने को प्रतिभूत किया जाये या कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर या तद्विषयक कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके पक्ष में अन्तरित या सृजित करता है.

(इक्कीस) " कागज " के अन्तर्गत काली चमड़ा, कागज या कोई अन्य सामग्री है जिस पर कोई लिखत लिखी जा सकती है.

(बाईस) " मुख्तारनामा " के अन्तर्गत (तत्समय प्रवृत्त न्यायालय—फीस से सम्बन्धित विधि के अधीन किसी फीस से प्रभार्य न होने वाली) ऐसी लिखत है, जो उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति की ओर से उसके नाम से कार्य करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सशक्त करती है.

(तेईस) "लोक आफिसर" का तात्पर्य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक आफिसर से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक आफिसर भी है, अर्थात्—

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन गठित कोई सांविधिक निकाय या प्राधिकरण।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित कोई "वित्त पोषक बैंक" या "केन्द्रीय बैंक"।

(चौबीस) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का किसी लिखित अवसीयती व्ययन से है, जो —

(क) विवाह के प्रतिफल के लिये किया गया है;

(ख) व्यवस्थापक की सम्पत्ति की उसके कुटुम्ब के या उन व्यक्तियों के बीच, जिनके लिये वह व्यवस्था करना चाहता है, वितरित करने के प्रयोजन के लिये या उस पर आश्रित व्यक्ति के लिये व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये किया गया है; या

(ग) धार्मिक या पूर्ण प्रयोजन के लिये किया गया है,

और इसके अन्तर्गत ऐसा व्ययन करने के लिये कोई लिखित करार है और जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे व्ययन के निबन्धनों को चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत है।

(पच्चीस) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है।

(छब्बीस) "सैनिक" के अन्तर्गत गैर कमीशन्ड आफिसर से निम्न रैंक का कोई व्यक्ति है, जो आर्मी एक्ट, 1950 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1950) के अधीन अभ्याविष्ट हो।

(सत्ताईस) "स्टाम्प" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रभारणीय शुल्क के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे अभिकरण या व्यक्ति द्वारा लगाये गये किसी चिन्ह, मुहर या पृष्ठांकन से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है तथा इसमें आसंजक (विपकने वाला) या विमुद्रित स्टाम्प भी सम्मिलित है।

(अट्ठाईस) "सामान्य रोल" एवं "राज्य रोल" शब्द का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) में समनुदेशित के अनुसार होगा।

(उन्तीस) इस अधिनियम में अपरिभाषित किन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) में परिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये 1899 के उक्त अधिनियम में समनुदेशित है।

अध्याय— 2

स्टाम्प शुल्क

(क) लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व

शुल्क से प्रभार्य
लिखतें

3—इस अधिनियम के उपबन्धों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित लिखतें ऐसी धनराशि के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो अनुसूची में कमशः उनके लिये उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गई है, अर्थात्—

(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् राज्य को निष्पादित की गई है।

(ख) (विनिमय-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न) ऐसी प्रत्येक लिखत, जो अनुसूची में वर्णित है, और जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि धारा 23 के अधीन राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है :

परन्तु इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और इस धारा के खण्ड (क) और (ख) या अनुसूची में किसी वस्तु के अन्तर्विष्ट होते हुए भी निम्नलिखित लिखत अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूट के अधीन, उसके लिये यथास्थिति उचित शुल्क के रूप में अनुसूची में निर्देशित धनराशि के शुल्क से प्रभार्य होगी, अर्थात्:-

(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न किया गया हो, उत्तर प्रदेश में निष्पादित किया गया था-

(एक) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात् जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1948 प्रवर्तन में आया हो, और

(दो) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात्, जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952 प्रवर्तित हुआ हो,

(ख) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न किया गया हो, उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित किया गया हो-

(एक) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात् जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1948 प्रवर्तन में आया हो, और

(दो) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात् जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952 प्रवर्तित होता है और उत्तर प्रदेश में किये जाने वाले या किये गये गामलों या वस्तुओं या उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित है और उत्तर प्रदेश में अभिप्राप्त किया जाता है:

परन्तु यह भी कि कोई भी शुल्क निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रभार्य न होगा:-

(1) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर, उस दशाओं में जिनमें, छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत के अन्तर्गत प्रभार्य शुल्क देने के लिये दायी होती ।

(2) कोई लिखत जो पश्चात्पूर्वी अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत रिवहन अधिनियम, 1958 (अधिनियम संख्या 44 सन् 1958) या बाम्बे कोस्टिंग वैसिल्स एक्ट, 1838 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1838) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स एक्ट, 1841 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1841) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हिस्सा, अंश या सम्पत्ति चाहे आत्यन्तिकतः या बन्धक द्वारा या अन्यथा, विक्रय अन्तरण या अन्य व्ययन के लिये हो ।

(3) किसी ऐसे लिखत पर जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विकासकर्ता, या "इकाई" के द्वारा या की ओर से या के पक्ष में निष्पादित किया गया है ।

स्पष्टीकरण

(1) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये पद "विकासकर्ता" "विशेष आर्थिक क्षेत्र" और "इकाई" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (छ) (यक) और (यग) में उनका लिये समनुदेशित है ।

(2) जहां अनुसूची में विहित शुल्क की धनराशि में दस रुपये का कोई भाग हो तो समुचित शुल्क की धनराशि दस रुपये के अगले उच्चतर गुणांक में पूर्णांकित धनराशि होगी जैसा उक्त अनुसूची में एतदपश्चात् आया है ।

किसी एकल
संव्यवहार में प्रयोग
में लाई गई कई
लिखते

4-(1) जहां किसी एकल संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयोग की जाती हैं, वहां केवल मूल लिखत ही उक्त के लिये अनुसूची में विहित शुल्क से प्रभार्य होगी और अन्य लिखतों में से प्रत्येक उसके लिए उस अनुसूची में विहित शुल्क (यदि कोई हो) की बजाय एक सौ रूपये के शुल्क से प्रभार्य होगी;

(2) पक्षकार अपने आप यह अवधारित कर सकेंगे कि इस प्रकार प्रयोग में लाई गई लिखतों में से कौन सी लिखत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए मूल लिखत समझी जायेगी :

परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई लिखत पर प्रभार्य शुल्क ऐसा अधिकतम शुल्क होगा जो प्रयोग में लाई गई उक्त लिखतों में से किसी की बाबत प्रभार्य है।

कई सुभिन्न मामलों
से सम्बन्धित लिखतें

5-कई सुभिन्न मामले समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित कोई लिखत ऐसे शुल्कों के योग की धनराशि से प्रभार्य होगी जिससे ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित पृथक-पृथक लिखतें, इस अधिनियम में, हर एक के अधीन प्रभार्य होतीं।

अनुसूची में विभिन्न
वर्णनों में आने वाली
लिखतें

6-धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां इस प्रकार विरचित कोई लिखत, अनुसूची के दो या अधिक वर्णनों में आती है, वहां यदि उसके अधीन प्रभार्य शुल्क भिन्न-भिन्न हैं, तो ऐसे शुल्कों में से केवल अधिकतम शुल्क से ही वह प्रभार्य होगी :

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात, शुल्क से प्रभार्य किसी भी लिखत के प्रतिलेख या द्वितीय प्रति को जिसकी बाबत उचित शुल्क संदत्त किया जा चुका है, पचास रूपये से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं बनायेगी जब तक वह धारा 6 के उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रतिलिपि, प्रतिलेख
या द्वितीय प्रति पर
उत्तर प्रदेश स्टाम्प
शुल्क का भुगतान,
यदि वह शुल्क
मुख्य या मूल
लिखत पर अदा
नहीं किया गया है

7-(1) धारा 4 या 6 में या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी वस्तु के होते हुए भी जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि -

(क) मुख्य या मूल लिखत पर, जैसी भी स्थिति हो, या

(ख) इस धारा के प्राविधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क अदा नहीं कर दिया गया है, तब तक मुख्य लिखत के अतिरिक्त संव्यवहार को पूर्ण करने के लिये काम में लायी गयी विभिन्न लिखतों में से किसी भी एक लिखत पर या किसी की प्रतिलिपि, प्रतिलेख या द्वितीय प्रति पर प्रभार्य शुल्क, यदि मुख्य या मूल लिखत, उत्तर प्रदेश में प्राप्त किये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन शुल्क के उच्चतर दर से प्रभार्य होती, वह शुल्क होगा जो मुख्य या मूल लिखत पर धारा 24 के अधीन प्रभारित किया जाता।

(2) जहां कोई लिखत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के किसी भाग में पंजीकृत हो और लिखत पूर्ण या आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति से सम्बन्धित हो, वहां ऐसे लिखत की प्रतिलिपि, जब उत्तर प्रदेश में अभिप्राप्त हो, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के मूल्य या प्रतिफल की सीमा तक और के अनुपात में धारा 24 के अधीन मुख्य लिखत की भांति स्टाम्प शुल्क के अन्तर से प्रभारित होने के लिये दायी होगा और मूल प्रतिलिपि पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के लिये दायी पक्षकार, पंजीकरण अधिकारी से सूचना प्राप्त करने पर अनुमन्य समय में शुल्क में अन्तर का भुगतान करेगा।

(3) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या प्रतिलिपि उचित रूप में स्टाम्पित रूप से साक्ष्य में तब तक प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक कि इस धारा के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु कोई न्यायालय, जिसके समक्ष ऐसा कोई लिखत, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाता है, स्वविवेकानुसार इस धारा के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क का भुगतान किये जाने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा और तब साक्ष्य में प्राप्त कर सकेंगा।

8-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी डिबेन्चर से भिन्न बन्ध-पत्रों या प्रतिभूतियों को निर्गमित करके स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1914) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन उधार लेने वाला कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे उधार के सम्बन्ध में अपने द्वारा निर्गमित बन्ध-पत्रों या डिबेन्चर की कुल धनराशि पर दो प्रतिशत शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसे बन्ध-पत्रों या प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और नवीनीकरण, समेकन, उपखण्डीकरण पर या अन्यथा वे किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य नहीं होंगे।

उधार पर निर्गमित बन्ध-पत्र डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों

(2) कतिपय बन्ध-पत्रों या डिबेन्चर से भिन्न प्रतिभूतियों को स्टाम्पित किये जाने से किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य होने से छूट देने वाली उपधारा (1) के उपबन्ध, उसमें वर्णित सभी प्रकार के बकाया उधार विषयक बन्ध-पत्रों या प्रतिभूतियों पर लागू होंगे और ऐसे सभी बन्ध-पत्र या प्रतिभूतियां चाहे वह स्टाम्पित हों, या न हों, विधिमान्य होंगी;

(3) इस धारा द्वारा अपेक्षित शुल्क अदा करने में जानबूझकर उपेक्षा करने की दशा में स्थानीय प्राधिकारी संदेय शुल्क की रकम पर दस प्रतिशत की धनराशि के बराबर राशि राज्य सरकार को सगपहत करने का दायी होगा और ऐसे प्रथम मास के पश्चात् प्रत्येक मास जिसके दौरान उपेक्षा चलती रहे, समान शास्ति का दायी होगा।

9-इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी-

निक्षेपागार में व्यवहृत प्रतिभूतियां स्टाम्प शुल्क की दायी नहीं होंगी

(क) कोई निर्गतकर्ता किसी एक अथवा अनेक निक्षेपकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति जारी करता है तो उसके द्वारा निर्गमित ऐसे निर्गम के सम्बन्ध में प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि पर शुल्क से प्रभार्य होगा तथा ऐसी प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) जब कोई निर्गतकर्ता निक्षेप अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1996) की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति का प्रमाण-पत्र जारी करता है तो ऐसे प्रमाण-पत्र पर, वही शुल्क देय होगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करने पर देय होता है,

(ग) (एक) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से किसी लाभग्राही स्वामी को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व का;

(दो) किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत प्रतिभूतियों के लाभग्राही स्वामित्व का ;

(तीन) किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत यूनिटों के लाभग्राही स्वामित्व का, जब ऐसे यूनिट किसी म्यूचुअल फन्ड के ऐसे यूनिट हों, जिनके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1963) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट भी हैं-

अन्तरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शुल्क के लिये दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "लाभदायी स्वामी", "निक्षेपकर्ता" तथा "निर्गतकर्ता" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपकर्ता अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1996) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ड.) और (च) में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।

स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के प्रयोजन के लिये पद "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में उसके लिए समनुदेशित है।

निगमितीकरण और पुनर्रचनाकरण योजना तथा उससे सम्बन्धित लिखत शुल्क का दायी नहीं होगी

10 इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किररी बात के होते हुये भी,—

(क) निगमितीकरण या पुनर्रचनाकरण योजना या दोनों जिसे स्टाक एक्सचेंज (शेयर बाजार) द्वारा मान्य किया गया है; या

(ख) कोई ऐसा लिखत, जिसमें, योजना के अनुसरण में स्टाक एक्सचेंज द्वारा मान्य निगमितीकरण या पुनर्रचनाकरण या दोनों, के प्रयोजन के लिये या के सम्बन्ध में, किसी सम्पत्ति, कारवार, सम्पदा, चाहे चल हो या अचल; संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता के अन्तरण का या से सम्बन्धित लिखत सम्मिलित है,

जैसा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 4ख की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम परिषद द्वारा अनुगोदित है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क का दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) पर "निगमितीकरण", "पुनर्रचनाकरण" तथा "योजना" का वही अर्थ होगा जैसा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (कक), (कख), तथा (कग), में उनके लिए समनुदेशित है।

(ख) "भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम परिषद" का तात्पर्य प्रतिभूति तथा विनियम परिषद अधिनियम, 1992 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1992) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम परिषद से है।

11—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी परक्राम्य भांडागार प्राप्ति पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।

परक्राम्य भांडागार प्राप्ति पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगी।

शुल्कों को कम करने, उससे छूट देने या उसका प्रशासन करने की शक्ति

12—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो गजट में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा—

(क) राज्य के सम्पूर्ण या किसी भाग में, ऐसे शुल्क को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उससे छूट दे सकेगी जिससे कोई लिखत, जब ऐसे विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा या उनके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किसी सदस्यों द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित की जायें, प्रभार्य हों, और

(ख) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगम निकाय द्वारा निर्धारित डिवेंचर से भिन्न, बन्ध-पत्र या अन्य विपण्य प्रतिभूतियों तथा अंतरण (जब अन्तरिती अकेला हो, चाहे वह निगमित हो या नहीं) की दशा में शुल्कों के प्रशमन या समेकन के लिए उपलब्ध कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने या उसमें कमी करने के दौरान शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु यह और कि स्टाम्प शुल्क में कमी करने या उसमें छूट प्रदान करने के नियम या आदेश में अधिरोपित शर्तों के भंग होने की स्थिति में कलेक्टर को यह शक्ति होगी कि सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का सगुचित अवसर देने के पश्चात ऐसे लिखत, जिस पर स्टाम्प शुल्क में इस प्रकार छूट प्रदान किया गया हो या उसमें कटौती की गयी हो, के निष्पादन के दिनांक से एक माह या उसके आंशिक भाग के लिए एक प्रतिशत के व्याज के साथ इस प्रकार छूट प्राप्त या कम किये गये स्टाम्प शुल्क की वसूली करें।

ख - स्टाम्प और उसके उपयोग की रीति

शुल्क कैसे दिये जायेंगे।

13—(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, शुल्क, जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य हैं, सन्दत्त किये जायेंगे और ऐसा सन्दाय ऐसे लिखतों पर स्टाम्पों द्वारा उपदर्शित किया जायेगा।

(क) इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसूचना 21

(ख) जहां किसी मामले में ऐसा कोई उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम, अन्य विधियों के साथ-साथ,—

(क) उन स्टाम्पों का वर्णन जो हर एक प्रकार की लिखत की दशा में उपयोग में लाये जा सकेंगे।

(ख) छपे हुये स्टाम्पों से स्टांम्पित लिखतों की दशा में, उन स्टाम्पों की संख्या, जो उपयोग में लाये जा सकेंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार इस निमित्त लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान को अंकित करने के लिये स्टाम्प पर फ्रैंकिंग छाप, स्टाम्प चिन्ह, मुहर या पृष्ठांकन के लिये मशीन के प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति, निकाय या संगठन को प्राधिकृत कर सकती है।

14—(1) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी किसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान नकद रूप में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा या कोषागार बैंक या कोषागार में चालान द्वारा भी किया जा सकेगा, जिस पर इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस प्रकार सशक्त अधिकारी ऐसे चालान के प्रस्तुत किये गये शुल्क की धनराशि की लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यथाविहित रीति से प्रमाणित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी लिखत पर किये गये पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा मानो पृष्ठांकन में वर्णित राशि के समान राशि का शुल्क उसके सम्यन्ध में अदा किया गया है और ऐसी अदायगी धारा 13 के अपेक्षा के अनुसार स्टाम्प के द्वारा ऐसे लिखत पर निर्देशित की गयी है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद "डिमांड ड्राफ्ट" या "भुगतान आदेश द्वारा" का तात्पर्य ऐसे डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश से है, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1955) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) की धारा 3 के अधीन गठित तत्समान किसी नए बैंक द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथापरिभाषित किसी अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया है।

15—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्टाक एक्सचेंज या किसी संगम के माध्यम से संव्यवहार की दशा में, जैसा कि अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1952) की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित है, यथास्थिति, स्टाक एक्सचेंज या संगम ऐसे संव्यवहार के निपटान के समय व्यापारकर्ता सदस्य के खाते से स्टांम्प शुल्क की कटौती करके उसका संग्रह कर लेंगे। इस प्रकार संगृहीत शुल्कों को स्टांम्प आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किसी सरकारी कोषागार, उपकोषागार, भारतीय स्टेट बैंक के सरकारी कारवार शाखा या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य बैंक में अन्तरित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्टाक एक्सचेंज" का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित स्टाक एक्सचेंज से है।

16—निम्नलिखित लिखतें चिपकाने वाले स्टाम्पों से स्टांम्पित की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) की धारा 22 के अधीन राज्य वार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र;

(ख) नोटरी कार्य; और

(ग) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शंयसों के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण।

कतिपय मामलों में नकद रूप में, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा स्टाम्प शुल्क का भुगतान

स्टाक एक्सचेंज और संगम द्वारा व्यापारकर्ता सदस्य के खाते से स्टांम्प शुल्क की कटौती किया जाना

चिपकाने वाले स्टाम्पों का उपयोग

चिपकने वाले
स्टाम्प का
रद्दकरण

17-(1) जो कोई शुल्क से प्रभार्य किसी ऐसी लिखत पर जो किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई है, कोई चिपकने वाला स्टाम्प लगाता है, वह ऐसा स्टाम्प लगाते हुये उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके, और

(2) जो कोई किसी कागज पर जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है, कोई लिखत निष्पादित करता है, वह निष्पादन के समय, यदि ऐसा स्टाम्प उपर्युक्त रीति से पहले ही काट न दिया गया हो, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके।

(3) किसी भी ऐसी लिखत की जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है कि पुनः उपयोग में न लाया जा सके, जहां तक स्टाम्प का सम्बन्ध है, यह समझा जायेगा कि वह स्ताम्पित नहीं है।

(4) वह व्यक्ति जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन चिपकने वाले स्टाम्प को काटना अपेक्षित है वह उस पर या उसके आर-पार अपना नाम या आद्यक्षर लिखकर या अपनी फर्म का नाम या आद्यक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी प्रकार से उसे काट सकेगा।

छापित स्टाम्प लगी
हुई लिखतें कैसे
लिखी जायेंगी

18-प्रत्येक ऐसी लिखत जो ऐसे कागज पर लिखी है जिस पर छपा हुआ स्टाम्प लगा हो, ऐसी रीति से लिखी जायेगी कि लिखत के सामने के भाग पर स्टाम्प दिखाई दे और वह किसी अन्य लिखत के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सके या अन्य लिखत पर लगाया नहीं जा सके।

एक स्टाम्प पर
केवल एक ही
लिखत रहेगी

19-किसी भी ऐसे छापित कागज पर जिस पर शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत पहले ही लिखी जा चुकी है, शुल्क से प्रभार्य कोई भी दूसरी लिखत नहीं लिखी जायेगी:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे पृष्ठांकन का जो सम्यक् रूप से स्ताम्पित है, या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, किसी लिखत पर उसके द्वारा सृजित या साक्षित किसी अधिकार का अन्तरण करने के या कोई धनराशि या माल की, जिसका युकाया जाना या पारिदान उसके द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्ति की अभिस्वीकृति के प्रयोजन के लिये किया जाना निवारित नहीं करेगी।

धारा 18 या 19 के
प्रतिकूल लिखी गई
लिखत अस्ताम्पित
समझी जायेगी

20-धारा 18 या धारा 19 के उल्लंघन में लिखी गई हर लिखत की बावत यह समझा जायेगा कि वह बिना स्टाम्प के है।

शुल्क द्योतक करना

21-जहां किसी शुल्क की मात्रा जिससे कोई लिखत प्रभार्य है या उसकी शुल्क से छूट किसी भी रीति से उस शुल्क पर निर्भर है जो किसी अन्य लिखत, चाहे वह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, की बावत वस्तुतः दिया गया है, वहां ऐसी अन्तिम वर्णित शुल्क उस दशा में जिसमें कि उस प्रयोजन के लिये कलेक्टर को लिखत रूप में आवेदन किया गया है दोनों ही लिखतों के प्रस्तुत किये जाने पर, कलेक्टर के हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी अन्य रीति से (यदि कोई हो), जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे, ऐसी प्रथम वर्णित लिखत पर द्योतित किया जायेगा।

राज्य में निष्पादित
की गई लिखतें

22-शुल्क से प्रभार्य और उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित सभी लिखतें निष्पादन किये जाने के पूर्व या उसी समय स्ताम्पित की जायेंगी।

विनियम-पत्रों और
वचन-पत्रों से भिन्न
लिखतें जो उत्तर
प्रदेश के बाहर
निष्पादित की गई
हैं

23-(1) शुल्क से प्रभार्य हर लिखत, जो केवल उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित की गई है और जो विनियम-पत्र या वचन पत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार उसके प्राप्त होने के तीन मास के भीतर स्ताम्पित की जायेगी।

(2) जहां कि कोई ऐसी लिखत जिसके लिये विहित वर्णन के स्टाम्प से किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्ताम्पित नहीं की जा सकती, वहां वह उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर कलेक्टर के समक्ष लाई जायेगी, जो उसे ऐसे मूल्य के स्टाम्प से, जैसा ऐसी लिखत को लाने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे और लेखे की अदायगी को ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे, स्ताम्पित करेगा।

24. जहां इस अधिनियम के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य कानून के अधीन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी राज्य में कोई लिखत शुल्क से प्रभार्य हो गया है और तत्पश्चात् धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन उत्तर प्रदेश में शुल्क के उच्चतर दर से प्रभार्य होता है, तब—

(एक) धारा 3 के प्रथम परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी ऐसे लिखत पर प्रभार्य शुल्क की राशि अनुसूची के अधीन इस पर प्रभार्य राशि, ऐसे राज्यों में इस पर पहले अदा किये गये, यदि कोई हों, शुल्क की राशि से कम करके होगी, और

(दो) उसके लिये पहले से चिपकाये गये, यदि कोई हो, स्टाम्पों के अतिरिक्त, ऐसे लिखत खण्ड (1) के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि की अदायगी के लिये आवश्यक स्टाम्पों से उसी ढंग से और उस समय पर और उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प किया जायेगा जैसे कि ऐसे लिखत उस समय पर, जब उच्चतर शुल्क से प्रभार्य हुआ हो, प्रथम बार राज्य में अभिप्राप्त लिखत हो।

घ—शुल्क के लिए मूल्यांकन

25(1) जहां कि कोई लिखत भारत की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में अभिव्यक्त किसी धनराशि लेख मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन उस धनराशि के मूल्य पर किया जायेगा जो लिखत के दिनांक को प्रचलित विनियम दर के अनुसार उसका भारत की करेंसी में है।

(2) ब्रिटिश या किसी विदेशी करेंसी, को भारत की करेंसी में संपरिवर्तन करने के लिये विनियम की दर जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन विहित है, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विद्यमान दर समझी जायेगी।

26. जहां कि कोई लिखत किसी स्टाक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत, मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के उस, मूल्य पर किया जायेगा, जो लिखत की तारीख के दिन उसकी औसत कीमत या मूल्य के बराबर हैं।

27. जहां कि प्रचलित विनियम दर या औसत कीमत का विवरण जैसी भी स्थिति अपेक्षित हो, किसी लिखत में है और ऐसे विवरण के अनुसार वह वहां स्टाम्पित है जहां तक कि ऐसे विवरण की विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह उपधारण की जायेगी कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित है, जबकि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।

28. जहां कि किसी लिखत के निबन्धनों के अनुसार ब्याज अभिव्यक्त रूप से देय है, वहां ऐसी लिखत उस शुल्क से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं होगी जिससे तब प्रभार्य होती जबकि उसमें ब्याज का वर्णन नहीं किया गया होता।

29 (1) जहां कि कोई लिखत (जो वचन-पत्र या विनियम-पत्र नहीं है)—

(क) उधार के रूप में अग्रिम दी गई या अग्रिम दी जाने वाली धनराशि के लिये अथवा किसी विद्यमान या भविष्य ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में विपण्य प्रतिभूति का निक्षेप किये जाने के समय दी गई है, या

(ख) किसी विपण्य प्रतिभूति के सम्यक रूप से स्टाम्पित अन्तरण को, जो प्रतिभूति के रूप में आशयित मोचनीय बनाती है या परिसीमित करती है, वहां वह शुल्क से ऐसे प्रभार्य होगी मानो वह अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 5 के खण्ड (1) के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई करार या करार का ज्ञापन हो।

(2) किसी ऐसी लिखत की निर्मुक्ति या उन्मोचन केवल वैसे ही शुल्क से प्रभार्य होगा।

धारा 3 के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) के अधीन उत्तर प्रदेश में शुल्क को बढ़ाने के लिये दायी निश्चित लिखतों पर शुल्क की अदायगी

विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त राशि का संपरिवर्तन

स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा

विनियम दर विषयक या औसत कीमत विषयक विवरण का प्रभाव

वे लिखतें जिनमें ब्याज के लिये उपबन्ध है

विपण्य प्रतिभूतियों के बन्धकों से सम्बन्धित कतिपय लिखतों का करार के रूप में प्रभार्य होना

किस ऋण के प्रतिफलरूप अथवा भविष्य में सदाय की शर्त करने वाले अन्तरण आदि किस प्रकार प्रभारित किये जायेंगे

30-जहां कि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को, उसे शोध्य ऋण के पूर्णतः या भागतः प्रतिफल के लिये या किसी धनराशि या स्टाक की निश्चित या समाश्रित संदाय के अध्यक्षीन चाहे वह सम्पत्ति पर भार या विल्लंगम हो या नहीं या बनाता हो या नहीं, अन्तरित की जाती है, वहां ऐसे ऋण, धनराशि या स्टाक की बाधत यह समझा जायेगा कि वह यथास्थिति पूर्ण प्रतिफल या उसका भाग है, जिसके बाधत वह अन्तरण मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे विक्रय प्रमाण-पत्र पर लागू नहीं होगी जो अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 18 में वर्णित है :

स्पष्टीकरण- किसी बन्धक या अन्य विल्लंगम के अधीन सम्पत्ति के विक्रय की दशा में, न चुकाई गई कोई बन्धक धनराशि या भारित धनराशि और साथ-साथ उस पर देय व्याज (यदि कोई भी) विक्रय के प्रतिफल का भाग समझा जायेगा :

परन्तु जहां कि ऐसी सम्पत्ति जिस पर कोई बन्धक है, बन्धकदार को अन्तरित की जाती है, वहां वह उस अन्तरण पर देय शुल्क में से उतने शुल्क की राशि की कटौती करने का हकदार होगा जो बन्धक की बाबत पहले ही दे दी गई हैं।

दृष्टान्त

(1) क, ख का 1,000 रुपये का ऋणी है। क 500 रुपये के प्रतिफल और पहले के 1,000 रुपये के ऋण की निर्मुक्ति में ख को सम्पत्ति बेच देता है। स्टाम्प शुल्क 1,500 रुपये पर देय होगा।

(2) ख को 500 रुपये में क ऐसी एक सम्पत्ति बेचता है जिस पर ग का 1,000 रुपये का बन्धक और 200 रुपये का असन्दत्त व्याज है। स्टाम्प शुल्क 1,700 रुपये पर देय होगा।

(3) क, 10,000 रुपये के मूल्य का एक गृह ख को 5,000 रुपये में बन्धक रखता है। ख उसके पश्चात् क से गकान खरीद लेता है। बन्धक के लिये पहले ही दे दी गई स्टाम्प शुल्क की राशि को कम करके, 10,000 रुपये पर, स्टाम्प शुल्क की राशि को कम करके, 10,000 रुपये पर, स्टाम्प शुल्क संदेय होगा।

वार्षिकी आदि की दशा में मूल्यांकन

31-जहां कि कोई लिखत किसी वार्षिकी या कालिकतः देय किसी राशि का दिया जाना सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित की जाती है या जहां कि हस्तान्तरण का प्रतिफल कोई वार्षिकी या कालिकतः देय कोई अन्य राशि है, वहां, यथास्थिति, ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत राशि या ऐसे हस्तान्तरण के लिये प्रतिफल के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समझा जाएगा कि वह-

(क) वहां, जहां कि राशि किसी निश्चित कालावधि के लिए देय है, जिससे कि दी जाने वाली कुल राशि को पहले ही अभिनिश्चित किया जा सके, ऐसी कुल राशि है,

(ख) वहां, जहां कि राशि शाश्वत रूप में या किसी अनिश्चित समय के लिये ऐसी लिखत या हस्तान्तरण-पत्र के दिनांक को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित नहीं होता है, देय है, ऐसी कुल राशि है, जो ऐसी लिखत या हस्तान्तरण-पत्र के निबन्धकों के अनुसार बीस वर्षों की कालावधि के दौरान देय होगी या देय हो सकेगी, जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने के दिनांक से किया जाएगा और

(ग) वहां, जहां कि धनराशि ऐसी लिखत या हस्तान्तरण-पत्र के दिनांक को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित होने वाली किसी अनिश्चित समय के लिये देय है-ऐसी अधिकतम राशि है, जो उस दिनांक के बारह वर्षों की कालावधि के दौरान यथापूर्वोक्त रूप में देय होगी या हो सकेगी जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने के दिनांक से किया जाएगा।

स्टाम्प, जहां कि विषयवस्तु का मूल्य अनवधार्य है

32. जहां कि मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत की विषयवस्तु की राशि या मूल्य उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन के दिनांक को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित किसी लिखत की दशा में अभिनिश्चित नहीं किया सकता था, वहां ऐसी लिखत के अधीन उस अधिकतम राशि या मूल्य से अधिक किसी भी राशि के मूल्य का कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए, यदि उसी प्रकार की किसी लिखत में वह कथित किया गया होता, वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प ऐसे निष्पादन के दिनांक को पर्याप्त होता:

परन्तु किसी ऐसी खान के पट्टे की दशा में, जिसमें स्वामित्व या उत्पादन का हेस्सा भाटक या भाटक के भाग के रूप में प्राप्त होता है, स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिये उसे स्वामित्व या ऐसे हिस्से के मूल्य का प्राक्कलित किया जाना उस दशा में पर्याप्त होता -

(क) जब कि पट्टा सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी राशि या मूल्य पर दिया गया है जिसकी बाबत कलेक्टर ने मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्राक्कलित किया हो कि पट्टे के अधीन उस सरकार को स्वामित्व या हिस्से के रूप में उसके दिये जाने की सम्भावना है, या

(ख) जब कि पट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बीस हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है और ऐसे स्वामित्व या हिस्से की पूरी राशि, चाहे वह कितनी भी हो, ऐसे पट्टे के अधीन दावा किया जाने योग्य होगी।

परन्तु यह और कि जहां लिखत की बाबत धारा 36 या 44 के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, वहां कलेक्टर द्वारा प्रमाणित की गई राशि के विषय में यह समझा जायेगा कि वह निष्पादन के दिनांक को वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प है।

33-(1) वह प्रतिफल (यदि कोई हो) जिससे और वे अन्य सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनके किसी लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि पर असर पड़ेगा उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित की जायेंगी।

(2) सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यानुसार शुल्क के प्रभार्य अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित लिखतों के मामले में और न कि उपवर्णित मूल्य पर, लिखित राजस्व अदा करने वाले भूमि के मामले में वार्षिक भू-राजस्व, अन्य अचल सम्पत्ति के मामले में, यदि कोई हो, वार्षिक भाटक या सकल अस्तियां, स्थानीय दरों, नगरपालिका या अन्य करों, यदि कोई हो, जिसके अधीन ऐसी सम्पत्ति हो सकेगी और कोई अन्य विशिष्टियों, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित हो सकेगा, को पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित करेगा।

34(1) जहां कि किसी सम्पत्ति को किसी एक प्रतिफल के लिए सम्पूर्णतः बेचे जाने के लिए संविदा की गई है और वह क्रेता को भिन्न-भिन्न लिखतों द्वारा पृथक-पृथक भागों में हस्तान्तरित की गई है, यहां प्रतिफल ऐसी रीति से जैसा पक्षकार उचित समझे, प्रभाजित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि हर एक पृथक भाग के लिए सुभिन्न प्रतिफल उससे सम्बद्ध हस्तान्तरण-पत्र में उपवर्णित किया गया है, तथा ऐसा हस्तान्तरण ऐसे सुभिन्न प्रतिफल के सन्दर्भ में या सम्पत्ति के ऐसे भाग के बाजार मूल्य के अनुसार जो भी अधिक हो, मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।

(2) जहां कोई सम्पत्ति दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वयं और दूसरों के लिये अथवा पूर्णतः दूसरों के लिए किसी एक प्रतिफल के लिए सम्पूर्णतः क्रय किये जाने के लिये संविदा की गई, पृथक-पृथक लिखतों द्वारा प्रतिफल के सुभिन्न भागों के लिये उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा या जिनके लिये वह क्रय की गई थी, भागों में हस्तान्तरित की जाती है, वहां हर एक पृथक भाग का हस्तान्तरण-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट किये गये प्रतिफल के सुभिन्न भाग या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सन्दर्भ को, जो भी अधिक हो सके, मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।

(3) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तान्तरण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामतः सम्पत्ति अनुक्रेता को तुरन्त हस्तान्तरित कर दी जाती है, वहां वह हस्तान्तरण-पत्र उस प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा, जो मूल्य क्रेता द्वारा अनुक्रेता को किये गये विक्रय या सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो।

(4) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तान्तरण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्पूर्णतः या उसके किसी भाग का विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामस्वरूप सम्पत्ति मूल विक्रेता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भागों में हस्तान्तरित कर दी जाती है, वहां अनुक्रेता को बेचे गये हर एक भाग का हस्तान्तरणपत्र, मूल प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की बाबत ही मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा; और मूल क्रेता को बेची गई ऐसी सम्पत्ति के शेष भाग का (यदि कोई हो) हस्तान्तरण-पत्र, केवल उस प्रतिफल सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा जो अनुक्रेताओं द्वारा संदत्त प्रतिफलों के योग से मूल प्रतिफल के आधिक्य में है।

परन्तु ऐसे अन्तिम हस्तान्तरण-पत्र पर शुल्क किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगा।

शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना

कतिपय हस्तान्तरण-पत्रों की दशा में शुल्क के बारे में निर्देश

(5) जहां कि कोई अनुक्रेता उस व्यक्ति के, जो उसका सीधा विक्रेता है, हित का वास्तविक हस्तान्तरण-पत्र ले लेता है जो उसके द्वारा संदत्त प्रतिफल की वास्तविक मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है और जिस पर तदनुसार सम्यक् रूप से स्टाम्प लगा है वहां मूल विक्रेता द्वारा उसी सम्पत्ति का उसके पश्चात् किया गया कोई भी हस्तान्तरण-पत्र ऐसे शुल्क से प्रभार्य होगा, जो उस शुल्क के बराबर होगा, जो ऐसे हस्तान्तरण-पत्र पर ऐसे मूल विक्रेता द्वारा अभिप्राप्त किये गये प्रतिफल के लिए प्रभार्य है या जहां कि ऐसा शुल्क सौ रुपये से अधिक हो, वहां एक सौ रुपये के शुल्क से प्रभार्य होगा।

ड. - शुल्क किसके द्वारा देय है

शुल्क किसके द्वारा देय है

35. किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने के खर्च निम्न लिखित व्यक्तियों द्वारा वहन किये जायेंगे :-

(क) अनुसूची में जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी में वर्णित किसी लिखत की दशा में, अर्थात् -

सं० 2- (प्रशासन बन्ध-पत्र)

सं० 6- (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार)

सं० 14- (बन्ध-पत्र)

सं० 15- (पोत बन्ध-पत्र)

सं० 26- (सीमा शुल्क बन्ध-पत्र)

सं० 31- (अतिरिक्त प्रभार)

सं० 33- (क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र)

सं० 41- (बन्धक विलेख)

सं० 44- (टिप्पणी या ज्ञापन)

सं० 53- (निर्मुक्ति)

सं० 54- (जहाजी माल बन्ध-पत्र)

सं० 55- (प्रतिभूति बन्ध-पत्र, जो बन्धक विलेख न हो)

सं० 56- (व्यवस्थापन)

सं० 60(क)-(किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के अन्तरण)

सं० 60(ख)-(धारा 8 द्वारा उपबन्धित डिबेंचरों के सिवाय, ऐसे डिबेंचरों के, जो विपण्य प्रतिभूतियां हो, का अन्तरण, चाहे वह डिबेंचर शुल्क के देने का दायी हो या न हो)

सं० 60(ग)-(बन्ध-पत्र, बन्धक विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का अन्तरण की दशा में ऐसी लिखत को लिखने वाले, बनाने वाले या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा);

(ख) किसी हस्तान्तरण की (जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति का पुनः हस्तान्तरण है) दशा में-प्राप्तकर्ता द्वारा किसी पट्टे के करार की दशा में-पट्टेदार या आशयित पट्टेदार द्वारा;

(ग) कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन एक कम्पनी के दूसरे कम्पनी को अन्तरण की स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन उस कम्पनी द्वारा किया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (घ) के अधीन आस्तियां और दायित्व प्राप्त कर रही हों या उन्हें पुनर्निर्मित कर रही हों ;

(घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1946) की धारा 44-क के उपबंधों के अधीन एक बैंक का दूसरे बैंक द्वारा अर्जन किये जाने स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन ऐसे बैंक द्वारा किया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (ड.) के अधीन दूसरे बैंक का अर्जन कर रहा है या उसका पुनर्निर्माण कर रहा हो;

(ड.) किसी निगमित कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अन्य कम्पनी या निगमित निकाय को इक्विटी शेयरों का अन्तरण करके सम्पत्ति के अन्तरण की स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन ऐसी अन्तरिती कम्पनी द्वारा किया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के स्पष्टीकरण (तीन) के अधीन अर्जन कर रही हो।

(घ) किसी पट्टे के प्रतिलेख की दशा में—पट्टाकर्ता द्वारा;

(छ) विनिमय की लिखत की दशा में— पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्सों में;

(ज) विक्रय प्रमाण—पत्र की दशा में— सम्पत्ति के, जिससे ऐसा प्रमाण—पत्र सम्बद्ध है, क्रेता द्वारा; और

(झ) दान की किस लिखत की दशा में आदाता द्वारा

(ण) विभाजन लिखत की दशा में— विभाजित की गई सम्पूर्ण सम्पत्ति में अपने-अपने हिस्सों के अनुपात में, अथवा जबकि विभाजन किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा पारित किये गये आदेश के निष्पादन में किया गया है, तब ऐसे प्राधिकारी, न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुपात में उसके पक्षकारों द्वारा वहन किये जायेंगे।

अध्याय 3

स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन

36—(1) जबकि कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहल ही स्थापित हो या न हो, कलेक्टर के पास लाई जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में (यदि कोई हो), जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी की राय के लिये आवेदन करता है और (एक सौ रुपये की फीस भुगतान कर देता है) ऐसी अन्य रकम जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये। तब कलेक्टर उस शुल्क को (यदि कोई हो) अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

सम्बन्धित स्टाम्प के बारे में न्याय निर्णयन

(2) इस प्रयोजन के लिये कलेक्टर लिखत की संक्षिप्त और शपथ—पत्र या अन्य साक्ष्य के लिये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिये आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसे साक्ष्य तदनुसार प्रस्तुत न कर दिये जायें वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इनकार कर सकेगा।

परन्तु—

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी साक्ष्य, ऐसी जांच के सिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत जो उससे सम्बन्धित है प्रभार्य है, किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जायेगा; और

(ख) हर व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर, जिससे वह लिखत जो उससे सम्बन्धित है प्रभार्य है, किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसने ऐसी लिखत में उपर्युक्त किन्हीं भी तथ्यों या परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हों।

37(1) जब कि धारा 36 के अधीन कलेक्टर के समक्ष लाई गई कोई लिखत उसकी राय में इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है और—

कलेक्टर द्वारा प्रमाणित पत्र

(क) कलेक्टर यह अवधारित करता है कि वह पहले से ही पूर्णतः स्थापित है या

(ख) धारा 36 के अधीन कलेक्टर द्वारा अवधारित किये गये शुल्क या लिखत की बाबत पहले से ही दिये गये शुल्क सहित ऐसी राशि जो इस प्रकार अवधारित किये गये शुल्क के बराबर है, दे दी गई है, तब कलेक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (धनराशि को उल्लिखित करते हुए), दे दिया गया है।

(2) जबकि उसकी राय में, ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब कलेक्टर उपर्युक्त रीति से यह प्रमाणित करेगा, कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(3) किसी लिखत के बारे में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई पृष्ठांकन किया गया है, यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है तथा यदि वह शुल्क से प्रभार्य है, तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिये जाने योग्य होगा और उसके अनुसार ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी मानो वह आरम्भ से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी—

परन्तु इस धारा की कोई बात कलेक्टर को—

(क) किसी ऐसी लिखत पर ऐसे अन्य लिखत के अतिरिक्त जो धारा 3 के खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत पारित शुल्क हो, उत्तर प्रदेश में निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो, यथास्थिति, उसके निष्पादन या प्रथम बार निष्पादन के दिनांक से एक मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई गई हो।

(ख) किसी ऐसी लिखत जो धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन शुल्क से प्रभार्य हो और उस तिथि, जिस पर यह उत्तर प्रदेश में प्रथम बार प्राप्त किया जाता है, से तीन महीने के अवसान के बाद उसके समक्ष लाई गई हो।

अध्याय 4

सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें

लिखतों की परीक्षा
और परिबद्ध किया
जाना

38(1) हर व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है, और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त लोक कार्यालय का भार साधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कर्तव्यों के पालन में प्रस्तुत की जाती है या आ जाती है उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है।

(2) उस प्रयोजन के लिये ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष प्रस्तुत की गई या आई प्रत्येक लिखत की जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण की स्टाम्प में स्टाम्पित थी।

परन्तु

(क) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी मजिस्ट्रेट या दाण्डिक न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जायेगी कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन कृत कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाली किसी लिखत की परीक्षा करे या उसे परिबद्ध करे, यदि वह ऐसा करना समीचीन नहीं समझता है।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, इस धारा के अधीन किसी लिखत की परीक्षा करने और परिबद्ध करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा जिसे उक्त न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) शंका की दशा में इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जायेगा और किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भार साधक समझा जायेगा।

(4) जहां अदा किये गये स्टाम्प शुल्क में कमी किसी लिखत के प्रतिलिपि से सूचित की जाती है वहां कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय के या स्टाम्प आयुक्त या अतिरिक्त स्टाम्प आयुक्त या उप-स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त के निर्देश पर उस पर अदा किये गये शुल्क के पर्याप्तता के विषय में स्वयं के समाधान के उद्देश्य के लिये मूल लिखत को मंगा सकेगा और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये गये ऐसे लिखत को उसके कार्य के निष्पादन में उसके समक्ष लिया गया या प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत प्रस्तुत न किये गये लिखत के मामले में, वह स्टाम्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, के साथ लिखत की प्रतिलिपि पर धारा 45 के अधीन शास्ति की अदायगी की अपेक्षा कर सकेगा।

परन्तु उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तिथि से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती है।

39. शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखित जब तक कि ऐसी लिखित सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने के लिये प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जाएगी।

सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य हैं

परन्तु

(क) कोई ऐसी लिखत जो रसीद न हो, या जो विनिमय पत्र या वचनपत्र नहीं है, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, वह शुल्क जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि और साथ-साथ पांच रुपये के शास्ति अथवा जब उसके (शास्ति की राशि जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने के बराबर हो) दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

(ख) जहां कि किसी प्रकार की कोई संविदा या करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने, पत्र-व्यवहार द्वारा प्रभावी होता हो और पत्रों में से किसी एक पर उचित स्टाम्प लगा हो, वहां उस संविदा या करार की बाबत यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।

(ग) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी, जब कि ऐसी लिखत सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो या उस पर इस अधिनियम की धारा 37 या इसके किसी अन्य उपबन्ध द्वारा यथा उपबन्धित कलेक्टर का प्रमाण पत्र लगा हो।

40. जहां कोई लिखत साक्ष्य में गृहीत की गई हो, वहां धारा 67 में यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

लिखत का ग्रहण कहां प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

41. राज्य सरकार यह उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी कि जहां किसी लिखत पर पर्याप्त राशि का किन्तु अनुचित प्रकार का स्टाम्प लगा हुआ है, वहां वह, शुल्क जिससे वह प्रभार्य है, दे दिये जाने पर यह प्रमाणित किया जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और इस प्रकार प्रमाणित लिखत के बारे में यह समझा जायेगा कि वह अपने निष्पादन की तारीख से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।

अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण किया जाना

42(1) जहां धारा 39 के अधीन किसी लिखत को परिवद्ध करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है और ऐसी लिखत को वह धारा 39 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शास्ति के या धारा 41 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शुल्क के दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर लेता है, वहां वह ऐसी लिखत की अधिप्रमाणीकृत एक प्रति और साथ-साथ उसकी बाबत उद्गृहीत शुल्क और शास्ति की राशि का कथन करते हुये एक लिखित प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजेगा और ऐसी राशि कलेक्टर को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेजेगा।

परिवद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जायेंगी

(2) अन्य प्रत्येक मामले में, किसी लिखत को इस प्रकार परिवद्ध करने वाला व्यक्ति उसे मूल रूप में कलेक्टर को भेजेगा।

43(1) जब कलेक्टर किसी लिखत को, जो रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, धारा 38 के अधीन परिवद्ध करता है या धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया, अपनायेगा-

परिवद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शक्ति

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिये अपेक्षित रकम और साथ-साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क के कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी, दी जाए।

परन्तु जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिवर्द्ध की गई हो कि यह धारा 18 या धारा 19 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर, उचित समझता है, तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसी कोई शास्ति तब तक उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी जब तक सम्बन्धित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाये।

(2) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सन्दत्त किये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये।

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो, तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनः संगणना की जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिये संदत्त किये जाने हेतु अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(4) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी संदेय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक प्रमाण-पत्र उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(7) जहां कोई लिखत धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को भेजी गई हो, वहां कलेक्टर इस धारा द्वारा यथा उपबंधित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिवन्धन अधिकारी को लौटा देगा।

घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें

44. केवल बीस पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन के दिनांक के वर्ष के अन्दर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, और ऐसा व्यक्ति कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और कलेक्टर को उचित शुल्क की राशि या उसे पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि देने का प्रस्ताव करता है और कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह धारा 37 और धारा 43 के अधीन कार्यवाही करने के बदले, ऐसी राशि रवीकार कर संकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा।

45(1) जब किसी लिखत की बाबत उदग्रहणीय शुल्क और शास्ति (यदि कोई हो) धारा 39, 43, 44 या धारा 49 के अधीन संदत्त की चुकी है, तब यथास्थिति, ऐसी लिखत को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति या कलेक्टर उस पर पृष्ठांकन द्वारा, इस बात की किसी लिखत की बाबत, यथास्थिति उचित शुल्क या उचित शुल्क और शास्ति उदग्रहीत की जा चुकी है (प्रत्येक की राशि उल्लिखित करते हुए) और उस व्यक्ति का, जिसने वह दी है, नाम और निवास--स्थान प्रमाणित करेगा।

उन लिखतों को पृष्ठांकित करना जिन पर धारा 39, 43, 44 या 49 के अन्तर्गत शुल्क संदत्त किया जा चुका है।

(2) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिखत तब साक्ष्य स्वरूप ग्राह्य होगी और रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे अधिप्रमाणित की जा सकेगी मानो वह सम्यक् रूप से स्ताम्भित थी और वह इस निमित्त आवेदन किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में से वह परिवद्ध करने वाले अधिकारी के पास पहुँची थी या जिसे वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे, परिदत्त की जायेगी।

परन्तु

(क) ऐसी कोई भी लिखत, जो धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है, ऐसे परिवद्ध करने के दिनांक से एक मास का अवसान होने के पहले या उस दशा में जिसमें कलेक्टर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसको और भी रोक, रखना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण-पत्र को रद्द नहीं किया है, इस प्रकार परिदत्त नहीं की जायेगी।

(ख) इस धारा के किसी बात से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की धारा 144 के खण्ड (3) के आदेश 23 की अनुसूची प्रभावित नहीं होगी।

46. किसी लिखत की बाबत इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को शुरू कर देने या कोई शास्ति दे देने से किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध किया है, अभियोजित किया जाना वर्जित नहीं होगा।

स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध के लिये अभियोजन

परन्तु ऐसा कोई भी अभियोजन, किसी ऐसी लिखत की दशा में जिसकी बाबत ऐसी शास्ति दी जा चुकी है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कलेक्टर को यह प्रतीत नहीं होता है कि अपराध उचित शुल्क देने से बचने के आशय से किया गया था।

47(1) जहां किसी लिखत की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा धारा 39 धारा 41 धारा 43 या धारा 44 के अधीन कोई शुल्क दिया जा चुका है या शास्ति दी जा चुकी है, और किसी करार द्वारा या धारा 33 के उपबन्धों के या उस समय जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लिखत के लिये उचित स्टाम्प के व्यय देने के लिये आबद्ध था, वहां प्रथम वर्णित व्यक्ति इस प्रकार दिये गये शुल्क या दी गई शास्ति की राशि को ऐसे अन्य व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा।

शुल्क या शास्ति देने वाले व्यक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूल कर सकेंगे

(2) ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम के अधीन ऐसी लिखत का बाबत स्वीकार किया गया प्रमाण-पत्र, उसमें प्रमाणित किये गये विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(3) यदि न्यायालय उचित समझे तो, ऐसी राशि किसी वाद या कार्यवाही में, जिसके ऐसे व्यक्ति पक्षकार हैं और जिनमें ऐसी लिखत साक्ष्य में प्रस्तुत की गई है, खर्च के बारे में किसी आदेश में सम्मिलित की जा सकेगी। यदि न्यायालय ऐसी राशि को ऐसे आदेश में सम्मिलित नहीं करता है, तो उस राशि की वसूली के लिये कोई भी अतिरिक्त कार्यवाहियां नहीं चलेगी।

48(1) यदि धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को भेजी गई कोई लिखत पारेषण के दौरान खो जाती है या नष्ट हो जाती है या विक्षत हो जाती है तो उसे भेजने वाला व्यक्ति उसके ऐसे खो जाने, नष्ट हो जाने या विक्षत हो जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

धारा 42 के अधीन भेजी गई लिखतों का खो जाने के लिये अदायित्व

लिखत का
अधमूल्य

(2) जब कोई लिखत इस प्रकार भेजी जाने वाली हो तो ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे में से यह उसको परिवद्ध करने वाले व्यक्ति के पास पहुँची थी, से इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी एक प्रति ऐसे प्रथम वर्णित व्यक्ति के व्यय पर बनाई जाये और ऐसी लिखत परिवद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणीकृत की जाये।

49 (1)(क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम व अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने से पहले, धारा 35 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और अब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिये लिखत को वापस लौटा देगा।

(ख) जब खण्ड (क) के अधीन सन्दत्त किये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में सन्दत्त कर दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को सन्दत्त कर दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को ऐसी घोषणा जैसा कि विहित किया जाय, से अन्तर्विष्ट छापित स्टाम्पों के रूप में या अन्यथा खण्ड (क) के अधीन सन्दत्त किया जा सकता है।

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी का संदाय नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर संदेय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षों की सुनवाई का उचित अवसर देने और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत की जाये, जांच करने के पश्चात् सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसी लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करेगा।

(3) कलेक्टर, स्वप्रेरणा से, या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के अभिदेश पर, किसी लिखत को, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो और जो उपधारा (1) के अधीन उसे पहले से, अभिदिष्ट न हो, सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसे लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय शुल्क की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और यदि एक परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है।

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के लिए पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष भी, काल के पश्चात् विन्द, उक्त नाम की अधि 35 पूर्ण की जा सकता है।

स्पष्टीकरण— उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलेक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जांच और उपधारा (10) के अधीन परीक्षण करने पर कलेक्टर सम्पत्ति के बाजार मूल्य को—

(एक) ठीक प्रकार से उल्लिखित और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित पाये तो वह पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और उसे उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसने अभिदेश किया हो।

(दो) ठीक प्रकार से उल्लिखित न पाये और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित न पाये तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी, दी जाये

(5) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये।

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी संक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश पर फेरफार किया गया हो, तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए दिये जाने के लिये अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(7) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा 5 में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(9) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत लिखत का उक्त कृत्यों के पालन में उसके समक्ष आया हुआ समझा जायेगा।

(10) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर उपधारा (2) और (4) में की गई प्रक्रिया के अनुसार शास्ति के साथ संदाय करने की अपेक्षा कर सकता है।

50. इस अधिनियम के अधीन दिए जाने के लिये अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियाँ और अन्य राशियाँ कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह देय है, जांगम सम्पत्ति से करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी।

51. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पृष्ठांकन या प्रमाण-पत्र, इस अधिनियम के अनुसार शुल्क की उच्चतर दर के साथ उत्तर प्रदेश में प्रभाय लिखत के सम्बन्ध में साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा या ऐसे लिखत पर शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में, साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा या ऐसे लिखत पर शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में तब तक रद्द नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम में उपबन्धित दर पर प्रभाय शुल्क ऐसे लिखत पर अदा न कर दिया गया हो।

शुल्कों और शास्तियों की वसूली

लिखत के सम्बन्ध में पृष्ठांकन या प्रमाण-पत्र की देयता निराकरण के लिये उत्तर प्रदेश में शुल्क की अदायगी पर संशोधन

अध्याय 5

कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट

खराब हो गये
स्टाम्पों के लिये
छूट

52. ऐसे नियमों के अधीन जो अपेक्षित साक्ष्य अथवा की जाने वाली जांच के बारे में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाएं, धारा 53 में विहित कालावधि के भीतर आवेदन किये जाने पर, कलेक्टर का यदि उन तथ्यों के बारे में समाधान हो जाता है, तो इसमें इसके पश्चात् वर्णित दशाओं में खराब हो गये छापित स्टाम्पों के लिये वह छूट दे सकेगा, अर्थात्

(क) किसी ऐसे कागज पर का स्टाम्प, जो किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखी गई किसी लिखत के निष्पादित किये जाने के पूर्व अनवधानता और अपरिकल्पित रूप से खराब हो गया है या मिट गया है या लिखने की गलती से या किसी अन्य कारण से आशयित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो गया है,

(ख) किसी ऐसे दस्तावेज पर का स्टाम्प, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है,

(ग) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो—

(एक) तत्पश्चात्, प्रारम्भ से ही विधि की दृष्टि से पूर्ण रूप से शून्य पाई गई हैं,

(दो) तत्पश्चात्, उसमें की किसी त्रुटि या भूल के कारण मूल रूप से आशयित प्रयोजन के लिये वह अनुपयुक्त पाई गई है,

(तीन) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना आवश्यक था, उसे निष्पादित किये बिना मृत्यु हो जाने या किसी ऐसे व्यक्ति के, उसको निष्पादित करने से नकार दिये जाने के कारण, वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सके,

(चार) किसी आवश्यक पक्षकार द्वारा उसका निष्पादन न किये जाने और उसको हस्ताक्षरित करने में उसकी असमर्थता या उससे नकार दिये जाने के कारण उस प्रयोजन के लिये, जिसके लिए वह आशयित है, तथ्यतः अपूर्ण और अपर्याप्त है,

(पांच) उसके अधीन कार्य करने से, या उसके द्वारा प्रतिभूत किये जाने के लिये आशयित, कोई अग्रिम धन देने से किसी व्यक्ति के नकार देने के कारण या उसके द्वारा प्रदान किये गये किसी पद के लेने से, नकार देने या अप्रतिगृहीत किये जाने के कारण वह आशयित प्रयोजन के लिये पूर्णतः निष्प्रभावी हो गई है,

(छः) उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित ऐसे संव्यवहार के परिणाम स्वरूप जो उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी हुआ है, अनुपयोगी हो जाता है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है,

(सात) कम मूल्य का है और उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित संव्यवहार उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी किया जा चुका है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है।

(आठ) अनवधानता से और अपरिकल्पनापूर्वक खराब हो गया है और जिसके बदले में उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी प्रयोजन के लिये लिखी गई कोई अन्य लिखत निष्पादित की गई है और सम्यक् रूप से स्ताम्पित है

परन्तु यह तब जब कि निष्पादित की गई किसी लिखत के मामले में कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है जिसमें वह लिखत साक्ष्य में दी जा सकती थी, पेश की जा सकती थी अथवा दी गई या पेश की गई है और जिसमें उक्त लिखत रद्द नहीं की गई है।

स्पष्टीकरण— धारा 37 के अधीन कलेक्टर का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि लिखत पर प्रभाय सम्पूर्ण शुल्क दे दिया गया है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत एक छापित स्टाम्प है।

53. धारा 52 अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर किया जायेगा, अर्थात्—

(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (पांच) में वर्णित मामलों में लिखत के दिनांक के दो मास भीतर,

धारा 52 के अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन कब किया जायेगा

(ख) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई भी लिखत निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह महीने के भीतर,

(ग) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है, लिखत के दिनांक के छह महीने के भीतर या यदि उस पर दिनांक नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह पहली बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह महीने के भीतर, किया जायेगा।

परन्तु

(क) जब खराब हो गई लिखत पर्याप्त कारण से भारत के बाहर भेज दी गई है, तब आवेदन उसके भारत में वापस आ जाने के छह महीने के भीतर किया जा सकेगा।

(ख) जब कोई लिखत जिसके स्थान पर अन्य लिखत प्रतिस्थापित की जा चुकी है, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त कालावधि के भीतर रद्द करने के लिये प्रस्तुत नहीं की जा सकती है तब आवेदन प्रतिस्थापित की गई लिखत के निष्पादन के दिनांक के छह महीने के भीतर किया जा सकेगा।

54. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा सशक्त किया गया कलेक्टर, किसी बैंककार द्वारा या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुये प्रेरूपों के लिये उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिये समय परिसीमित किये बिना, छूट उस दशा में दे सकेगा, जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे प्रेरूप उपर्युक्त बैंककार कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षित न रहे गये हो, परन्तु यह तब कि जब ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे स्टाम्पित कागजातों की वापस शुल्क सम्यक् रूप से दे दिया गया है।

छपे प्रेरूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो

55(क) जब किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी लिखत के लिये जिस पर शुल्क प्रभार्य है, ऐसे स्टाम्प से, जो ऐसी लिखत के लिये इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित है, भिन्न प्रकार का स्टाम्प या आवश्यकता से अधिक मूल्य के स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है या किसी ऐसे लिखत के लिये, जिस पर कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है, किसी स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है, या

गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिये छूट

(ख) जब किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया गया कोई स्टाम्प, ऐसी लिखत की धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंघन में लिखी गई होने के कारण, अनवधानता से धारा 19 के अधीन अनुपयोगी हो गया है, तब कलेक्टर लिखत के दिनांक के छह महीने के भीतर या, यदि उस पर दिनांक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह महीने के भीतर आवेदन किये जाने पर और यदि वह लिखत शुल्क से प्रभार्य है तो लिखत के उचित शुल्क से पुनः स्टाम्पित किये जाने पर, उसको रद्द कर सकेगा और इस प्रकार गलती से उपयोग किये गये या अनुपयोगी हुये स्टाम्प के लिये खराब हुई स्टाम्प की तरह छूट दे सकेगा।

56. कलेक्टर किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें खराब हो गये या गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिए छूट दी गई है उसके बदले में दे सकेगा—

खराब हो गये या गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिये छूट किस प्रकार दी जायेगी।

(क) उसी वर्णन और मूल्य के अन्य स्टाम्प या

(ख) उस दशा में जिसमें ऐसा अपेक्षित हो और वह उचित समझता है, उतने ही मूल्य की राशि में किसी अन्य प्रकार के स्टाम्प, या

(ग) स्वविवेकानुसार, प्रत्येक रूपये या रूपये के प्रभाव के लिये दस पैसे कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि।

57. जब किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा स्टाम्प या ऐसे स्टाम्प हैं, जो खराब नहीं हो गई है या आशयित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त या अनुपयोगी नहीं हो गई है किन्तु जिसका या जिनका उसके द्वारा तुरन्त उपयोग नहीं किया जाता है, तब कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पों के मूल्य के बराबर धनराशि उसमें से प्रत्येक रूपये या रूपये के प्रभाग के लिये दस पैसे कटौती करके ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे रद्द किये जाने को परिदत्त किये जाने पर और कलेक्टर के समाधान होने पर निम्नलिखित सावित करने पर वापस दे सकेगा,—

उन स्टाम्पों के लिये छूट जो उपयोग में नहीं आने हैं

(क) यह कि ऐसा स्टाम्प या ऐसे स्टाम्प ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के सद्भावी आशय से क्रय की गई थी।

(ख) यह कि उसने उनकी पूरी कीमत दी है और

(ग) यह कि वह उस तारीख के जिसको वह इस प्रकार परिदत्त की गई थी, ठीक पूर्ववर्ती छह माह की कालावधि के भीतर ऐसे क्रय की गई थी।

परन्तु जहां कोई व्यक्ति स्टाम्पों का अनुज्ञप्त विक्रेता है, वहां यदि कलेक्टर उचित समझता है तो वह विक्रेता द्वारा वस्तुतः दी गई राशि, यथापूर्वोक्त कोई कटौती किये बिना वापस कर देगा।

अध्याय 6

निर्देश, पुनरीक्षण और अपील

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का नियन्त्रण और उससे सम्बन्धित मामलों का कथन

58(1) वे शक्तियां, जो कलेक्टर द्वारा धारा 12, धारा 32 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क), अध्याय 4, अध्याय 5, और अध्याय 8 के अधीन प्रयोक्तव्य हैं, सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन होगी।

इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12, धारा 32 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क), अध्याय चार, अध्याय पांच और अध्याय आठ के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा।

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किसी विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि आवेदक ऐसी विवादग्रस्त रकम के एक-तिहाई के अन्वयन भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे।

परन्तु यह और कि जहाँ मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाये, वहाँ ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलेक्टर के सभाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।

(2) यदि धारा 36, धारा 43 या धारा 44 के अधीन कार्य करने वाले कलेक्टर को उस शुल्क की राशि के बारे में, जिससे कोई लिखत प्रभार्य है, कोई सन्देह होता है तो वह मामले के कथन को लेखबद्ध करेगा और उसे अपनी राय सहित मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के विनिश्चय के लिये सन्दर्भित करेगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त मामले पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा जो ऐसे विनिश्चय के अनुरूप शुल्क (यदि को हो) निर्धारित और प्रभारित करने की कार्यवाही करेगा।

(4) जहाँ कलेक्टर का कोई आदेश मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा आंशिक रूप से परिवर्तित या अभिखण्डित कर दिया जाय, वहाँ कलेक्टर को उक्त आदेश के अधीन भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क, शास्ति या ब्याज की अतिरिक्त धनराशि को वापस करने का अधिकार होगा।

59(1) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन अपने को निर्देशित किये, गये या अन्यथा उसकी जानकारी में आये किसी मामले का कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे मामले को यदि राज्य में उद्भूत हुआ हो तो उस राज्य के उच्च न्यायालय को उस पर अपनी राय सहित सन्दर्भित कर सकेगा।

उच्च न्यायालय को मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन

(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च न्यायालय के, जिसको वह सन्दर्भित किया गया है, कम से कम तीन न्यायाधीशों द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

60. यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि उक्त मामले में अन्तर्विष्ट कथन, तद्वद्वारा उठाये गये प्रश्नों को अवधारित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, तो न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा उक्त कथन तैयार किया गया था, उसमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए, जैसे वह न्यायालय इस निमित्त निर्दिष्ट करे, मामले को वापस भेज सकेगा।

कथित मामले के बारे में अतिरिक्त विशिष्टियों की मांग करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

61(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई पर तद्वद्वारा उठाये गये प्रश्नों को विनिश्चित करेगा और उस पर उन आधारों को अन्तर्विष्ट करते हुए उन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, अपना निर्णय देगा।

कथित मामले को निपटाने की प्रक्रिया

(2) न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा मामले का कथन किया गया था, ऐसे निर्णय की प्रति जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और जिस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, भेजेगा, और राजस्व प्राधिकारी, ऐसी प्रति मिलने पर मामले का निपटारा ऐसे निर्णय के अनुरूप करेगा।

62(1) यदि धारा 63 में वर्णित न्यायालय से भिन्न न्यायालय को धारा 39 के परन्तुक (क) के अधीन किसी लिखत की बाबत देय शुल्क की राशि के बारे में सन्देह है, तो वह न्यायाधीश मामले का एक कथन तैयार करेगा और उस पर अपनी राय सहित उसे उस उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिये सन्दर्भित करेगा जिसको यदि वह मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी होता, तो वह धारा 63 के अधीन उसे सन्दर्भित करता।

उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों द्वारा मामले का कथन

(2) ऐसा न्यायालय मामले पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वह धारा 59 के अधीन निर्देशित किया गया हो तथा अपने निर्णय के प्रति, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी को और ऐसी ही दूसरी प्रति निर्देश करने वाले न्यायाधीश को भेजेगा जो ऐसी प्रति प्राप्त होने पर मामले का, ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटारा करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये निर्देश उस दशा में जिसमें वे जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किये जाते हैं उस जिला न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे और उस दशा में, जिसमें कि वे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किये जाते हैं ठीक वरिष्ठ न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे।

63.(1) जय कोई न्यायालय अपनी सिविल या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करते हुये या कोई दण्डिक न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी लिखत को साम्यक रूप से स्ताम्पित रूप में जिसके लिये स्ताम्प अपेक्षित नहीं है या धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण करने का कोई आदेश देता है, तो वह न्यायालय, जिसको ऐसे प्रथम वर्णित न्यायालय से अपील होती है या निर्देश किये जाते हैं, स्वप्रेरणा से या कलेक्टर के आवेदन पर, ऐसे आदेश पर विचार कर सकेगा।

स्टाम्प की पर्याप्तता के सम्बन्ध में न्यायालयों के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण

(2) यदि ऐसे न्यायालय की इस प्रकार विचार करने के पश्चात् यह राय है कि ऐसी लिखत धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दिये बिना या दिये गये शुल्क और शास्ति से अधिक शुल्क और शास्ति के दिये बिना, साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये था, तो वह उस आशय की एक घोषणा अभिलिखित करेगा और शुल्क की जिससे ऐसी लिखत प्रभाय है, राशि अवधारित करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे में या शक्ति में ऐसी लिखत उस समय है, वह लिखत प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और प्रस्तुत किये जाने पर उसे परिवर्द्ध कर सकेगा।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अभिलिखित की गई है, तब उसे अभिलिखित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा, और जहां उससे सम्बन्धित लिखत परिवर्द्ध की गई है या अन्यथा ऐसे न्यायालय के कब्जे में है वहां वह ऐसी लिखत भी उसे भेजेगा।

(4) कलेक्टर, तदुपरि, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश में अथवा धारा 45 या धारा 46 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र में किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यक्ति को स्टाम्प विधि के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसके बारे में कलेक्टर का यह विचार है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत यह अपराध किया है, अभियोजित कर सकेगा।

परन्तु-

(क) ऐसा कोई भी अभियोजन उस दशा में जिसमें शुल्क और शास्ति सहित वह राशि जो ऐसे न्यायालय के अवधारण के अनुसार धारा 39 के अधीन लिखत की बाबत देय थी, कलेक्टर को दे दी गई है, तब के सिवाय संस्थिति नहीं किया जाएगा जबकि वह यह समझता है कि अपराध उचित शुल्क देने में अपवर्धन करने के आशय से किया गया था।

(ख) ऐसे अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई कोई भी घोषणा, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के किसी आदेश या धारा 45 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय-7

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

ऐसी लिखत के जो सम्यक् रूप से स्टांभित नहीं हैं, निष्पादन आदि के लिए शास्ति

64. (1) कोई व्यक्ति जो शुल्क से अपवर्धन करने आशय से शुल्क से प्रभार्य, किसी लिखत को उसे सम्यक् रूप से स्टांभित किये बिना निष्पादित करता है या साक्षी के रूप से भिन्न हस्ताक्षर करता है तो दोषसिद्ध होने पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छह माह तक हो सकेगा और जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा:-

परन्तु जब धारा 39, धारा 43 या धारा 49 के अधीन किसी लिखत के सम्बन्ध में कोई शास्ति दे दी गयी है तो ऐसी शास्ति की राशि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी शास्ति दे दी है, उसी लिखत सम्बन्ध में इस धारा के अधीन अधिरूपित किये गये जुर्माने से (यदि कोई हो) कम कर दी जायेगी।

(2) यदि शेरर वारण्ट सम्यक् रूप से स्टांभित किये बिना निर्गमित किया गया है तो उसे निर्गमित करने वाली कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उसके निर्गमित किये जाने के समय उस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी है, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसी लिखत के सम्बन्ध में, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो और जिसे न्यायालय द्वारा ऐसे विनिश्चय के पश्चात् स्वीकार किया गया हो कि उक्त लिखत सम्यक् रूप से स्टांभित था या कोई स्टांभ अपेक्षित नहीं था, अभियोजन नहीं चलाया जायेगा।

समाशोधन सूची में मिथ्या घोषणा करने के लिए शास्ति

65. कोई व्यक्ति जो किसी अनापत्ति सूची में ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या हो या जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि यह मिथ्या है, दोष सिद्ध होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छः माह तक हो सकेगी और जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिये शास्ति

66. यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 17 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गई रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 33 के उपवर्धों का अनुपालन करने में लोप करने के लिये शास्ति

67. जो कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के आशय से-

(क) कोई ऐसी लिखत निष्पादित करेगा जिसमें वह तथ्य और परिस्थितियां जिनकी बाबत धारा 33 के अधीन यह अपेक्षित है कि वे ऐसी लिखत में उपवर्धित की जायें पूर्णतः और सत्यतः उपवर्धित नहीं की गई है, या

(ख) किसी लिखत के तैयार करने में नियोजित होने पर या उसके बारे में सम्बन्धित होने पर, उसमें सभी ऐसे तथ्य और परिस्थितियां पूर्णतः और सत्यतः उपवर्धित करने में उपेक्षा करेगा या लोप करेगा, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन सरकार को किसी शुल्क या शास्ति से वंचित करने की परिकल्पना से कोई अन्य कार्य करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

68 (1) जहां किसी लिखत (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट लिखत न हो) के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन शुल्क अदा करने के लिये दायी कोई व्यक्ति धारा 64 या 67 के अधीन अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट, किसी दण्ड, जो ऐसे अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता है, के अतिरिक्त उस लिखत के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन शुल्क या शास्ति की किसी धनराशि, यदि वकायां हो, की वसूली का निर्देश दे सकेगा और ऐसी धनराशि भी वसूल की जाने योग्य होगी, मानो यह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

(2) ऐसी वसूली पर कलेक्टर तदनन्तर, लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा, प्रमाणित करेगा कि उचित शुल्क या शास्ति, यथास्थिति, उसके सम्बन्ध में उद्गृहीत किया गया है।

स्टाम्प शुल्क में कमी की धनराशि की वसूली

69. जो कोई व्यक्ति—

(क) स्टाम्पों के विक्रय के लिये नियुक्त होते हुये इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और

(ख) इस प्रकार नियुक्त न होते हुये किसी स्टाम्प का, (जो दस पैसे या पांच पैसे वाले चिपकाने वाले स्टाम्प से भिन्न है) विक्रय करेगा या उसे विक्रय के लिये प्रस्थापित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्टाम्पों के विक्रय से सम्बन्धित नियम के भंग के और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति—

70(1) जो इस अधिनियम या एतद्द्वारा निरसित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराध की बाबत कोई भी अभियोजन, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार साधारणतः या कलेक्टर विशेषतः प्राधिकृत करे, मन्जूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा साधारणतः या विशेषतः प्राधिकृत अन्य अधिकारी किसी ऐसे अभियोजन को रोक सकेगा या किसी ऐसे अपराध का शमन कर सकेगा।

(3) किसी ऐसे शमन की राशि, धरा 48 द्वारा उपबन्धित रीति से वसूलीनीय होगी।

71. प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट से या ऐसे मजिस्ट्रेट से, जिसकी शक्तियां द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से कम नहीं हैं, भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

72. किसी लिखत की बाबत किया गया ऐसा हर अपराध, किसी जिले में, जिसमें ऐसी लिखत पाई गई है, और साथ-साथ किसी जिले में, जिसमें ऐसा अपराध तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) के अधीन विचारित किया जा सकता है, विचारित किया जा सकेगा।

अभियोजन का संस्थित किया जाना और संचालन

मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता

विचारण का स्थान

अध्याय—8

अनुपूरक उपबन्ध

73. प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्सम्यन्धी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के सम्बन्ध में कोई कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाये, कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति जिसका कार्य यह देखना है कि उचित शुल्क दिया है या नहीं, को ऐसे प्रयोजन के लिये किसी शुल्क या प्रभार के बिना उन रजिस्ट्रों, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करने देगा और, जो टिप्पणी और उद्घरण वह आवश्यक समझे, लेने देगा।

पुरतकें आदि निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी

सूचना, लिखत या अभिलेख मंगाने की कलेक्टर की शक्ति

74(1) जहाँ कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, स्टाम्प अपर आयुक्त, स्टाम्प उप आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त के पास विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क से गलत रूप से प्रभारित किया गया है वहाँ वह या उनके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत, कोई अन्य अधिकारी (जिसे 'प्राधिकृत अधिकारी' कहा जाएगा) सम्बन्धित व्यक्ति से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लिखत, रजिस्टर, पुस्तकें, अभिलेख, कागज आदि, मानचित्र, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हों, या अनुरक्षण कर रहा हो, से उसके समक्ष या प्राधिकारी प्राधिकारी के समक्ष ऐसी लिखत या कोई अन्य सुसंगत अभिलेख जो उससे सम्बन्धित हो, जिसमें रजिस्टर, पुस्तकें अभिलेख कागज आदि मानचित्र, दस्तावेज या कार्यवृत्त सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद 'सम्बन्धित व्यक्ति' में व्यक्तियों का निकाय, कोई सांविधिक प्राधिकरण या संघ, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है।

(2) यदि कोई व्यक्ति, कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त, या सहायक स्टाम्प आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (1) के अधीन ऊपर उल्लिखित अपेक्षित लिखत या अन्य अभिलेख को बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रस्तुत करने में जानबूझकर विफल रहे तो कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त ऐसे व्यक्ति को शास्ति के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव है, इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

परन्तु यह और कि इस उप धारा के अधीन पारित आदेश के सम्बन्ध में तीस दिन के भीतर या ऐसी बड़ी हुई अवधि के भीतर जिसकी इस विषय में अनुमति दी जाय, मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी को अपील की जा सकती है जो कि अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उस विषय में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह न्यायपूर्ण और उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा।

स्टाम्पों के विक्रय से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति

75. राज्य सरकार निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी:—

(क) स्टाम्पों, ई स्टाम्प, फ्रैकिंग मशीन, इन्टरनेट का प्रयोग करके या किसी अन्य मशीन द्वारा स्टाम्प और स्टाम्पित कागजों के प्रदाय और विक्रय,

(ख) वे व्यक्ति केवल जिनके द्वारा ऐसा विक्रय संचालित किया जायेगा, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस, परन्तु ऐसे नियम दस पैसे या पांच पैसे के चिपकने वाले स्टाम्पों के विक्रय को निबन्धित नहीं करेंगे।

साधारणतः अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

76. राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होंगे।

कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन

77. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित प्रत्यायोजन कर सकेगी।

(क) मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकारी को धारा 2 के खण्ड (पाँच) धारा 38 की उपधारा (3) और धारा 70 की उपधारा (1) और धारा 75 द्वारा प्रदत्त की गयी सभी या कोई भी शक्तियाँ, और

(ख) किसी अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारी को जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, धारा 11, धारा 58 की उपधारा (1) धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई सभी या कोई शक्तियाँ।

78. धारा 7 की नकल के परन्तुक के अतिरिक्त इस अधिनियम की कोई भी बात, न्यायालय फीस सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्ति अधिनियमिति के अधीन प्रभार्य शुल्कों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

न्यायालय फीस के बारे में व्यावृत्ति

79. सभी स्टाम्प जो चार आने या उसके गुणित वाले हों, यथास्थिति, पच्चीस पैसे या उसके गुणित वाले मूल्य के स्टाम्प समझे जायेंगे और तदनुसार इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होंगे।

कतिपय स्टाम्पों के बारे में व्यावृत्ति

80. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899), जहां तक यह संविधान की सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची की सूची तीन की प्रविष्टि 44 से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी का विस्तार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की प्रवृत्ति

81(1) उत्तर प्रदेश राज्य में यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची प्रथम की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से सम्बन्धित है, के सिवाय उसे एतद्वारा निरसित किया जाता है और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) के उपबन्ध ऐसे निरसन पर प्रवृत्त होंगे।

अपवाद और निरसन

परन्तु यह कि एतद्वारा निरसन से—

(एक) किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व जो पहले से अर्जित, उपाप्त या उपगत हो या की गयी या भुक्त किसी पर

(दो) ऐसे अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व के सम्बन्ध में किसी विधिक कार्यवाही या उपचार (एतद्वारा निरसित) अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी कोई कार्यवाही संस्थित, जारी और निस्तारित की जा सकती है और किसी ऐसे उपचार को प्रवृत्त किया जा सकता है, मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो।

(2) एतद्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन की गयी या जारी कोई नियुक्ति अधिसूचना, नोटिस, आदेश नियम या प्रारूप को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया या जारी समझा जाएगा, जहां तक ऐसी नियुक्तियां, अधिसूचनाएं, नोटिस, आदेश नियम या प्रारूप इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न हो और वे तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन की गयी या जारी किसी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम या प्रारूप द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।

(3) चार आना या उसके गुणांकों के नाम के सभी स्टाम्पों को पच्चीस नये पैसे या यथास्थिति उनके गुणांकों के मूल्य का स्टाम्प समझा जाएगा और तदनुसार विधिमान्य होंगे।

अनुसूची

देखिये धारा 3 और धारा 80

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 के अधीन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
1. अभिस्वीकृति - किसी ऋण की राशि या मूल्य में एक हजार रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी वही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाये या हस्ताक्षरित की जाये, जबकि ऐसी वही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो :	दस रुपये
परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या व्याज देने का, या किसी माल या अन्य सम्पत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।	
2. प्रशासन बन्धपत्र - जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1925) की धारा 291, 375 और 376 या गवर्नमेन्ट सैविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1873) की धारा 6 के अधीन दिया गया कोई बन्धपत्र है।	वही शुल्क जो ऐसी राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) पर देय है, अधिकतम दो सौ रुपये।
3. दत्तक विलेख - अर्थात् कोई लिखत (वसीयतनामा से भिन्न) जो दत्तक ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।	एक सौ रूपया
<i>अधिवक्ता - अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि संख्या-17 देखिए</i>	
4. शपथ-पत्र- जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में जो शपथ लेने के वजाय प्रतिज्ञान करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।	दस रुपये
छूटें	
लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जबकि वह:-	
(क) सेना अधिनियम, 1950, (अधिनियम संख्या 40 सन् 1950), वायु सेना अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1950) या नौसेना अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 62 सन् 1957) के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में, या	
(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेन्शन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए की गई है।	
5. करार या इसका अभिलेख या करार का ज्ञापन-	
(क) यदि वह विनियम-पत्र के विक्रय से सम्बन्धित है,	प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए, एक रुपये,
(ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से सम्बन्धित है,	प्रतिभूति के क्रय या विक्रय, जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 1,00,000 रुपये या उसके भाग के लिए, पचास पैसे,
(ग) यदि वह किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयरों, स्क्रिप्स, स्टॉक्स, बंधपत्रों, डियेन्चर	

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

स्टॉक्स, या समान प्रकृति के किसी अन्य विपण्य प्रतिभूति के कय या विकय से सम्बन्धित हो-

(एक) जब ऐसा करार या करार का ज्ञापन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ या उनके माध्यम से हो,

(दो) किसी अन्य मामले में,

प्रतिभूति के कय या विकय, जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,

प्रतिभूति के कय या विक्रय, जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,

(घ)

(एक) यदि वह कपास के कय या विकय से सम्बन्धित हो,

(दो) यदि वह सोना, चाँदी के कय या विकय से सम्बन्धित हो,

(तीन) यदि वह तिलहन के कय या विकय से सम्बन्धित हो,

(चार) यदि वह किसी प्रकार के यार्न, गैर-खनिज तेल या किसी प्रकार के मसालों के कय से सम्बन्धित हो,

कपास के मूल्य के प्रत्येक 10000 या उसके भाग के लिए एक रूपया,

सोना या चाँदी या सांवेरिन, जैसी स्थिति हो, के मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,

तिलहन के मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,

किसी प्रकार के यार्न, गैर-खनिज तेल या किसी प्रकार के मसालों जैसी स्थिति हो, के मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया।

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद-22, 44 या 52 जैसी स्थिति हो के अधीन संदत्त कोई शुल्क खण्ड (ख) (ग) (घ) - (एक) (दो) (तीन) और (चार) के अधीन प्रभार्य शुल्क के सापेक्ष संमायोजित की जायेगी।

(ङ)

यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विकय से सम्बन्धित है जहाँ कब्जे का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो :

परन्तु जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन उक्त करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किया जाय, तब खण्ड (ग) के अधीन संदेय शुल्क के आधिक्य का समायोजन हस्तान्तरण-पत्र पर देय शुल्क के प्रति किया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त करार ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विखण्डित कर दिया जाय तो ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क को, एक सौ रूपये की न्यूनतम कटौती के अधीन रहते हुए, ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का दस प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात, वापस कर दिया जायेगा।

प्रतिफल की धनराशि, जैसा लिखत में दी गयी है, पर प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए, दस रूपये,

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(च) यदि वह किसी भूमि पर, किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बन्धित हो और उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा।	प्रतिफल की राशि, जैसी कि करार में अंकित है या अचल सम्पत्ति जो करार की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य में से, जो अधिक हो, पर प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए बीस रुपये,
स्पष्टीकरण -	
(1) पद 'भूमि' में वे वस्तुएँ जो भूबद्ध हों या किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकडी हुई हों, भी सम्मिलित होंगी,	
(2) पद 'पट्टेदार' का तात्पर्य शाश्वतकाल के लिए या तीस वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए पट्टाधारक से होगा,	
(3) पद 'भवन' का तात्पर्य एक से अधिक 'अपार्टमेंट' और/या एक से अधिक 'वाणिज्यिक इकाई' वाले भवन से है, जहाँ पर 'अपार्टमेंट' का तात्पर्य किसी सम्पत्ति के भाग से है, जो स्वतन्त्र प्रयोग के लिए आशयित हो और जिसमें कि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु आशयित किसी एक या अधिक तल पर अवस्थित एक या अधिक कमरे या बंद स्थान सम्मिलित है, जो कि आवासीय प्रयोजन के लिए आशयित हो और जिसमें किसी सार्वजनिक मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर या ऐसे मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर निकलने वाले किसी सार्वजनिक क्षेत्र/स्थान पर सीधा निकास हो और जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ एक स्वतन्त्र आवासीय इकाई बनता हो और पद 'वाणिज्यिक इकाई' का तात्पर्य भवन या वाणिज्यिक भवन संकुल में एक या अधिक तत्व पर या अवस्थित बन्द स्थान को सम्मिलित करते हुए किसी पृथक पहचान योग्य सम्पत्ति या उसका कोई हिस्सा या हिस्सों से है, जो कि कोई वृत्ति चलाने या कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप, धन्धा, व्यवसाय या व्यापार चलाने के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाय और जिसमें किसी सार्वजनिक मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर या ऐसे मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर निकलने वाले किसी सार्वजनिक क्षेत्र/स्थान पर सीधा निकास हो और जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ एक स्वतन्त्र वाणिज्यिक इकाई बनता हो और इसके अन्तर्गत भवन में कोई गोदाम भी सम्मिलित है जिसमें कि ऐसी इकाई के स्वामी द्वारा सामान (माल) रखने के लिए ऐसी इकाई अवस्थित है।	
(छ) यदि-	
(एक) लाभ कमाने या उससे व्यापार करने के आशय से किसी उत्पाद, या कार्यक्रम या आयोजन के संवर्धन हेतु मास मीडिया पर किसी विज्ञापन से सम्बन्धित हो,	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए, दो रुपये।
(दो) किसी आयोजन या फिल्म की टेलिकास्टिंग, ब्राडकास्टिंग या प्रदर्शन का अनन्य अधिकार प्रदान करना,	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए, दो रुपये।
(तीन) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा विशिष्ट कार्यक्रम जहाँ संविदा का मूल्य 1,00,000 रुपये से अधिक हो,	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए, दो रुपये।
(चार) किसी दायित्व, अधिकार या हित का सृजन जिसका आर्थिक मूल्य हो, परन्तु इस अनुच्छेद के अर्धन आच्छादित न हो	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये।

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(पांच) कापीराइट एक्ट, 1957 (अधिनियम संख्या-14 सन 1957) के अधीन कापी राइट (प्रतिलिपि अधिकार) का समनुदेशन .	ऐसे समनुदेशन के लिए हस्ताक्षरित मूल्य के संविदा में अनुबन्धित धनराशि पर प्रत्येक 1000 रूपये या उसके भाग के लिए, दो रूपये। एक सौ रूपये ।
(ज) यदि अन्यथा उपबन्धित न हो.	
छूट	
जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किये गये हैं जो किसी उधार के लिए हैं, या उससे सम्बन्धित हैं।	
पट्टे के लिए करार— (संख्या 35) देखिये।	
लीज का इकरार— लीज (संख्या 35) देखिये।	
6. हक-विलेखों के निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार—अर्थात् निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत—	
(1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी सम्पत्ति पर (विषय प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष्य हो जाता है : या	
(2) जंगम सम्पत्ति का पण्यम, आडमान या गिरवी, जहां कि ऐसा निक्षेप, पण्यम, आडमान, या गिरवी, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है—	
(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है:	
उधार या ऋण की रकम के प्रत्येक 1000 रूपये या उसके भाग के लिए,	पांच रूपये, अधिकतम दस हजार रूपये।
स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए, हक-विलेखों के निक्षेप से सम्बन्धित कोई कागजादि, टिप्पण या ज्ञापन या लेख चाहे हक-विलेखों के निक्षेप के प्रभावी होने के समय या उसके पूर्व या पश्चात लिखे या बनाये गये हों और चाहे वह प्रथम उधार या किसी पश्चातवर्ती उधार के सम्बन्ध में हों, ऐसे कागजादि, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को हक-विलेखों के निक्षेप के सम्बन्ध में किसी पृथक करार की अनुपस्थिति में, हक विलेखों के निक्षेप से सम्बन्धित करार को साक्ष्य करने वाला लिखत समझा जायेगा।	
(ख) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत के दिनांक से तीन मास से अधिक नहीं है।	शुल्क का आधा जो ऐसी प्रतिभूति राशि के लिए खण्ड (क) के अन्तर्गत उधार या ऋण पर लगता है।
छूट	
कृषि उत्पाद के पण्यम, आडमान या गिरवी की कोई लिखत, यदि वह अप्रमाणित हो।	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
7.	<p>किसी अधिकार के क्रियान्वयन में नियुक्ति -</p> <p>स्थावर सम्पत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो.</p> <p>(क) जहां सम्पत्ति का मूल्य 1,000 रुपये से अधिक नहीं है.</p> <p>(ख) अन्य स्थिति में</p>	<p>पचास रुपये.</p> <p>एक सौ रुपये।</p>
8	<p>दशा या मूल्यांकन आंकना - जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्वया किया गया है-</p> <p>(क) जहां कि राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं है.</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में.</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसी राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो एक हजार रुपये के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।</p>
	<p>छूटें</p> <p>(क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिये किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आवद्धकर नहीं है।</p> <p>(ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली राशि अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये फसलों को आंकना।</p>	
9	<p>शिक्षुता विलेख- जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक या सेवा या अध्यापन से सम्बन्धित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है किन्तु जो क्लर्की के आर्टिकिल्स (संख्या 11) नहीं है।</p>	बीस रुपये
	<p>छूट</p> <p>शिक्षुता लिखत, जो एप्रेण्टिसेज एक्ट, 1850 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1850) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है।</p>	
10	<p>कम्पनी के संगम अनुच्छेद</p>	पांच सौ रुपये
	<p>छूट</p> <p>ऐसे संगम के अनुच्छेद जो लागार्जन के लिये नहीं बनाया गया है और जो इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1913 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1913) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।</p> <p>कम्पनी की संगम ज्ञापन (संख्या 40) भी देखिये।</p>	
11	<p>क्लर्की के आर्टिकिल्स - संविदा या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति इस दृष्टि से कि वह उच्च न्यायालय में अटॉर्नी के रूप में दर्ज हो सके, क्लर्क के रूप में सेवा करने के लिए आवद्ध होता है.</p> <p>समनुदेशन- यथास्थिति देखिये- हस्तान्तरण-पत्र</p>	चार सौ रुपये

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

	(संख्या 24). अन्तरण (संख्या 60) और पट्टे का अन्तरण (संख्या 61)	
	अटॉर्नी- गुख्तारनामा (संख्या 48) वाली प्रविष्टि देखिये।	
	दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार- दत्तक-विलेख (संख्या 3) देखिये।	
12	पंचाट --अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय, जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है-- (क) जहां कि उस सम्पत्ति की, जिससे पंचाट सम्बन्धित है, राशि या मूल्य, जो पंचाट में उपवर्णित हो, 1,000 रुपये से अधिक नहीं है. (ख) यदि यह 1,000 रुपये से अधिक है तो प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए (ग) जहां पंचाट की विषयवस्तु मूल्यांकन में असमर्थ है।	वही शुल्क, जो उतनी ही राशि के बाण्ड (संख्या 14) पर लगता है. दस रुपये. वही शुल्क जो 10000 रुपये की राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।
	छूट उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 324 (1) या उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अधिनियम, 1922 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1922) की धारा 191 के अन्तर्गत पंचाट।	
13	बैंक गारण्टी -- किसी संविदा के सम्यक पालन या किसी दायित्व के सम्यक निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू के रूप में किसी बैंक द्वारा निष्पादित गारण्टी विलेख-- प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए,	पांच रुपये परन्तु अधिकतम दस हजार रुपये।
	बिल ऑफ एक्सचेंज- देखें संख्या-13 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची बिल ऑफ लेडिंग- देखें संख्या-14 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची	
14	बाण्ड- जैसा कि धारा 2 (तीन) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेंचर संख्या 27 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूचीद्व नहीं हैं और जिसके लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) द्वारा अन्यथा उपलब्ध नहीं किया है-- जहां कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 100 रुपये से अधिक नहीं है: जहां कि वह 100 रुपये से अधिक किन्तु 1000 रुपये से अधिक नहीं है: और 1000 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1000	चार रुपये चालीस रुपये चालीस रुपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	<p>रूपये या उसका भाग के लिए . देंखें एडमिनिस्ट्रेशन बांड (संख्या 2) बाटमरी बांड (संख्या 15) कस्टम्स बांड (संख्या 27) इन्डेमिनिटी बांड (संख्या 33) रैस्पान्डेन्शिया बांड (संख्या 54) सिक्योरिटी बांड जो बन्धक पत्र नहीं हैं (संख्या 55)</p>	
	छूट	
	<p>जब किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रतिभूति के प्रयोजनार्थ, बन्धपत्र निष्पादित किया जाय कि किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी या चिकित्सालय या सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु हेतु निजी अभिदान से प्राप्त स्थानीय आय, प्रति माह एक विनिर्दिष्ट धनराशि से कम न होगी।</p>	
15	<p>पोत-बन्ध पत्र - अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परीक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।</p>	<p>वही शुल्क जो उतनी राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।</p>
16	<p>रद्द कर देने का लिखत - जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है, (जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्द कर दी गयी है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।</p>	<p>एक सौ रूपये</p>
	<p>अवगोचन (संख्या 53) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण [संख्या 56(ख)], पट्टे का अग्रर्पण (संख्या 59), न्यास का प्रतिरांहरण [(संख्या 62(ख)) भी देखिये।</p>	
17	<p>नामांकन प्रमाण पत्र- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) की धारा 22 के अन्तर्गत-उत्तर प्रदेश राज्य बार काउन्सिल द्वारा जारी किया गया नामांकन प्रमाण पत्र।</p>	<p>पांच सौ रूपये</p>
18	<p>प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र- नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1952) की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटरी की तरह प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र या उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसे प्रमाण पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन।</p>	<p>दो सौ रूपये</p>
19	<p>विक्रय प्रमाण पत्र - (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के केता को किसी न्यायालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत दिया गया है।</p>	<p>वही शुल्क जो केवल कय धन की राशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण [(संख्या 24 खण्ड (क)) पर लगता है।</p>

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
20	प्रमाण पत्र या अन्य लेखपत्र - जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के किसी शेयर, स्क्रिप या स्टॉक सम्बन्धी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय या उसके शेयर, स्क्रिप या स्टॉक का स्वागी होने सम्बन्धी अधिकार या हक को साक्षित करता है। <i>(शेयरों के आवंटन का पत्र (संख्या 37) भी देखें।)</i>	एक रुपया
21	चार्टर पार्टी - अर्थात् कोई विलेख (टग-स्टीगर के किराये के करार के सिवाय) जिससे कोई जलयान या उसका कोई प्रमुख विनिर्दिष्ट भाग चार्टर के सुनिश्चित प्रयोजन के लिए भाडे पर दिया जाये, चाहे उसमें शारित का उपबन्ध हो या नहीं।	दस रुपये
22	(1) समाशोधन सूची - जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की गयी किसी सरकारी प्रतिभूति के कय या विकय के संव्यवहार से सम्बन्धित हो। (2) समाशोधन सूची - जो किसी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन 1956) के अधीन मान्यता प्राप्त हो या न हो, के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की गयी किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, विलेख, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक के कय या विकय के संव्यवहार से सम्बन्धित हो। (3) समाशोधन सूची जो काटन संघ को प्रस्तुत की गयी काटन के कय या विकय के संव्यवहार से सम्बन्धित हो।	यथास्थिति अनुच्छेद 44(छ) या अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि के सम्बन्ध में ऐसी सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए यथास्थिति प्रतिभूतियों के गैकिंग अप मूल्य पर या करार मूल्य पर आगणित मूल्य. यथास्थिति अनुच्छेद 44 (च) या अनुच्छेद 5 (ग) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि के सम्बन्ध में ऐसी सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए यथास्थिति प्रतिभूतियों के गैकिंग अपमूल्य या करार मूल्य पर आगणित मूल्य. यथास्थिति अनुच्छेद 5(ध) (एक) या अनुच्छेद 44 (क) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि जो ऐसी सूची के प्रत्येक प्रविष्टि के मूल्य के सम्बन्ध में
23	प्रशमन विलेख- अर्थात् किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के लाभ के लिए अपनी सम्पत्ति, हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारोबार को उसके लेनदारों के लाभ के लिए, चालू रखने के लिए उपबन्ध किया जाता है।	पचास रुपये
24	हस्तान्तरण पत्र - धारा 2(आठ) द्वारा यथापरिभाषित, जो ऐसा अन्तरण नहीं है जिसके लेखे पर संख्या 60	

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
<p>के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गयी है—</p> <p>(क) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है जहाँ ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य या उस सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य, जहाँ से जो भी अधिक हो,—</p>	
<p>500 रूपये से अधिक न हो, जहाँ वह 500 रूपये से अधिक है किन्तु 1000 रूपये से अधिक न हो, और 1000 रूपये से अधिक प्रत्येक 1000 रूपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए :</p>	<p>चालीस रूपये अरसी रूपये अरसी रूपये</p>
<p>परन्तु यह कि यदि सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) के अधीन गठित किसी स्थानीय निकाय द्वारा, या उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पूर्व-अवधारित मूल्य के आधार पर किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है, तो ऐसे निकायों द्वारा अवधारित मूल्य विषयगत सम्पत्ति का बाजार मूल्य होगा।</p>	
<p>स्पष्टीकरण — इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए "पूर्व अवधारित मूल्य" में उपरिलिखित प्राधिकरणों द्वारा आवंटी पर अन्तरित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगाया गया ब्याज और/या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित है।</p>	
<p>(ख) यदि स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है— सहकारी समितियों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी गयी किसी सहकारी आवास समिति द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में या</p>	<p>प्रतिफल या ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधे पर हस्तान्तरण [(संख्या-24 खण्ड (क)) पर देय शुल्क के समान।</p>

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

(ग) यदि किसी सहकारी आवास समिति के किसी विद्यमान सदस्य की स्थावर सम्पत्ति के शेयर का अन्तरण किसी अन्तर्गामी व्यक्ति के पक्ष में उक्त सहकारी आवास समिति द्वारा नवीन शेयर जारी किये जाने या जब ऐसा अन्तरण किसी विद्यमान सदस्य के शेयर सर्टीफिकेट में किसी अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में पृष्ठांकन द्वारा किये जाने से सम्बन्धित है,

परन्तु यह कि जब उपर्युक्त खण्ड (ग) में यथाउपबन्धित शेयरों के ऐसे अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो और जब ऐसे शेयरों के अन्तरण के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र निष्पादित किया जाय तो ऐसे हस्तान्तरण पर शुल्क एक सौ रुपये होगा।

छूट

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत सगड़ी गयी किसी सहकारी समिति जो सहकारी आवास समिति नहीं हो के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण की लिखत पर।

(घ) यदि जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित है :

जहां ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल का उसमें यथा निर्धारित धनराशि या मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो

और एक हजार रुपये से अधिक प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए

(ङ.) (एक) यदि उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 394 के अधीन या बैंकिंग रेग्यूलेशन अधिनियम, 1949 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1949) की धारा 44-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अधीन कम्पनियों के विलयन और पुनर्गठन के सम्बन्ध में, या

(दो) जिसके द्वारा कोई निगमित कम्पनी या निगमित निकाय अपनी सम्पत्ति का अन्तरण, किसी अन्य निगमित कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में, नियन्त्रक हित के रूप में इक्विटी शेयरों के अन्तरण द्वारा करता है.

ऐसी सम्पत्ति के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर हस्तान्तरण [(संख्या-24 खण्ड(क))] पर देय शुल्क के समान.

बीस रुपये

बीस रुपये

निम्न का दस प्रतिशत--

बदले में या अन्यथा रूप से निर्गमित या आवंटित या अन्तरित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे विलयन के लिए भुगतान किये गये प्रतिफल की धनराशि का योग, या

नियन्त्रक हित के रूप में अन्तरित किये गये इक्विटी शेयरों का बाजार मूल्य :

परन्तु यह कि इस

खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क की धनराशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी--

(एक) अन्तरण करने वाली कम्पनी के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य धनराशि.

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

(दो) बदले में या अन्यथा रूप में निर्गमित या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य और ऐसे विलयन के लिए भुगतान की गयी प्रतिफल की धनराशि के योग के 0.7 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, जो (एक) या (दो) में अधिक हो :

परन्तु यह और कि पुनर्गठन या विलयन भंग की दशा में प्रभाय शुल्क निम्नवत से अधिक नहीं होगा-

(एक) निर्विलीन कम्पनी द्वारा परिणामी कम्पनी को उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित किसी स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, या

(दो) परिणामी कम्पनी के निर्गमित या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य के योग के 0.70 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि और ऐसे विलयन भंग के लिए भुगतान की गयी प्रतिफल की धनराशि, जो भी अधिक हो.

छूट

भारत के निवासी द्वारा, या भारत में प्रथमतः प्रकाशित संगीत सम्बन्धी कार्यों में प्रतिलिप्यान्तरण का समनुदेशन ।

स्पष्टीकरण-1

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामले में, जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाये या हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना कब्जा दे दिये जाने का करार किया गया हो, वहां करार को हस्तान्तरण-पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा:

परन्तु धारा 52 के उपबन्ध ऐसे करार पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे :

परन्तु यह और कि जब ऐसे कब्जा सहित करार जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा चुका है तथा ऐसे करार के अनुसरण में बाद में हस्तान्तरण पत्र उस करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे हस्तान्तरण पत्र पर स्टाम्प शुल्क एक सौ रूपये देय होगा या

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

और यदि ऐसे कब्जा सहित करार के अनुसरण में उसके निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् हरतान्तरण-- पत्र निष्पादित किया जाता है या तो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अदा किये गये स्टाम्प शुल्क को तथा खण्ड (ड.) के अन्तर्गत देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त हरतान्तरण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण -2

(एक) खण्ड (ड.) के प्रयोजन के लिए शेयर के बाजार मूल्य का तात्पर्य--

(क) ट्रान्सफरी कम्पनी के सम्बन्ध में, जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड हैं तथा जिनका मूल्य स्टाक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए घोषित किया जाता है, आमेलन की योजना में निश्चित दिनांक को शेयरों के बाजार मूल्य से है, और यदि कोई ऐसा दिनांक निश्चित नहीं है, तो उच्च न्यायालय के आदेश का दिनांक,

(ख) ट्रान्सफरी कम्पनी के सम्बन्ध में, जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं / या लिस्टेड हैं परन्तु जिनका मूल्य स्टाक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए घोषित नहीं किया जाता है, ट्रान्सफरर कम्पनी के शेयरों के बाजार मूल्य के सन्दर्भ में जारी किये गये या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य या कलेक्टर द्वारा ट्रान्सफरी कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निश्चित बाजार मूल्य से है.

(दो) अनुच्छेद (ड.) के प्रयोजन के लिए एक्सचेंज हेतु जारी किये गये या आवंटित किये गये या अन्यथा प्राप्त शेयर का अर्थ वही होगा जो एक्सचेंज रेशियो के आधार पर विनिश्चित दिनांक को ट्रान्सफरर कम्पनी के खाते में हों।

प्रति या उद्धरण-- जिसेकी बावत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है, और जो न्यायालय फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं हैं--

- (एक) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, दस रूपये से अधिक नहीं है। दस रूपये
- (दो) किसी अन्य मामले में जो धारा 7 के उपबन्धों के भीतर न आता हो। दस रूपये

छूटें

- (क) किसी ऐसे कागज पत्र की प्रतिलिपि जिसके सम्बन्ध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाये या दे।	
26	(ख) जन्म, बपतिस्म, नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह-विच्छेद, मृत्यु या दफन से सम्बन्धित किसी रजिस्टर की या उसमें किसी उद्धरण की प्रतिलिपि। प्रतिलेख या द्वितीय प्रति- किसी विलेख का, जिस पर शुल्क प्रभाय्य हो और जिसके लिए उचित शुल्क अदा किया गया हो।	
	(क) जब मूल विलेख पर जो शुल्क प्रभाय्य है वह पचास रुपये से अधिक न हो.	वही शुल्क, जो मूल पर प्रभाय्य है
	(ख) अन्य किसी दशा में जो धारा 7 के प्राविधानों के अन्तर्गत न आता हो।	पचास रुपये
	छूट	
27.	किसी कृषक को दी गयी लीज का प्रतिलेख, जब लीज शुल्क से मुक्त हो। सीमा शुल्क बन्धपत्र	एक सौ पचास रुपये अधिकतम के अधीन बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
28	माल की बावत परिदान आदेश-अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसमें समनुदेशितियों या लिखत के धारक को किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भाण्डागर में, जहां माल भाटक या भाडे पर या घाट पर संग्रहीत या निक्षिप्त किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिए हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की सम्पत्ति के विक्रय या अन्तरण पर ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक हो।	दस रुपये
29	<i>हक विलेख का निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार - देखें हक विलेखों का निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार (संख्या 6) भागीदारी का विघटन देखें भागीदारी (संख्या 47) देखें।</i> तलाक - अर्थात् ऐसी लिखत जिससे कोई व्यक्ति अपने विवाह का विच्छेद करता है.	एक सौ रुपये
30	<i>देखिये मेहर की लिखत - व्यवस्थापन संख्या -56. प्रतिपर्ण-देखिये संख्या -26</i> सम्पत्ति का विनियम- सम्पत्ति के विनियम की लिखत जिसमें सम्पत्ति की घोषणा या गौखिक विनियम का अंकन या किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कोई डिग्री या अन्तिम आदेश भी है.	उच्चतम मूल्य की सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण [संख्या-24 खण्ड (क)] के समान शुल्क
31	<i>उद्धरण - देखिये प्रतिलिपि (संख्या-25)</i> अतिरिक्त भार - अर्थात् ऐसी कोई लिखत जो बंधक सम्पत्ति पर अतिरिक्त भार अधिरोपित करे.	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(क) जब मूल बन्धक अनुच्छेद संख्या 41 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार में किसी प्रकार का हो। (अर्थात् कब्जे सहित)	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूति किये गये और भार की राशि के समतुल्य प्रतिफल के हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड(क)] पर होता है,
	(ख) जब ऐसा बन्धक उस प्रकार का हो जिसका अनुच्छेद 41 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है (अर्थात् कब्जा रहित)	
	(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय उस लिखत द्वारा सम्पत्ति का कब्जा दिया जाये, या दिये जाने का करार हो—	प्रभार की कुल राशि (जिसमें मूल बन्धक और पहले अधिरोपित अतिरिक्त प्रभार भी शामिल है) के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण [(संख्या 24 खण्ड(क))] के समान शुल्क, उस बन्धक और अतिरिक्त प्रभार पर पहले अदा किये गये शुल्क को कम कर दिया जायेगा।
	(दो) यदि कब्जा इस प्रकार न दिया गया हो	उस लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क।
32	दान— की लिखत जो व्यवस्थापन संख्या (56) या वसीयत या अन्तरण (संख्या 60) न हो।	सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण [(संख्या 24 खण्ड (क))] के समान शुल्क
33	किराये का इकरार या नौकरी का इकरार (संख्या 5) क्षतिपूर्ति बांड	उसी राशि के लिए जमानती बन्धपत्र, जो बन्धक पत्र न हो (संख्या 55) के समान शुल्क
34	इन्सपेक्टरशिप डीड—देखें प्रशमन विलेख (संख्या 23) बीमा— देखें बीमा की पालिसी (संख्या 47) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची	एक सौ रुपये
35	लिखत शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, पूर्णतया लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए, पट्टा— जिसमें शिकमी पट्टा या उप लीज और किराये पर उठाने या शिकमी किराये पर देने या लीज के नवीकरण का करार शामिल है—	
	(क) जब ऐसे पट्टे में किराया नियत हो—और कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है—	
	(एक) जब पट्टा तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो,	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण राशि का दो प्रतिशत,

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(दो) जब पट्टा तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो.	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के तीन गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
(तीन) जब पट्टा पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो.	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के पांच गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
(चार) जब पट्टा दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो.	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के दस गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
(पांच) जब पट्टा बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो.	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के बीस गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
(छः) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(ख) जहां कि पट्टा किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां तक कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है।	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [(संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(दो) जहां कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है.	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(ग) जहां कि लीज आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है—	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है, या परिदत्त नहीं

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(दो) जहां कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है,	किया गया है, ऐसे लीज पर देय होता, परन्तु किसी भी दशा में जब लीज करने का करार लीज के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टांभित है, और ऐसे करार के अनुसरण में लीज तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे लीज पर स्टाम्प शुल्क पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
(घ) जहां भाड़ा विनिर्दिष्ट नहीं है और पट्टा लाभ के वितरण या आवर्त के प्रतिशत या अन्यथा के आधार पर, तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मंजूर किया गया है, वहां भाड़ा ऐसे प्रतिशत या समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अधीन कलैक्टर द्वारा नियत भाड़ा, जो भी अधिक हो, के आधार पर आगणित भाड़े के समान समझा जायेगा।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (संख्या 24 खण्ड (क)) पर देय हो।
(ड.) जहां पट्टा प्रीमियम और/या लाभ के वितरण या आवर्त के प्रतिशत या अन्यथा आधार पर तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रीमियम और/या भाड़े के अतिरिक्त मंजूर किया गया है,	जैसा खण्ड (क) में इस प्रकार आगणित किराये की धनराशि पर है,
परन्तु किसी भी पट्टे पर देय न्यूनतम शुल्क एक सौ रुपये होगा,	यथास्थिति खण्ड (घ) और खण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन आगणित शुल्क की धनराशि पर,
पर यह और कि सरकार द्वारा या किसी स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 के अधीन गठित) द्वारा या उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या संख्या 1 सन् 1966 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और कम्पनी अधिनियम, 1956, (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा	

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

कोई स्थावर सम्पत्ति पट्टे पर दी जाती है तो स्टाम्प शुल्क निम्नवत देय होगा—

(एक) जहां पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है—

(दो) जहां पट्टे को जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया हो और कोई किराया आरक्षित न हो

(तीन) जहां पट्टे को जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए आरक्षित किराये के अतिरिक्त मंजूर किया गया है और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है :

परन्तु यह भी कि यदि किसी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो और इसके पश्चात ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसरण में पट्टे की लिखित निष्पादित की गयी हो तो ऐसी डिक्री या आदेश पर पहले ही भुगतान किये गये और/या वसूले गये स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूट

खेतिहर की दशा में खेती के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कि नजराना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत्त किये बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्ति की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रूपया से अधिक नहीं है।

इस छूट में खेती के प्रयोजनों के लिए पट्टा में बागभूमि या तालाब के साथ कृषि के लिए भूमि का पट्टा भी शामिल किया जायेगा।

स्पष्टीकरण

(1) जब लीज-ग्रहीता ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का शेष, या मकान मालिक के भाग के म्युनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार लीजदाता से वसूल होते हैं, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियां जिनको अदा करने

औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के दस गुना के समतुल्य हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के लिए प्रतिफल की धनराशि के समान शुल्क

वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन के मूल्य के जो पट्टे में दिया है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) पर देय हो।

वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धनराशि या मूल्य के जो पट्टे में दिया है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) पर खण्ड (एक) के संबंध में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त हो।

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

का इकरार लीज ग्रहीता द्वारा किया गया हो, किराये का भाग समझी जायेगी।

(2) कोई अवधि निश्चित किये बिना माह दर माह या वर्ष दर वर्ष की लीज, या किसी निश्चित अवधि के लिए, लीज ग्रहीता को तात्पश्चात अनिश्चित काल तक बने रहने की शर्त के साथ दी गयी लीज, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ऐसी लीज मानी जायेगी जो किसी निश्चित अवधि के लिए अभिप्रेत न हो।

(3) अग्रिम अदा किया गया किराया इस अनुच्छेद के तात्पर्य से अग्रिम धन माना जावेगा, जब तक कि लीज में यह स्पष्ट प्राविधान न हो कि अग्रिम अदा किया गया धन लीज की अन्तिम किश्त या अन्तिम किश्तों में भुजरा किया जावेगा।

(4) वह सम्पूर्ण राशि जिसके लिए चुंगी लीज पर दी गयी हो, चाहे वह एक मुश्त अदा की जावे या किश्तों में, इस अनुच्छेद के प्रयोजन से नजराना मानी जावेगी।

(5) नजराना या अग्रिम धन या अग्रिम दी जाने वाली या जमा प्रतिभूति, चाहे किसी नाम से पुकारी जाए, के रूप में किसी प्रतिफल को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, आगे लायी गयी प्रीमियम समझी जाएगी।

(6) किराए की पूर्व निर्धारित दर के साथ लीज की अवधि के विस्तार के प्राविधान और लीज बढ़ाने के लिए लीजदाता के दायित्व को वर्तमान लीज की अवधि का एक भाग समझा जाएगा।

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36 | इजाजत और अनुज्ञप्ति - यदि अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित हो, जैसा कि सुखाचार अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1882) की धारा 52 में यथा परिभाषित है। | पट्टा (संख्या 35) के समान शुल्क |
| 37 | शेयरों के आवंटन का पत्र- किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी के शेयरों का, या किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी द्वारा लिए जाने वाला ऋण के सम्बन्ध में।
<i>प्रमाण पत्र या अन्य लेख-पत्र (संख्या 20) भी देखें।</i> | एक रूपया |
| 38 | लेटर ऑफ लाइसेंस- अर्थात् ऋणी और उसके साहूकारों के बीच ऐसा इकरार कि साहूकार किसी निश्चित समय तक अपने दावों को निलम्बित रखेंगे और ऋणी को अपने विवेकानुसार अपना व्यापार चलाने देंगे। | तीस रूपये |
| 39. | आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस-अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 54 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस या लाइसेंस का नवीनीकरण | |

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	को साक्षित करने वाला दरतावेज—	
(क)	निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित लाइसेंस (1)रिवाल्वर या पिस्टल (2)राइफल (3)डी0वी0वी0एल0 (आयुध) (4)एस0वी0वी0एल0 (आयुध) (5)एम0एल0 (आयुध)	दो हजार रुपये एक हजार पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये एक हजार रुपये दो सौ रुपये
(ख)	आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध गोला वारुद से सम्बन्धित लाइसेंस (1)प्रारूप 11 (2)प्रारूप 12 (3)प्रारूप 13 (4)प्रारूप 14	दस हजार रुपये दस हजार रुपये पाँच हजार रुपये तीन हजार रुपये
(ग)	निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित लाइसेंस का नवीकरण— (1)रिवाल्वर या पिस्टल (2)राइफल (3)डी0वी0वी0एल0 (आयुध) (4)एस0वी0वी0एल0 (आयुध) (5)एम0एल0 (आयुध)	एक सौ रुपये एक सौ रुपये एक सौ रुपये एक सौ रुपये एक सौ रुपये
(घ)	आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिए गए निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला वारुद से सम्बन्धित लाइसेंस का नवीकरण— (1)प्रारूप 11 (2)प्रारूप 12 (3)प्रारूप 13 (4)प्रारूप 14	तीन हजार रुपये तीन हजार रुपये दो हजार रुपये एक हजार रुपये
40	कम्पनी का मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन—	
(क)	यदि कम्पनीज अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 26 के अधीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ हो।	पांच सौ रुपये
(ख)	यदि उसके साथ न हो।	एक हजार रुपये

छूट

ऐसी किसी संस्था का मैमोरेण्डम जो लाभ के लिए न बनायी गयी हो और कम्पनीज अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।

41

बन्धक पत्र— जो हथकौट विलेखों के निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार (संख्या 6), वाटमरी बाँड (संख्या 15) फसल का बन्धक (संख्या 42), रेसोन्डेन्शिया बाँड (संख्या 56) या जमानती बाँड,

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
जो बन्धक पत्र न हो (संख्या 55), न हो।	
(क) जब उस पत्र में विहित सम्पत्ति पर, या उसके किसी भाग पर, बन्धककर्ता ने कब्जा दिया हो या देने पर इकरार किया हो.	उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के बराबर प्रतिफल के लिए प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए बीस रुपये
(ख) जब उपरोक्तानुसार कब्जा न दिया गया हो या देने का इकरार न किया हो।	उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि पर, अधिकतम पांच लाख रुपये के अधीन रहते हुए, प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए पांच रुपये

स्पष्टीकरण

जैसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टाराशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।

(ग) जबकि कोई सांपाश्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक रूप से स्टापित है -

ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1000 रुपये से अधिक नहीं है,

दस रुपये

और 1000 रुपये से अधिक ऐसे प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो।

दस रुपये

छूटें

(1) वे लिखतें जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट लॉन्स एक्ट, 1883 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1883) या एग्रिकल्चरिस्ट लॉन्स एक्ट, 1884 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1884) के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उसके प्रतिभूतों द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है।

(2) आडमान पत्र जो विनियम पत्र में संलग्न है।

42.

किसी फसल का बन्धक-जिसमें प्रत्येक ऐसा लिखत सम्मिलित है जो ऐसे ऋण की अदागयी को सुरक्षित करने के ऐसे करार को साक्षित कर रहा हो जो किसी फसल को बन्धक रखते हुए किया गया हो चाहे बन्धक करते समय वह फसल विद्यमान हो या न हो-

(क) जब ऋण लिखत की तारीख से तीन से अनधिक माह के लिए प्रतिसंदेय हो, प्रत्येक प्रतिभूत धनराशि के लिए जो 6000 रुपये से अधिक न हो,

प्रत्येक राशि के लिए 6000 रुपये से अधिक प्रतिभूत प्रत्येक 6000 रुपये की धनराशि या उसके भाग के लिए।

दस रुपये

(ख) जब ऋण लिखत की तारीख से तीन माह से अधिक

दस रुपये

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

- किन्तु 18 गास से अनधिक के लिए गाह में संदेय हो और प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग के लिए जो रूपये 3000 की अधिकता में सुरक्षित किया गया हो।
43. नोटरीय कृत्य— अर्थात् किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या विधिक रूप से नोटरी पब्लिक का कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया, या हस्ताक्षरित किया गया कोई लिखत, पृष्ठांकन नोट, प्रमाणीकरण, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि (संख्या 49) जो प्रोटेस्ट न हो। दस रूपये
- विल या नोट का प्रोटेस्ट (संख्या-49) भी देखें
44. नोट या ज्ञापन— जो किसी दलाल का एजेंट द्वारा अपने गालिक को यह सूचित करने के लिए भेजा जाये कि गालिक की ओर से क्रय या विक्रय कर दिया गया है—
- (क) काटन के सम्बन्ध में। काटन के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 या उसके भाग के लिये एक रूपया
- (ख) बुलियन, स्पेरीज के सम्बन्ध में। यथास्थिति सिल्वर, गोल्ड या रावरिन्स के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।
- (ग) तिलहनों के सम्बन्ध में। तिलहनों के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया
- (घ) किसी प्रकार के धागे, गैर खनिज गत तैलों या अन्य किन्हीं प्रकार की प्रजातियों के सम्बन्ध में। यथास्थिति किसी प्रकार के धागे, गैर खनिज तैलों या तत्सम्बन्धी किसी प्रकार की प्रजातियों के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।
- (ङ) मूल्य में बीस रूपये से अधिक के किन्हीं अन्य माल के सम्बन्ध में। माल के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपया या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया.
- (च) किसी शेयर, स्क्रिप्ट, स्टाक, बांड, डिबेंचर, डिबेंधर स्टाक या सागान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूति, जो मूल्य में सरकारी प्रतिभूति न होते हुए बीस रू० से अधिक हो, के सम्बन्ध में। यथास्थिति प्रतिभूति के क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।
- (छ) किसी सरकारी प्रतिभूति के सम्बन्ध में। प्रतिभूति के मूल्य पर प्रत्येक 1,00,000 रू० या उसके आंशिक भाग के लिए पचास पैसे।

स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, इसमें ऊपर निर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (अ) में यथा परिभाषित किसी स्टाक एक्सचेंज से है।

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क	
<p>45. जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट का नोट— जहाज के मास्टर का प्रोटेस्ट (संख्या 50) भी देखें। ऋण के भुगतान हेतु आदेश — देखें विल ऑफ एक्सचेंज (संख्या-13) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची</p>	दस रुपये	
<p>46. विभाजन— विभाजन का विलेख धारा 2 (सोलह) में यथापरिभाषित</p>	<p>सम्पत्ति के पृथकृत भाग या भागों के मूल्य के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क. परन्तु देय शुल्क दस रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णकृत किया जायेगा।</p>	
<p>विशेष ध्यान— सम्पत्ति के विभाजन होने के बाद वही सबसे बड़ा भाग, (या यदि बराबर मूल्य के दो या अधिक भाग हों, तो उन बराबर भागों में से एक) वह भाग माना जायेगा जिससे अन्य भाग पृथक किये गये हैं।</p>		
<p>परन्तु सदा ही—</p>		
<p>(क) जब कोई ऐसा विलेख, जिसमें सम्पत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करने का इकरार निष्पादित किया गया हो और उस इकरार के अनुसरण में विभाजन सम्पन्न किया जाये तो उस विभाजन को कार्यान्वित करने वाले विलेख पर, या, घोषणा या अन्य किसी रूप में, ऐसे विभाजन की शर्तों को लेखबद्ध करने वाले विलेख पर प्रभार्य शुल्क उतना कम कर दिया जायेगा जितना प्रथम विलेख पर अदा किया गया हो, परन्तु वह दस रुपये से कम न होगा।</p>		
<p>(ख) जब भूमि बन्दोबस्ती लगान पर हो तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए उसका मूल्य—</p>		
<p>(एक) वार्षिक मालगुजारी का बीस गुना, और</p>		
<p>(दो) जब भूमि पूर्णयता या अंशतः मालगुजारी की अदायगी से मुक्त हो तो, विभाजन की तारीख से पूर्व, पिछले वर्ष के दौरान भूमि से प्राप्त शुद्ध लाभ का दस गुना माना जायेगा।</p>		
<p>(ग) जब किसी राजस्व अधिकरण या किसी दीवारी न्यायालय द्वारा पारित विभाजन किये जाने का अन्तिम आदेश, या विभाजन निदेशित करने वाला पंच फैसला, विभाजन के विलेख के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित हो, और उस आदेश या फैसले के अनुसार विभाजन का विलेख बाद में निष्पादित किया जाये तो ऐसे विलेख के लिए दस रुपये से अधिक न लगेगा।</p>		
<p>47. (क)</p>	<p>साझेदारी का लिखत— (क) जब साझेदारी की पूँजी 10,000 रुपये अनधिक हो। (ख) अन्य किसी दशा में।</p>	<p>एक सौ रुपये वही शुल्क जो 10,000 रुपये पर</p>

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ख) साझेदारी का भंग आड़ या गिरवी-- देखें हक विलेखों का निक्षेप, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार (संख्या 6) बीगा पालिसी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, की अनुसूची देखें।	बन्धपत्र (संख्या 14) के लिए एक सौ रूपये।
48. मुख्तारनामा (जैसा धारा 2 (वाईस) में परिभाषित है और जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची में प्रॉक्सी (संख्या 52) न हो.)	
(क) जब पितागह, पिता, मातागही, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र, पुत्री, वास्तविक भाई, वास्तविक बहन, को बिना प्रतिफल के विक्रय या किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्यथा अन्तरण हेतु अधिकृत करें	एक सौ रूपये
(ख) जब खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों से बिना प्रतिफल प्राप्त किये अचल सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा अन्तरण करने का अधिकार दिया जाय. (एक) दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए (दो) जब अवधि दो वर्ष से अधिक हो या अवधि का लिखत में अंकित न हो या अनिश्चित अवधि के लिए हो	पांच हजार रूपये ऐसी अचल सम्पत्ति जो लिखत की विषयवस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान
(ग) जब प्रतिफल प्राप्त करके, उत्तर प्रदेश में स्थित अचल सम्पत्ति के विक्रय या अन्यथा अन्तरण के लिए हो	ऐसी सम्पत्ति जो लिखत की विषयवस्तु हो, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो अधिक हो, पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान
(घ) जब खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को, जो छः माह या अधिक अवधि से भारत से भिन्न देश में निवास कर रहे हैं, को अचल सम्पत्ति के विक्रय या अन्यथा अन्तरित करने हेतु (एक) बिना प्रतिफल (दो) प्रतिफल सहित	एक सौ रूपये ऐसी सम्पत्ति के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो अधिक हो, पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान
(ङ.) जब मुख्तार को अचल सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए अखण्डनीय अधिकार दिया जाय.	ऐसी अचल सम्पत्ति जो लिखत की विषयवस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान।
(च) एक या अधिक व्यक्तियों को एक सौटे में जो अचल सम्पत्ति के विक्रय या अन्यथा अन्तरण से भिन्न हो, में कार्य करने के लिए	पचास रूपये
(छ) खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों	

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के विक्रय या अन्यथा अन्तरण हेतु

(एक) बिना प्रतिफल

(दो) प्रतिफल सहित

पांच सौ रुपये

अधिकतम एक हजार रुपये के अधीन रहते हुए लिखत में अंकित प्रतिफल की धनराशि का एक प्रतिशत,

- (ज) जब मुख्तार आम ऐसे प्रयोजन के लिये बनाया जाय, जो अचल सम्पत्ति के विक्रय या अन्यथा अन्तरण या खण्ड (क) से (छ) में उल्लिखित प्रयोजन से आच्छादित न हो, या एक सौदे में एक या अधिक लिखतों का पंजीकरण कराने के लिए हो अथवा एक या अधिक लिखतों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए हो

एक सौ रुपये।

विशेष ध्यान—शब्द 'रजिस्ट्रीकरण' में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से प्रासंगिक प्रत्येक क्रिया शामिल हैं।

स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एक फर्म के एक से अधिक व्यक्तियों को एक व्यक्ति माना जायेगा।

प्रागिसरी नोट— देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची।

49. बिल या नोट का प्रोटेस्ट— अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस पद पर विधिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा बनायी गयी कोई लिखित घोषणा जिसमें किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट के नकारने को तसदीक किया गया हो।

दस रुपये

50. जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट, अर्थात् हानियों के समायोजन या औसत के आगणन के उद्देश्य से तैयार किये गये जहाज की यात्रा के विवरणों की घोषणा और जहाज के न लादने या न उतारने के लिए चार्टन करने वालों के विरुद्ध की गयी प्रत्येक लिखित घोषणा यदि, वह घोषणा नोटरी पब्लिक, या विधिक रूप से उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तसदीक या प्रमाणित की गयी हो।

दस रुपये

प्राक्सरी — देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची

प्राप्तियाँ— देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची

51. बन्धक की गयी सम्पत्ति का प्रति हस्तान्तरण

(क) यदि वह प्रतिफल जिसके लिए सम्पत्ति बन्धक की गयी थी, 1,000 रु० से अधिक न हो।

प्रति-हस्तान्तरण में व्यक्ति प्रतिफल की राशि के लिए हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।

(ख) अन्य किसी दशा में।

1,000 रुपये पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।

52. कारोबार का अभिलेख (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा) जो

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
धारा 15 में निर्दिष्ट संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से निजी व्यापारी सदस्य द्वारा प्रभावित हो।	
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित हो	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ या उसके भाग हेतु पचास रुपये।
(ख) यदि ऊपर उप खण्ड (क) के अधीन पड़ने वालों से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में, (एक) परिदाय की दशा में, (दो) परिदाय न होने की दशा में (तीन) यदि भविष्यकालिक और/या व्यवसाय से सम्बन्धित हो	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक दस हजार या उसके भाग के लिये एक रूपया। प्रत्येक दस हजार या उसके भाग हेतु बीस पैसे। प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख रुपये या उसके भाग हेतु एक रूपया।

परन्तु यह कि अनुच्छेद 52 के अधीन संदत्त शुल्क, अनुच्छेद 5 (ख) के अधीन संदत्त शुल्क के साथ समायोजित की जाएगी, यथास्थिति अनुबन्ध या उसका अभिलेख या अनुबन्ध ज्ञापन, अनुच्छेद 22, समाशोधन सूची और अनुच्छेद-44 या ज्ञापन।

स्पष्टीकरण

खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, प्रतिभूतियों के वही अर्थ होंगे जो सिक्योरिटीज कान्ट्रेक्ट (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1956) में दिये गये हैं, पद 'व्यवसायी सदस्य' का वही अर्थ होगा जो सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (स्टाक ब्रोकर एण्ड सब ब्रोकर) रेगुलेशन्स के विनियम 2 (जी-ए) में परिभाषित किया गया है।

छूट

किसी ब्रोकर या एजेंट द्वारा अपने मालिक को उसकी ओर से किये गए किसी सरकारी प्रतिभूति या अंश, स्क्रिप, स्टाक, बांड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टाक या समान प्रकृति की अन्य बाजार योग्य प्रतिभूति जो किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय की हो, के क्रय-विक्रय को सूचित करते हुए भेजा गया नोट या ज्ञापन, कोई प्रविष्टि के समाशोधन सूची में की जानी हो जो अनुच्छेद 22 में वर्णित हो।

अवमोचन - अर्थात् कोई लिखत जो ऐसा अवमोचन न हो जैसा कि धारा 29 की उपधारा (2) से प्रावधानित हो,

(1) जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रति कोई दावा छोड़ देता है- यदि दावे की राशि या मूल्य दस हजार रुपये से

अवमोचन में व्यक्त उस राशि या

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
अधिक न हो,	मूल्य के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
(2) अन्य किसी दशा में	दस हजार रुपये पर बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
54. रेस्पोंडेण्डशिया बांड— अर्थात् किसी जहाज पर लदे माल या लादे जाने वाले माल पर ऋण प्रतिभूत करने वाला और ऋण की वापसी को माल के गन्तव्य बंदरगाह पर पहुंचकर समाश्रित करने वाला लिखत,	सुरक्षित ऋण की राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
<i>निरसन— किसी न्याय या व्यवस्थापन का निरसन (देखें—व्यवस्थापन क्रमांक 59) न्यास (क्रमांक 62)</i>	
55. प्रतिभूति बाण्ड, जो बन्धक विलेख न हो.—किसी कार्य के यथोचित निष्पादन या उस नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति के उत्तरदायित्व के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित बन्धक विलेख या किसी इकरार के यथोचित निष्पादन या किसी दायित्व के यथोचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिभू द्वारा निष्पादित बन्धक विलेख	
(क) जब प्रतिभूत धन 100 रुपये से अधिक न हो।	दस रुपये
(ख) अन्य किसी दशा में।	एक सौ रुपये
छूट	
वांड या अन्य लिखत जिसका निष्पादन—	
(क) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारन्टी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्र या चिकित्सालय या अन्य सार्वजनिक हित के अन्य कार्य के लिए निजी चन्दे से होने वाली आय प्रतिमास एक निश्चित राशि से कम न होगी।	
(ख) भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1883) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1884) के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों या उनके जमानतियों द्वारा उस अग्रिम की वापसी की प्रतिभूति के लिए निष्पादित किया गया हो।	
(ग) सरकारी अफसरों या उनके जमानतियों द्वारा किसी कार्य का यथोचित निष्पादन या उसके नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति का यथोचित उत्तरदायित्व सुरक्षित करने के लिए निष्पादित किया गया हो।	
56. व्यवस्थापन—	
क लिखत (जिसमें मेहर का लेख पत्र भी शामिल है)।	व्यवस्थापित सम्पत्ति की राशि या बाजार मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क।
	परन्तु यदि व्यवस्थापन का इकरार उतने स्टाम्प से स्टांभित हो जो व्यवस्थापन के लिखत के

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
<p style="text-align: center;">छूट</p> <p>मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर निष्पादित मेहर का लेख-पत्र। न्यास (संख्या 64) भी देखें। ख व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण।</p>	<p>लिए चाहिये था और करार के अनुसरण में बाद में व्यवस्थापन का लिखत निष्पादित किया जाये तो ऐसे लिखत पर शुल्क (दस रुपये) से अधिक न होगा।</p>
<p>57. शेयर वारंट— जो धारक को, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1913) के अधीन जारी किया गया:</p>	<p>वही शुल्क जो सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि या मूल्य के बराबर धनराशि के लिए वाण्ड (क्रमांक 14) के समान शुल्क किन्तु पचास रुपये से अधिक नहीं। वारंट में निर्दिष्ट शेयरों में अंकित राशि के बराबर प्रत्यक्ष राशि के लिए सौंप देने से अन्तरणीय डिबेंचर (संख्या 27 (ख)) के समान शुल्क।</p>
<p style="text-align: center;">छूट</p> <p>किसी कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 43 के अनुसार जारी किये गये शेयर वारंट— जो उसी दशा में लागू होगा जब स्टाम्प राजस्व के कलेक्टर को, उस शुल्क के समझौते के रूप में— (क) कम्पनी को अभिदत्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, या (ख) यदि किसी कम्पनी ने वह शुल्क या समझौते की राशि पूर्णरूपेण अदा कर दी हो, और वह बाद में अपनी अभिदत्त पूंजी में वृद्धि करे, तो अतिरिक्त जारी की गयी पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, अदा कर दिया जाये।</p>	
<p><i>स्क्रिप— देखें प्रमाण-पत्र (क्रमांक 20)</i></p>	
<p>58. जहाजरानी आदेश— किसी जलयान पर माल ढोने के लिए, या से सम्बन्धित।</p>	<p>दस रुपये</p>
<p>59. लीज का अभित्याग—</p>	<p>वही शुल्क जो, 1000 रुपये व बन्धपत्र (संख्या-14) पर लगता है या वह शुल्क जो ऐसे घटटे पर प्रभार्य है, इनमें जो भी कम हो: परन्तु देय शुल्क के दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।</p>
<p style="text-align: center;">छूट</p> <p>लीज का अभित्याग, जब वह लीज शुल्क से मुक्त हो। 60. अन्तरण— (चाहे प्रतिफल से या बिना प्रतिफल के) (क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-क देखें (ख) डिबेंचरों का- जो विक्रय ऋणपत्र हो, चाहे डिबेंचर</p>	

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
पर शुल्क देय हो या नहीं— धारा 8 में उल्लेखित डिबेंचरों को छोड़कर	
जब शेयर का मूल्य या डिबेंचर की अंकित राशि 500 रुपये से अधिक न हो।	दस रुपये
जब 500 रुपये से अधिक, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो।	बीस रुपये
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक पांच सौ रुपये या उसके भाग के लिए।	दस रुपये
(ग) बाण्ड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का—	
(एक) यदि ऐसे बाण्ड, बन्धक-पत्र या बीमा पालिसी पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक न हो तो।	वही शुल्क जो उस बाण्ड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी पर प्रभावी था।
	परन्तु संदेय शुल्क के दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा,
(दो) अन्य किसी दशा में।	एक सौ रुपये
	परन्तु यह और कि संदेय शुल्क के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जाएगा, परन्तु यदि किसी एक लिखत द्वारा कोई बन्ध-पत्रों, बन्धक-पत्रों या बीमा नीतियों द्वारा प्रतिभूत हित का अन्तरण किया जाता है तो ऐसे लिखत के सम्बन्ध में संदेय शुल्क उन शुल्कों का योग होगा, जो संदेय होता, यदि अन्तरण के पृथक लिखतों को ऐसे प्रत्येक बन्धपत्र, बन्धक विलेख या बीमा नीति के सम्बन्ध में निष्पादित किया जाता,
	परन्तु यह और है कि देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
(घ) महाप्रशासक अधिनियम 1913 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1913) की धारा 25 के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में।	एक सौ रुपये
(ड) किसी न्यास सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो बिना किसी प्रतिफल के, एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या न्यासी से लाभग्राही को—	सत्तर रुपये

छूट

पृष्ठांकन द्वारा अन्तरण—

- (क) बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमेसरी नोट के सम्बन्ध में,
- (ख) बिल ऑफ लेडिंग, माल छुड़ाई का आदेश, माल का वारंट या माल पर, हक के किसी अन्य व्यावसायिक दस्तावेज के सम्बन्ध में।
- (ग) बीमा पालिसी के सम्बन्ध में,
- (घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में।

(धारा 8 भी देखें)

61. पट्टा का अन्तरण— अभ्यर्पण के रूप में, न कि शिकमी लीज के रूप में।

- (क) जहाँ पट्टा अन्तरण का तात्पर्य तीस वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए है।
- (ख) जहाँ पट्टा अन्तरण का तात्पर्य तीस वर्ष से अधिक अवधि से या निरन्तरता से हो या उसका तात्पर्य किसी निश्चित अवधि से न हो।

अन्तरण के प्रतिफल की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण (क्रमांक 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।

सम्पत्ति के अन्तरण के प्रतिफल या उसके बाजार मूल्य की धनराशि, जो भी अधिक हो, के बराबर प्रतिफल पर, हस्तान्तरण (संख्या 24 (खण्ड(क))) के समान शुल्क

छूट

उस पट्टा का अन्तरण जो शुल्क से मुक्त हो,

स्पष्टीकरण

नवीकरण अवधि यदि पट्टा में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित हो, को वर्तमान पट्टा अवधि के भाग के रूप में माना जायेगा।

62. न्यास—

- क किसी सम्पत्ति की या सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा जो लिखित रूप में की गयी हो और जो वसीयत न हो।
- (क) जब मूल्य या राशि 10,000 रुपये से अधिक न हो।
- (ख) जहाँ प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार रुपये या उसके आंशिक भाग के लिए ऐसी धनराशि दस हजार रुपये से अधिक हो।
- ख किसी सम्पत्ति का, या सम्पत्ति से सम्बन्धित निरसन जो वसीयत से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया जाये,

बाण्ड (संख्या 14) के समान शुल्क

दस हजार रुपये पर — वह शुल्क जो खण्ड (क) के अधीन संदेय है, और बाकी पर, प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार या उसके भाग के लिए दस रुपये

सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि, या मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बाण्ड (संख्या 14) के समान शुल्क परन्तु 2,000 रु० के बाण्ड (संख्या 14) पर देय शुल्क से अधिक नहीं।

व्यवस्थापन (संख्या 58) भी देखें। मूल्यांकन— दशा आकलन

(संख्या 8) तथा

वकील— स्वरूप प्रविष्ट (संख्या 17) देखें।

63. माल का वारंट— अर्थात् कोई लिखत जिससे उसमें नामित किसी व्यक्ति का, या उसके अभ्यर्पित्री या धारक का, किसी काल में जो किसी गोदी, घाट या गोदाम में रखा हो, हक प्रमाणित होता हो, यदि ऐसा विलेख उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से, जिसके तहत वह माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया हो। दस रुपये
64. कार्य संविदा— जो किसी संविदा के सम्यक् निष्पादन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को सुनिश्चित करने के निमित्त किसी प्रतिभूति की अनुबद्धता रखने वाले किसी करार के निष्पादन के लिए किया गया है। न्यूनतम एक सौ रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये के अध्यधीन ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत धनराशि या उसके मूल्य के सम्बन्ध में प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके आंशिक भाग के लिए पांच रुपये।

उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 जो वर्तमान में प्रचलित है, सूचना प्रौद्योगिकी में आधुनिक विकास और प्रगति की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। इस कारण से ऐसे दस्तावेज, जो उक्त अधिनियम से आच्छादित नहीं होते हैं, उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किये बिना ही रह जाते हैं। नूतन प्रौद्योगिकी और विकास के साथ-साथ चलने के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश राज्य में स्टाम्प शुल्क से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 के नाम से एक नयी अधिनियमिति बनाने का विनिश्चित किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to publish the following English translation of the Uttar Pradesh Stamp Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March, 27, 2010:

No. 526(2)/79-V-1-10-1(ka) 26/2008

Dated Lucknow, April 7, 2010

THE UTTAR PRADESH STAMP ACT, 2008

[U.P. Act No. 17 of 2010]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to stamp duties in the State of Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent,
and
commencement

1. (1) This Act may be called The Uttar Pradesh Stamp Act, 2008.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be fixed for different provisions.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(i) "association"- means any association, exchange, organization or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of regulating and controlling or conducting business of the sale or purchase of, or making any other transaction relating to, any goods or marketable securities;

(ii) "banker" means an association, a company or a person who accepts for the purpose of lending or investment deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, pay-order or otherwise;

(iii) "bond"- includes-

(a) any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another, on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed, or is not performed, as the case may be;

(b) any instrument attested by a witness and not payable to order or bearer; whereby a person obliges himself to pay money to another; and

(c) any instrument so attested, whereby a person obliges himself to deliver grain or other agricultural produce to another.

Explanation: Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, for the purposes of this clause, "attested" in relation to an instrument means attested by one or more witnesses each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or of the signature of such other person, and each of whom has signed the instrument in the presence of the executant; but it shall not be necessary

that more than one of the such witnesses shall have been present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary:

(iv) "Chargeable"- means, as applied to an instrument executed, or first executed after the commencement of this Act, chargeable under this bill, and, as applied to any other instruments, chargeable under the law in force in the State when such instrument was executed or, where several persons executed the instrument at different times, first executed.

(v) "Chief Controlling Revenue Authority"- means a member of the Board of Revenue, a Divisional Commissioner or an Additional Divisional Commissioner or an officer of the Stamp Department not below the rank of Deputy Commissioner of Stamps and any such officer as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in this behalf for the whole or any part of the State;

(vi) "Clearance List"- means a list of transactions relating to contracts required to be submitted to the Clearing House of an Association in accordance with the rules or bye-laws of the Association :

Provided that no instrument shall, for the purposes of this Act, be deemed to be a clearance list unless it contains the following declaration signed by the persons dealing in such transactions or on his behalf by a properly constituted attorney, namely :-

"I/We hereby solemnly declare that the above list contains a complete and true statement of my/our transactions including crossed out transactions and transactions required to be submitted to the clearing house in accordance with the rules/bye laws of the Association. I/We further declare that no transaction, for which an exemption is claimed under clause (b) of Article 5 (Agreement or its records or memorandum of an agreement) or Article 44 (Note or Memorandum) of the Schedule of this Act, as the case may be, is omitted."

Explanation: Transaction for the purpose of this clause shall include both sale and purchase.

(vii) "Collector"- means the Chief Officer in-charge of Revenue Administration of a District and includes any officer whom the State Government may, by notification in the Gazette appoint in this behalf; and on whom any or all the powers of the Collector exercisable under this bill are conferred either by such notification or by any other like notification.

(viii) "Conveyance" includes-

- (a) conveyance on sale, or
- (b) every instrument, or
- (c) every decree or final order of any Civil or Revenue Court,
- (d) every order made by the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 (Act no.1 of 1956) in respect of the amalgamation or reconstruction of Companies, or
- (e) every order made by the Reserve Bank of India under section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Act no. 10 of 1949) in respect of the amalgamation or reconstruction of banking companies.

(f) transfer of share by co-operative housing societies in immovable property of an existing member of such society in favour of an incoming person by means of issuance of new share certificate or by endorsement on the share certificate of the existing member in favour of the incoming person.

by which property whether movable or immovable is transferred to, or vested in, any other person, *inter vivos*, and which is not otherwise specifically provided for by the Schedule.

Explanation - Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this bill or any other law for the time being in force, the following instruments shall, for the purpose of this clause, be deemed to be an instrument by which property is transferred *inter vivos* -

(i) An instrument whereby a co-owner, of a property having defined share therein, transfers such share or part thereof to another co-owner of the property; or

(ii) An instrument whereby a partner transfers his share in the property of the partnership business to another partner or to other partners whether separately or together with the transfer of other business or assets on retirement or dissolution, or whereby he contributes to the capital of partnership firm by transferring his right and title to, or interest in any property; or

(iii) An instrument whereby the property of an incorporated company or body corporate is transferred by transfer of its equity shares to another incorporated company or body corporate, or a person or a group of persons.

(ix) "Duly stamped"- as applied to an instrument, means that the instrument bears an adhesive or impressed stamp of not less than the proper amount and that such stamp has been affixed or used in accordance with the law for the time being in force in the State.

(x) "Executed" and "execution" - used with reference to instruments, mean "signed" and "signature".

Explanation- The terms "signed" and "signature" also include attribution of electronic record as provided under section 11 of the Information Technology Act, 2000, (Act no. 21 of 2000)

(xi) "Government Security" means a Government Security as defined in the Public Debt Act, 1944, (Act no. 18 of 1944);

(xii) "Immovable Property" includes land, buildings, hereditary allowances, right of way, lights, ferries, fisheries, or any other benefit arising out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth but does not include standing timber, growing crops or grass, fruit upon or juice in trees, or beneficial interest of a beneficiary in a trust property.

(xiii) "Impressed stamp"- includes-

(a) labels affixed and impressed by the proper officer, and

(b) stamps embossed and engraved on stamped paper.

(c) impression by franking machine, e-stamping or any other such machine as the State Government may by notification in the Gazette specify, or

(d) any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the State Government by notification in the Gazette.

(xiv) "Instrument" - includes every document and record created or maintained in or by an electronic storage and retrieval device, media or electronic record, as defined in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2008 (Act no. 21 of 2008), by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, vested, extinguished or recorded; but does not include a bill of exchange, cheque, promissory note, bill of lading, letter of credit, policy of insurance, transfer of share, debenture, proxy and receipt.

(xv) "Instrument of Gift" - includes an instrument whether by way of declaration or otherwise, for making or accepting an oral gift.

(xvi) "Instrument of partition" - means any instrument whereby co-owners of any property divide or agree to divide such property in severalty, and also includes,-

(a) a final order for effecting a partition passed by any Revenue Authority, or any Civil Court;

(b) an award by an arbitrator directing a partition; and

(c) when any partition is effected without executing any such instrument, any instrument or instruments, signed by the co-owners and recording, whether by way of declaration of such partition or otherwise, the terms of such partition amongst the co-owners.

(xvii) "Lease" - means a lease of movable or immovable property, and includes -

(a) a patta;

(b) a kabuliyat or other undertaking in writing, not being a counterpart of a lease, to cultivate, occupy or pay or deliver rent for immovable property;

(c) any instrument by which tolls of any description are let;

(d) any writing on an application for a lease intended to signify that the application is granted;

(e) any instrument by which mining lease is granted in respect of minor minerals as defined in clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, (Act no. 67 of 1957),

(f) a decree or final order of any Civil or Revenue Court in respect of a lease;

(xviii) "Marketable security" - means a security of such a description as to be capable of being sold in any stock market in India.

(xix) "Market value" Market value of property means the value as determined on the basis of the rates fixed by the Collector or the consideration as set forth in the instrument, whichever is higher.

For "Market value of shares" see Explanation (2) to Article 24(e).

(xx) "Mortgage-deed"- includes every instrument whereby, for the purpose of securing money advanced, or to be advanced, by way of loan, or an existing or future debt, or the performance of an engagement, one person transfers or creates to, or in favour of, another, a right over or in respect of specified property;

(xxi) "Paper"- includes vellum, parchment or any other material on which an instrument may be written.

(xxii) "Power-of-attorney" - includes any instrument (not chargeable with a fee under the law relating to court-fees for the time being in force) empowering a specific person to act for and in the name of the person executing it.

(xxiii) "Public Officer"- means a Public Officer as defined in clause (17) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no.5 of 1908) and includes every officer working in connection with the affairs of any of the following organizations, namely:-

(a) any statutory body or authority constituted under any Uttar Pradesh Act;

(b) a "Financing Bank" or "Central Bank" as defined in clause (k) of Section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965(Act no. 11 of 1966);

(xxiv) "Settlement"- means any non-testamentary disposition in writing, of movable or immovable property made,-

(a) in consideration of marriage;

(b) for the purpose of distributing property of the settler among his family, or those for whom he desires to provide, or for the purpose of providing for some person dependent on him; or

(c) for any religious or charitable purpose;

and includes an agreement in writing to make such a disposition, and, where any such disposition has not been made in writing, any instrument recording, whether by way of declaration of trust or otherwise, the terms of any such disposition.

(xxv) "Schedule"- means the Schedule appended to this Act.

(xxvi) "Soldier"- includes any person below the rank of non-commissioned officer, who is enrolled under the Army Act, 1950 (Act no. 46 of 1950).

(xxvii) "Stamp"- means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorised by the State Government and includes an adhesive or impressed stamp, for the purpose of duty chargeable under this Act. "

(xxviii) The expressions "Common roll" and "State Roll" shall have the meanings assigned to them in the Advocates Act, 1961 (Act no. 25 of 1961).

(xxix) The words and expressions not defined in this bill but defined in the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) shall have the meaning

assigned to them in the said Act of 1899.

CHAPTER II

STAMP-DUTIES

A - OF THE LIABILITY OF INSTRUMENTS TO DUTY.

3 - Subject to the provisions of this bill and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefor, respectively, that is to say-

Instruments
chargeable with
duty

(a) every instrument mentioned in the Schedule which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of the commencement of this Act,

(b) every instrument (other than a bill of exchange or promissory note) mentioned in the Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State under section 23:

Provided that except as otherwise expressly provided in this Act, and notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) of this section or in the Schedule, the following instruments shall, subject to the exemptions contained in the Schedule, be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefor, respectively, that is to say -

(a) every instrument mentioned in the Schedule, which, not having been previously executed by any person was executed in Uttar Pradesh :

(i) in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1948, came into force; and

(ii) in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952, comes into force:

(b) every instrument, mentioned in the Schedule, which, not having been previously executed by any person, was executed out of Uttar Pradesh,-

(i) in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1948, came into force; and

(ii) in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952 comes into force, and relates to any property situated, or to any matter or thing done or to be done in Uttar Pradesh, and is received in Uttar Pradesh :

Provided also that no duty shall be chargeable in respect of :

(1) any instrument executed by, or on behalf of, or in favour of the Government, in cases where, but for this exemption, the Government would be liable to pay the duty chargeable in respect of such instrument;

(2) any instrument for the sale, transfer or other disposition, either absolutely, or by way of mortgage, or otherwise, of any ship or vessel, or any part, interest, share or property of, or in any ship or vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (Act no. 44 of 1958), or under

Bombay Coasting Vessels Act, 1838 (Act XIX of 1838), or the Indian Registration of Ships Act, 1841 (Act no. X of 1841), as amended by subsequent Acts.

(3) any instrument executed by or on behalf of or in favour of, the developer, or unit or in connection with the carrying out of purposes of a Special Economic Zone.

Explanation

(1) For the purposes of this clause the expressions "developer", "special economic zone" and "unit" shall have meaning respectively assigned to them in clause (g), (za), and (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Act no.28 of 2005).

(2) Where the amount of duty prescribed in the Schedule contains any fraction of a ten rupee, the proper duty shall be an amount rounded off to the next higher multiple of ten rupee, as hereinafter appearing in the said Schedule.

Several instruments used in any single transaction

4. Where several instruments are employed for completing any single transaction, the principal instrument only shall be chargeable with the duty prescribed in the Schedule for the same and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of one hundred rupees instead of the duty (if any) prescribed for it in that Schedule;

(1) The parties may determine for themselves, which of the instruments so employed shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be the principal instrument:

Provided that the duty chargeable on the instrument so determined, shall be the highest duty which would be chargeable in respect of any of the said instruments employed.

Instrument relating to several distinct matters

5. Any instrument comprising or relating to several distinct matters shall be chargeable with the aggregate amount of the duties with which separate instruments, each comprising or relating to one of such matters, would be chargeable under this Act.

Instruments coming within several descriptions in the Schedule

6. Subject to the provisions of section 5, an instrument so framed as to come within two or more of the descriptions in the Schedule shall, where the duties chargeable thereunder are different, be chargeable only with the highest of such duties:

Provided that nothing in this bill contained shall render chargeable with duty exceeding fifty rupees, a counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid unless it falls within the provisions of section 7.

Payment of the Uttar Pradesh stamp duty on copies, counterparts or duplicates, when that duty has not been paid on the principal or original instrument

7. (1) Notwithstanding anything contained in section 4 or 6, or any other law, unless it is proved that the duty chargeable under this Act has been paid,-

(a) on the principal or original instrument, as the case may be, or

(b) in accordance with the provisions of this section;

the duty chargeable on any one of the several instruments employed for completing a transaction, other than the principal instrument, or on a counterpart, duplicate or copy of any instrument shall, if the principal or original instrument would, when received in Uttar Pradesh, have been chargeable under this Act, with a higher rate of duty, be the duty with which

the principal or original instrument would have been chargeable under section 24.

(2) Where any instrument is registered in any part of India other than Uttar Pradesh and the instrument relates wholly or partly to any property situated in Uttar Pradesh, the copy of such instrument shall, when received in Uttar Pradesh, be liable to be charged with the difference of stamp duty as on the original under section 24 to the extent of and in proportion to the consideration or value of the property situated in Uttar Pradesh, and the party liable to pay the stamp duty on the original instrument shall, upon receipt of notice from the registering officer pay the difference in duty within in the time allowed.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law, no instrument, counterpart, duplicate or copy chargeable with duty under this section shall be received in evidence as properly stamped unless the duty chargeable under this section has been paid thereon:

Provided that a Court before which any such instrument, counterpart, duplicate or copy is produced, may, in its discretion, permit the duty chargeable under this section to be paid thereon, and may then receive it in evidence.

8. (1) Notwithstanding anything contained in this bill, any local authority raising a loan under the provisions of the Local Authorities Loan Act, 1914 (Act no. 9 of 1914), or of any other law for the time being in force, by the issue of bonds, or securities other than debentures, shall, in respect of such loan, be chargeable with a duty of two per centum on the total amount of the bonds or securities issued by it, and such bonds or securities need not be stamped and shall not be chargeable with any further duty on renewal, consolidation, sub-division or otherwise.

Bonds, debentures or other securities issued on loans

(2) The provisions of sub-section (1), exempting certain bonds or securities from being stamped and from being chargeable with certain further duty, shall apply to the bonds or securities other than debentures of all outstanding loans of the kind mentioned therein, and all such bonds, or securities shall be valid, whether the same are stamped or not:

(3) In the case of willful neglect to pay the duty required by this section, the local authority shall be liable to forfeit to the State Government a sum equal to ten per centum upon the amount of duty payable, and a like penalty for every month after the first month during which the neglect continues.

9. (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this bill or any other law for the time being in force,-

Securities dealt in depository not liable to stamp duty

(a) an issuer, by the issue of securities to one or more depositories shall, in respect of such issue, be chargeable with duty on the total amount of security, issued by it and such securities need not be stamped;

(b) where an issuer issues certificate of security under sub-section (3) of section 14 of the Depositories Act, 1996 (Act no. 22 of 1996) on such certificate duty shall be payable as is payable on the issue of duplicate certificate under this Act;

(c) transfer of -

(i) registered ownership of securities from a person to a depository or from a depository to a beneficial owner.

(ii) beneficial ownership of securities, dealt by a depository:

(iii) beneficial ownership of units, such units being units of a mutual fund including units of the Unit Trust of India established under sub-section (1) of section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (Act no.52 of 1963) dealt with a depository.

shall not be liable to duty under this bill or any other law for the time being in force.

Explanation-1. For the purposes of this section, the expression "beneficial ownership", "depository" and "issuer" shall have the same meanings respectively assigned to them in clauses (a), (e) and (f) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (Act no. 22 of 1996).

Explanation 2. For the purposes of this section, the expression, "securities" shall have the meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (2) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Act no. 42 of 1956).

Corporatisation
and
demutualization
Schemes and
related instruments
not liable to duty

10. Notwithstanding anything contained in any other provision of the this bill or any other law for the time being in force,-

(a) a scheme for corporatisation or demutualization, or both of a recognized stock exchange: or

(b) any instrument, including an instrument of or relating to, transfer of any property, business, asset, whether movable or immovable, contract, right, liability and obligation, for the purpose of, or in connection with, the corporatisation or demutualization or both of a recognized stock exchange pursuant to a scheme,

as approved by the Securities and Exchange Board of India under sub-section(2) of section 4B of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Act no.42 of 1956) shall not be liable to duty under this bill or any other law, for the time being in force.

Explanation.- For the purposes of this section-

(a) The expressions "Corporatisations" "demutualization" and "scheme" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (aa), (ab) and (ga) of section 2 of, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Act no.42 of 1956)

(b) "Securities and Exchange Board of India" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (Act no. 15 of 1992).

Negotiable
warehouse receipts
not liable to stamp
duty

11. Notwithstanding anything contained in this bill, negotiable warehouse receipts, shall not be liable to stamp duty.

Power to reduce,
remit or
compound duties

12. (1) Where the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest, it may, by rule or order published in the Gazette :

(a) reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the State the duties with which any instrument, or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favor of any particular class of persons, or by, or in favour of any members of such class, are chargeable: and

- (b) provide for the composition or consolidation of duties in the case of issues by any incorporated company or other body corporate or of transfers (where there is a single transferee, whether incorporated or not) of bonds or other marketable securities other than debentures:

Provided that the State Government shall have the power to impose conditions while remitting or reducing stamp duty:

Provided further that in the case of breach of the conditions imposed in the rule or order to reduce or remit stamp duty, the Collector shall have the power to recover the stamp duty so remitted or reduced along with an interest of one percent for every month or part thereof from the date of execution of the instrument on which stamp duty has been so remitted or reduced after giving a proper opportunity of hearing to the party concerned.

B - OF STAMPS AND THE MODE OF USING THEM.

13. (1) Except as otherwise expressly provided in this bill, all duties with which any instruments are chargeable shall be paid, and such payment shall be indicated on such instruments by means of stamps.-

Date to be paid

- (a) according to the provisions herein contained; or
(b) where in any case no such provision is applicable thereto in accordance with the rules made by the State Government

(2) The rules made under sub-section (1) may, among other matters, provide for regulating-

- (a) the description of stamps which may be used in the case of each kind of instrument,
(b) the numbers of stamps which may be used in the case of instruments stamped with impressed stamps.

(3) Subject to the rules made under sub-section (1), the State Government in this behalf, may authorize any person, body or organization including Post offices or Banks or any other financial institution to use machines for franking impression of stamps, e- stamping, mark, seal or endorsement indicating the payment of stamp duty on the instruments.

14. (1) Notwithstanding anything contained in section 13, the stamp duty payable on an instrument may also be paid in cash or by demand draft or by pay order by challan in the banking treasury or the treasury, countersigned by an officer empowered by the State Government by notification in this behalf. The officer so empowered on production of such challan and after due verification that the duty has been paid, certify in such manner as may be prescribed by endorsement on the instrument of the amount of duty so paid.

Payment of stamp duty by cash by demand draft or by pay order in certain cases

(2) An endorsement made on any instrument under sub-section (1) shall have the same effect as if the duty of an amount equal to the amount stated in the endorsement has been paid in respect thereof and such payment has been indicated on such instrument by means of stamps in accordance with the requirements of section 13.

Explanation: For the purposes of this sub-section, the expressions, "demand draft" or by "pay order" means the demand draft or pay order issued by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955. (Act no. 23 of 1955) or a

Corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (Act no. 5 of 1970) or under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (Act no. 40 of 1980), or any other bank being a scheduled Bank as defined in clause (c) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act no. 1 of 1934).

Stock Exchange and Association to deduct stamp duty from Trading members' account

15. Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of transactions through Stock Exchange or an Association as defined in clause (a) of section (2) of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (Act no. 73 of 1952), the Stock Exchange or as the case may be, the Association, shall collect the due stamp duty by deducting the same from the Trading Members' account at the time of settlement of such transactions. The stamp duty so collected shall be transferred to the proper Head of Account in any Government Treasury/Sub-Treasury or Government Business Branch of the State Bank of India or any other bank authorized by the State Government for this purpose, and in the manner specified by Commissioner of Stamps.

Explanation- for the purposes of this section, "stock exchange" means the stock Exchange as defined in clause (j) of sub-section (2) of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (Act no. 42 of 1956).

Use of adhesive stamps

16. The following instruments may be stamped with adhesive Stamps, namely: -

- (a) certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961 (Act no. 25 of 1961), issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh;
- (b) notarial acts; and
- (c) transfers by endorsement of shares in any incorporated company or other body corporate.

Cancellation of adhesive stamps

17. (1) Whoever affixes any adhesive stamp to any instrument chargeable with duty which has been executed by any person shall, when affixing such stamp, cancel the stamp so that it cannot be used again.

(2) Whoever executes any instrument on any paper bearing an adhesive stamp shall, at the time of execution, unless such stamp has been already cancelled in manner aforesaid, cancel the same so that it cannot be used again.

(3) Any instrument bearing an adhesive stamp which has not been cancelled so that it cannot be used again, shall, so far as such stamp is concerned, be deemed to be unstamped.

(4) The person required by sub-section (1) or sub-section (2) to cancel an adhesive stamp may cancel it by writing on or across the stamp his name or initials or the name or initials of his firm with the true date of his so writing or in any other effectual manner.

Instruments stamped with impressed stamps how to be written

18. Every instrument written upon paper stamped with an impressed stamp shall be written in such manner that the stamp may appear on the face of the instrument and cannot be used for or applied to any other instrument.

Only one instrument to be on same stamp

19. No second instrument chargeable with duty shall be written upon a piece of stamped paper upon which an instrument, chargeable with duty, has already been written:

Provided that nothing in this section shall prevent any endorsement, which is

duly stamped, or is not chargeable with duty, being made upon any instrument for the purpose of transferring any right created or evidenced thereby, or of acknowledging the receipt of any money or goods, the payment or delivery of which is secured thereby.

20. Every instrument written in contravention of section 18 or section 19 shall be deemed to be unstamped.

Instrument written contrary to section 18 or section 19 deemed unstamped Denoting duty

21. Where the duty with which an instrument is chargeable or its exemption from duty, depends in any manner upon the duty actually paid in respect of another instrument, whether registered or not under the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908), the payment of such last mentioned duty shall, if application is made in writing to the Collector for that purpose, and on production of both the instruments, be denoted upon such first mentioned instrument, by endorsement under the hand of the Collector, or in such manner (if any) as the State Government may by rule prescribe.

C- OF THE TIME OF STAMPING INSTRUMENTS

22. All instruments chargeable with duty and executed by any person in the State shall be stamped before or at the time of execution.

Instruments executed in the State

23. (1) Every instrument chargeable with duty, executed only out of Uttar Pradesh and not being a bill of exchange or promissory note, may be stamped within three months after it has been first received in Uttar Pradesh.

Instruments, other than bills and notes executed out of Uttar Pradesh

(2) Where any such instrument cannot, with reference to the description of stamp prescribed therefor, be duly stamped by a private person, it may be taken within the said period of three months to the Collector, who shall stamp the same, in such manner as the State Government may, by rule prescribe, with a stamp of such value as the person so taking such instrument may require and pay for.

24. Where any instrument has become chargeable in any of the States, other than the Uttar Pradesh, with duty under this bill, or any other law for the time being in force, in any of such States, and thereafter becomes chargeable with a higher rate of duty in Uttar Pradesh under clause (b) of the first proviso to section 3, then –

Payment of duty on instruments liable to be increased duty in Uttar Pradesh under clause (b) and clause (d) of section 3

- (i) notwithstanding anything contained in the first proviso to section 3, the amount of duty chargeable on such instrument shall be the amount chargeable on it under the Schedule, less the amount of duty, if any, already paid on it in such States; and
- (ii) in addition to the stamps, if any, already affixed thereto, such instrument shall be stamped with the stamps necessary for payment of the amount of duty chargeable on it under clause (i) in the same manner and at the same time and by the same persons as though such instrument were an instrument received in the States for the first time, at the time, when it became chargeable with the higher duty.

D-OF VALUATION FOR DUTY

25. (1) Where an instrument is chargeable with *ad valorem* duty in respect of any money expressed in any currency other than of India, such duty shall be calculated on the value of such money in the currency of India according to the current rate of exchange on the day of the date of the instrument.

Conversion of amount expressed in foreign currencies

(2) The rate of exchange for conversion of British or any foreign currency

into the currency of India prescribed under sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) shall be deemed to be the current rate for the purpose of sub-section (1).

Stock and marketable securities - how to be valued

26. Where an instrument is chargeable with *ad valorem* duty in respect of any stock or of any marketable or other security, such duty shall be calculated on the value of such stock or security according to the average price or the value thereof on the day of the date of the instrument.

Effect of statement of rate of exchange or average price

27. Where an instrument contains a statement of current rate of exchange, or average price as the case may require, and is stamped in accordance with such statement, it shall, so far as regards the subject matter of such statement, be presumed, until the contrary is proved, to be duly stamped.

Instruments reserving interest

28. Where interest is expressly made payable by the terms of an instrument, such instrument shall not be chargeable with duty higher than that with which it would have been chargeable had no mention of interest been made therein.

Certain instruments connected with mortgages of marketable securities to be chargeable as agreements

29. (1) Where an instrument (not being a promissory note or bill of exchange)-

- (a) is given upon the occasion of the deposit of any marketable security by way of security for money advanced, or to be advanced by way of loan, or for an existing or future debt, or
- (b) makes redeemable or qualifies a duly stamped transfer, intended as a security, of any marketable security.

it shall be chargeable with duty as if it were an agreement or its records or memorandum of an agreement chargeable with duty under clause (h) of Article no. 5 of the Schedule.

(2) A release or discharge of any such instrument shall only be chargeable with like duty.

How transfer in consideration of debt, or subject to future payment etc. to be charged

30. Where any property is transferred to any person in consideration wholly, or in part, of any debt due to him, or subject either certainly or conditionally to the payment or transfer of any money or stock, whether being or constituting a charge or encumbrance upon the property or not, such debt, money or stock shall be deemed to be the whole or part, as the case may be, of the consideration in respect whereof the transfer is chargeable with *ad valorem* duty:

Provided that nothing in this section shall apply to any such certificate of sale as is mentioned in Article No. 18 of the Schedule.

Explanation: In the case of a sale of property subject to mortgage or other encumbrance, any unpaid mortgage money or money together with the interest (if any) due on the same, shall be deemed to be part of the consideration for the sale:

Provided that where any property subject to a mortgage is transferred to the mortgagee, he shall be entitled to deduct from the duty payable on the transfer, the amount of any duty already paid in respect of the mortgage.

Illustrations

(1) A owes B Rs.1000. A sells property to B, the consideration being Rs.500 and the release of the previous debt of Rs.1000. Stamp duty is payable on Rs.1500.

(2) A sells a property to B for Rs.500, which is subject to a mortgage to C for

Rs.1000 and unpaid interest Rs.200. Stamp duty is payable on Rs.1700.

(3) A mortgaged a house of the value of Rs.10000 to B for Rs.5000 B afterwards buys the house from A. Stamp duty is payable on Rs.10000 less the amount of stamp duty already paid for the mortgage.

31. Where an instrument is executed to secure the payment of an annuity, or other sum payable periodically, or where the consideration for a conveyance is an annuity, or other sum payable periodically, the amount secured by such instrument or the consideration for such conveyance, as the case may be, shall, for the purposes of this Act, be deemed to be-

Valuation in case of annuity, etc.

(a) where the sum is payable for a definite period so that the total amount to be paid can be previously ascertained such total amount ;

(b) where the sum is payable in perpetuity, or for an indefinite time, not terminable with any life in being at the date of such instrument, or conveyance- the total amount which according to the terms of such instrument or conveyance, will or may be payable during the period of twenty years calculated from the date on which the first payment becomes due; and

(c) where the sum is payable for an indefinite time terminating with any life in being at the date of such instrument, or conveyance- the maximum amount which will or may be payable as aforesaid, during the period of twelve years calculated from the date on which the first payment becomes due.

32. Where the amount or value of the subject matter of any instrument, chargeable with *ad valorem* duty cannot be, or in the case of an instrument executed before the commencement of this Act, could not have been ascertained at the date of its execution or first execution, nothing will be claimable under such instrument more than the highest amount or value for which, if stated in an instrument of the same description, the stamp actually used, would at the date of such execution, have been sufficient:

Stamp where value of subject matter is indeterminate

Provided that in the case of the lease of a mine, in which royalty, or a share of the produce is received as the rent, or part of rent, it shall be sufficient to have estimated such royalty or the value of such share, for the purposes of stamp duty:-

(a) when the lease has been granted by or on behalf of the Government, at such amount or value, as the Collector may, having regard to all the circumstances of the case, have estimated as likely to be payable by way of royalty or share to the Government under the lease;

(b) when the lease has been granted by any other person, at twenty thousand rupees a year.

and the whole amount of such royalty or share, whatever it may be, shall be claimable under such lease:

Provided also that, where proceedings have been taken in respect of an instrument under section 37 or 46, the amount certified by the Collector shall be deemed to be the stamp actually used at the date of execution.

33. (1) The consideration (if any) and all other facts and circumstances affecting the chargeability of any instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, shall be fully and truly set forth therein.

Facts affecting duty to be set forth in instrument

(2) In the case of instruments relating to immovable property, chargeable

Direction as to
duty in case of
certain
conveyances

with an *ad valorem* duty on the value of the property, and not on the value set forth. the instrument shall fully and truly set forth the annual land revenue in the case of revenue paying land, the annual rental or gross assets, if any, in the case of other immovable property, the local rates Municipal or other taxes, if any, to which such property may be subject, and any other particulars, which may be prescribed by rules made under this Act.

34. (1) When any property has been contracted to be sold for one consideration for the whole, and is conveyed to the purchaser in separate parts by different instruments, the consideration shall be apportioned in such manner as the parties think fit, provided that a distinct consideration for each separate part is set forth in the conveyance relating thereto and such conveyance shall be chargeable with *ad valorem* duty in respect of such distinct consideration or the market value of such separate part of the property, whichever is higher.

(2) Where property contracted to be purchased for one consideration for the whole, by two or more persons jointly, or by any person for himself and others, or wholly for others, is conveyed in parts by separate instruments to the persons by or for whom the same was purchased, for distinct parts of the consideration, the conveyance of each separate part shall be chargeable with *ad valorem* duty in respect of the distinct part of the consideration therein specified or the market value of the property, whichever is higher.

(3) Where a person, having contracted for the purchase of any property but not having obtained a conveyance thereof, contracts to sell the same to any other person and the property is in consequence conveyed immediately to the sub-purchaser, the conveyance shall be chargeable with *ad valorem* duty in respect of the consideration for the sale by the original purchaser to the sub-purchaser or the market value of the property, whichever is higher.

(4) Where a person, having contracted for the purchase of any property, but not having obtained a conveyance thereof, contracts to sell the whole, or any part thereof, to any other person or persons, and the property is in consequence conveyed by the original seller to different persons in parts, the conveyance of each part sold to a sub-purchaser shall be chargeable with *ad valorem* duty in respect only of the consideration paid by such sub-purchaser or the market value of the property, whichever is higher, without regard to the amount or value of the original consideration; and the conveyance of the residue (if any) of such property to the original purchaser shall be chargeable with *ad valorem* duty in respect only of the excess of the original consideration over the aggregate of the considerations paid by the sub-purchaser or the market value of the property, whichever is higher.

Provided that the duty on such last-mentioned conveyance shall in no case be less than one hundred rupees.

(5) Where a sub-purchaser takes an actual conveyance of the interest of the person immediately selling to him, which is chargeable with *ad valorem* duty in respect of the consideration paid by him or the market value of the property, whichever is higher and is duly stamped accordingly, any conveyance to be afterwards made to him of the same property by the original seller shall be chargeable with a duty equal to that which would be chargeable on a conveyance for the consideration obtained by such original seller, or where such duty would exceed one hundred rupees, with a duty of one hundred rupees.

E-DUTY BY WHOM PAYABLE

35. In the absence of an agreement to the contrary, the expense of providing the proper stamp shall be borne : Duty by whom payable

(a) in the case of any instrument described in any of the following Articles of the Schedule, namely:-

No. 2. (Administration Bond);

No. 6. (Agreement relating to Deposit of Title-deeds, Pawn, Hypothecation or Pledge),

No. 14. (Bond),

No. 15. (Bottomary Bond),

No. 27. (Customs Bond),

No. 31. (Further Charge),

No. 33. (Indemnity-bond),

No. 41. (Mortgage-deed),

No. 44. (Note or memorandum),

No. 53. (Release),

No. 54. (Respondentia Bond),

No. 55. (Security Bond not being a Mortgage-deed),

No. 56. (Settlement),

No. 60 (a). (Transfer of shares in an incorporated company or other corporate),

No. 60 (b). (Transfer of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided by Section 8.

No. 60 (c). (Transfer of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance).

by the person drawing, making or executing such instrument:

(b) in the case of a conveyance (including a re-conveyance of mortgaged property) - by the grantee: in the case of a lease or agreement to lease - by the lessee or intended lessee;

(c) In the case of transfer of one company to another under the order of the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 (Act no.1 of 1956), the stamp duty shall be borne by the company which is acquiring or re-constructing the assets and liabilities under sub-clause (d) of clause (viii) of section 2:

(d) in the case of acquisition of one bank by another bank under the provisions of section 44-A of the Banking Companies Act, 1949 (Act no. 46 of 1949), the stamp duty shall be borne by the bank which is acquiring or re-constructing the other bank under sub-clause (e) of clause (viii) of section 2:

(e) in the case of transfer of property by any incorporated company or body corporate by the transfer of equity shares to another company or body

corporate, the stamp duty shall be borne by the transferee company which is acquiring under explanation (iii) of clause (viii) of section 2:

(f) in the case of a counterpart of a lease - by the lessor:

(g) in the case of an instrument of exchange - by the parties in equal shares:

(h) in the case of a certificate of sale - by the purchaser of the property to which such certificate relates ;

(i) in the case of an instrument of Gift - by the donee : and

(j) in the case of an instrument of partition - by the parties thereto in proportion to their respective shares in the whole property partitioned, or, when the partition is made in execution of an order passed by a Revenue Authority or in Civil Court, or an Arbitrator, in such proportion as such Authority, Court or an Arbitrator directs.

CHAPTER-III ADJUDICATION AS TO STAMPS

Adjudication as to
proper stamp

36. (1) When any instrument whether executed or not, and whether previously stamped or not, is brought to the Collector, and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as to the duty (if any), with which it is chargeable, and pays a fee of rupees one hundred (subject to such other amount as may be fixed by the State Government by notification in the Gazette), the Collector shall determine the duty (if any) with which, in his judgment, the instrument is chargeable.

(2) For this purpose the Collector may require to be furnished with an abstract of the instrument, and also with such affidavit or other evidence, as he may deem necessary to prove that all the facts and circumstances affecting the chargeability of the instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, are fully and truly set forth therein and may refuse to proceed upon any such application until such abstract and evidence have been furnished accordingly:

Provided that-

- (a) no evidence furnished in pursuance of this section shall be used against any person in any civil proceeding, except in an enquiry as to the duty with which the instrument, to which it relates, is chargeable; and
- (b) every person by whom any such evidence is furnished, shall, on payment of the full duty with which the instrument to which it relates, is chargeable, be relieved from any penalty which he may have incurred under this Act by reason of the omission to state truly in such instrument any of the facts or circumstances aforesaid.

Certificate by
Collector

37. (1) When an instrument brought to the Collector under section 36 is, in his opinion, one of a description chargeable with duty, and -

- (a) the Collector determines that it is already fully stamped, or
- (b) the duty determined by the Collector under section 36 or such a sum as, with the duty already paid in respect of the instrument, is equal to the duty so determined, has been paid the Collector shall certify by endorsement on such instrument that the full duty (stating the amount) with which it is chargeable has been paid.

(2) When such instrument is, in his opinion, not chargeable with duty, the Collector shall certify in manner aforesaid that such instrument is not so chargeable.

(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section, shall be deemed to be duly stamped, or not chargeable with duty, as the case may be, and if chargeable with duty, shall be receivable in evidence or otherwise, and may be acted upon and registered as if it had been originally duly stamped:

Provided that nothing in this section shall authorize the Collector to endorse -

- (a) any instrument, other than an instrument chargeable with a duty under clause (b) of the first proviso to section 3; executed or first executed in Uttar Pradesh and brought to him after the expiration of one month from the date of its execution or first execution, as the case may be ;
- (b) any instrument chargeable with duty under clause (b) of the first proviso to section 3, and brought to him, after the expiration of three months from the date on which it is first received in Uttar Pradesh.

CHAPTER-IV INSTRUMENT NOT DULY STAMPED

38. (1) Every person having by law or consent of parties authority to receive evidence, and every person in-charge of a public office, except an officer of police, before whom any instrument, chargeable, in his opinion with duty, is produced or comes in the performance of his duties, shall, if it appears to him that such instrument is not duly stamped, impound the same.

Examination and
impounding of
instruments

(2) For that purpose every such person shall examine every instrument so chargeable and so produced, or coming before him, in order to ascertain whether it is stamped with a stamp of the value and description required by the law in force in India, when such instrument was executed, or first executed:

Provided that-

- (a) nothing herein contained shall be deemed to require any Magistrate, or Judge of a criminal court to examine or impound if he does not think fit so to do, any instrument coming before him in the course of any proceeding other than a proceeding under section 125 to 128 and section 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no.2 of 1974).
- (b) in the case of a Judge of a High Court, the duty of examining and impounding any instrument under this section may be delegated to such officer as the Court appoints in this behalf.
- (3) For the purposes of this section, the State Government may, in cases of doubt, determine what offices shall be deemed to be public offices and who shall be deemed to be persons in charge of public offices.

(4) Where deficiency in stamp duty paid is noticed from the copy of an instrument, the Collector may *suo motu* or on a reference from any Court, or from the Commissioner of Stamps, or an Additional Commissioner of Stamps, or a Deputy Commissioner of Stamps, or an Assistant Commissioner of Stamps call for the original instrument for the purpose of satisfying himself as to the adequacy of the duty paid thereon, and the instrument so produced before the Collector shall be deemed to have been produced, or come before, him in the performance of his functions.

(5) In case the instrument is not produced within the period specified by the Collector, he may require payment of deficit stamp duty, if any, together with penalty under section 45 on the copy of the instrument :

Provided that no action under sub-section (4) or sub-section (5) shall be taken after a period of four years from the date of execution of the instrument :

Provided further that with the prior permission of the State Government an action under sub-section (4) or sub-section (5) may be taken after a period of four years but before a period of eight years from the date of execution of the instrument.

Instruments not duly stamped, inadmissible in evidence, etc.

39. No instrument chargeable with duty shall be admitted in evidence for any purpose by any person, having by law, or consent of parties authority to receive evidence, or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public officer, unless such instrument is duly stamped :

Provided that-

- (a) any such instrument shall be admitted in evidence on payment of the duty with which the same is chargeable, or, in the case of an instrument insufficiently stamped, of the amount required to make up such duty, together with a penalty of an amount not less than one time but not exceeding four times of the amount of proper duty or of the deficient portion thereof;
- (b) Where a contract or agreement of any kind is effected by correspondence consisting of two or more letters, and any one of the letters bears the proper stamp, the contract or agreement shall be deemed to be duly stamped ;
- (c) Nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in evidence in any proceeding in a Criminal Court, other than a proceeding under section 125 to 128 and sections 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no.2 of 1974) ;
- (d) Nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in any Court when such instrument has been executed by or on behalf of the Government or where it bears the certificate of the Collector as provided by section 37 or any other provision of this Act.

Admission of instrument where not to be questioned

40. Where an instrument has been admitted in evidence, such admission shall not, except as provided in section 63 , be called in question at any stage of the same suit or proceeding on the ground that the instrument has not been duly stamped.

Admission of improperly stamped instruments

41. The State Government may make rules providing that, where an instrument bears a stamp of sufficient amount but of improper description, it may, on payment of the duty with which the same is chargeable, be certified to be duly stamped, and any instrument so certified, shall then be deemed to have been duly stamped as from the date of its execution.

Instruments impounded, how dealt with

42. (1) When the person impounding an instrument under section 38 has by law, or consent of parties, authority to receive evidence and admits such instrument in evidence upon payment of a penalty as provided by section 39, or of duty as provided by section 41, he shall send to the Collector an authenticated copy of such instrument together with a certificate in writing, stating the amount of duty and penalty levied in respect thereof, and shall send such amount to the Collector, or to such other person as he may appoint in this behalf.

(2) In every other case, the person so impounding an instrument shall send it in original to the Collector.

43. (1) When the Collector impounds any instrument under section 38, or receives any instrument sent to him under sub-section (2) of section 42, not being a receipt, or a bill of exchange or a promissory note, he shall adopt the following procedure :

Collector's power to stamp instruments impounded.

- (a) if he is of opinion that such instrument is duly stamped, or is not chargeable with duty, he shall certify by endorsement thereon that it is duly stamped, or that it is not so chargeable, as the case may be ;
- (b) If he is of the opinion that such instrument is chargeable with duty and is not duly stamped, he shall require the payment of the amount required to make up the deficiency together with a penalty of an amount not exceeding four times the amount of deficient portion of the proper duty:

Provided that, when such instrument has been impounded only because it has been written in contravention of section 18 or section 19, the Collector may, if he thinks fit, remit the whole penalty prescribed by this section :

Provided further that no penalty shall be levied unless the party concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The Collector shall also require, alongwith the amount of deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (b) of sub-section (1), the payment of a simple interest at the rate of one percent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of execution of the instrument till the date of actual payment:

Provided that the amount of interest under this sub-section, shall be re-calculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a Competent Court or Authority.

(3) The amount of interest payable under sub-section (2) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to be part of the amount required to be paid.

(4) Where realization of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any Court or Authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section (2) shall be payable also for any period during which such order of stay remained in operation.

(5) Any amount paid or deposited by, or recovered from or refundable to any person under the provisions of this bill, shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any, shall then be adjusted towards the interest, if any, due from him.

(6) Every certificate under clause (a) of sub-section (1) shall, for the purposes of this bill, be conclusive evidence of the matter stated therein.

(7) Where an instrument has been sent to the Collector, under sub-section (2) of section 42, the Collector shall, when he has dealt with it as provided by the section, return it to the impounding officer.

44. If any instrument chargeable with duty and not duly stamped, not being an instrument chargeable with a duty and not duly stamped, not being an instrument chargeable with a duty not exceeding twenty paise only, is produced by any person of his own motion before the Collector within one year, from the date of its execution or first execution, and such person brings to the notice of the Collector the fact that such instrument is not duly stamped and offers to pay to the Collector the amount of the

Instruments unduly stamped by accident

proper duty, or the amount required to make up the same, and the Collector is satisfied that the omission to duly stamp such instrument has been occasioned by accident, mistake or urgent necessity, he may, instead of proceeding under sections 38 and 43, receive such amount and proceed as next hereinafter prescribed.

Endorsement of instruments on which duty has been paid under sections 39, 43, 44 or 49

45. (1) When the duty and penalty (if any), leviable in respect of any instrument have been paid under section 39, section 43 or section 44 or section 49, the person admitting such instrument in evidence or the Collector, as the case may be, shall certify by endorsement thereon that the proper duty or, as the case may be, the proper duty and penalty (stating the amount of each) have been levied in respect thereof, and the name and residence of the person paying them.

(2) Every instrument so endorsed shall thereupon be admissible in evidence, and may be registered and acted upon and authenticated as if it had been duly stamped, and shall be delivered on his application in this behalf to the person from whose possession it came into the hands of the officer impounding it, or as such person may direct:

Provided that-

- (a) no instrument which has been admitted in evidence upon payment of duty and a penalty under section 39, shall be so delivered before the expiration of one month from the date of such impounding, or if the Collector has certified that its further detention is necessary and has not cancelled such certificate:
- (b) nothing in this section shall affect Schedule I of Order XXIII of the Code of Civil Procedure, 1908, (Act no. 5 of 1908) section 144 clause 3.

Prosecution for offence against Stamp law

46. The taking of proceedings or the payment of a penalty under this chapter in respect of any instrument shall not bar the prosecution of any person who appears to have committed an offence against the stamp-law in respect of such instrument:

Provided that no such prosecution shall be instituted in the case of any instrument in respect of which such a penalty has been paid, unless it appears to the Collector that the offence was committed with the intention of evading payment of the proper duty.

Persons paying duty or penalty may recover same in certain cases

47. (1) When any duty or penalty has been paid under section 39, section 41, section 43 or section 44, by any person in respect of an instrument, and, by agreement or under the provisions of section 35 or any other enactment in force at the time such instrument was executed, some other person was bound to bear the expense of providing the proper stamp for such instrument, the first-mentioned person shall be entitled to recover from such other person the amount of the duty or penalty so paid.

(2) For the purpose of such recovery, any certificate granted in respect of such instrument under this bill shall be conclusive evidence of the matters therein certified.

(3) Such amount may, if the Court thinks fit, be included in any order as to costs in any suit or proceeding to which such persons are parties and in which such instrument has been tendered in evidence. If the Court does not include the amount in such order, no further proceedings for the recovery of the amount shall be maintainable.

Non liability for loss of instruments sent under section 42

48. (1) If any instrument sent to the Collector under sub-section (2) of section 42, is lost, destroyed, or damaged during transmission, the person sending the same shall not be liable for such loss, destruction or damage.

(2) When any instrument is about to be so sent, the person from whose possession it came into the hands of the person impounding the same, may require a copy thereof to be made at the expense of such first-mentioned person and authenticated by the person impounding such instrument.

49. (1)(a) If the market value of any property which is the subject of any instrument, on which duty is chargeable on the market value of the property as set forth in such instrument, is less than even the minimum value in accordance with the rules made under this Act, the registering officer appointed under the Registration Act, 1908, (Act no. 16 of 1908), notwithstanding anything contained in the said Act, immediately after presentation of such instrument and before accepting it for registration and taking any action under section 52 of the said Act, require the person liable to pay stamp duty under section 35, to pay the deficit stamp duty as computed on the basis of the minimum value determined in accordance with the said rules and return the instrument for presenting again in accordance with section 23 of the Registration Act, 1908 (Act no.16 of 1908).

Under-valuation of
the instrument

(b) When the deficit stamp duty required to be paid under clause (a) is paid in respect of any instrument and the instrument is presented again for registration, the Registering Officer shall certify by endorsement thereon, that the deficit stamp duty has been paid in respect thereof and the name and the residence of the person paying them and register the same.

(c) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this bill, the deficit stamp duty may be paid under clause (a) in the form of impressed stamps or otherwise, containing such declaration as may be prescribed.

(d) If any person does not make the payment of deficit stamp duty after receiving the order referred to in clause (a) and presents the instrument again for registration, the registering officer shall, before registering the instrument refer the same to the Collector, for determination of the market value of the property and the proper duty payable thereon.

(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Collector shall after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules made under this Act, determine the market value of the property which is the subject of such instrument and the proper duty payable thereon.

(3) the Collector may, *suo motu*, or on a reference from any Court or from the Commissioner of Stamps or an Additional Commissioner of Stamps or from a Deputy Commissioner of Stamps or from an Assistant Commissioner of Stamps or any officer authorized by the State Government in that behalf, within four years from the date of registration of any instrument on which duty is chargeable on the market value of the property, not already referred to him under sub-section (1), call for an examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value, of the property which is the subject of such instrument and the duty payable thereon, and if, after such examination, he has reason to believe that market value of such property has not been truly set forth in such instrument, he may determine the market value of such property and the duty payable thereon:

Provided that, with the prior permission of the State Government, an action under this sub-section may be taken after a period of four years but before a period of eight years from the date of registration of the instrument on which duty is chargeable on the market value of the property.

Explanation: The payment of deficit stamp duty by any person under any

order of registering officer under sub-section (1) shall not prevent the Collector from initiating proceedings on any instrument under sub-section (3).

(4) If on enquiry under sub-section (2) and examination under sub-section (3) the Collector finds the market value of the property-

(i) truly set forth and the instrument duly stamped, he shall certify by endorsement that it is duly stamped and return it to the person who made the reference;

(ii) Not truly set forth and the instrument not duly stamped, he shall require the payment of the amount required to make up the deficiency in the same, together with a penalty of an amount not exceeding four times the amount of deficient portion of the proper duty.

(5) The Collector shall also require alongwith the deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (ii) of sub-section (4), the payment of a simple interest at the rate of one percent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of the execution of the instrument till the date of actual payment:

Provided that the amount of interest under the sub-section shall be recalculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a competent Court or Authority.

(6) The amount of interest payable under sub-section (5) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to be part of the amount required to be paid.

(7) Where realization of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any Court or Authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section (5) shall be payable also for any period during which such order of stay remained in operation.

(8) Any amount paid or deposited by or recovered from, or refundable to, a person under the provision of this Act, shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any, shall then be adjusted towards the interest, if any, due from him.

(9) The instrument produced before the Collector under sub-section (2) or under sub-section (3) shall be deemed to have come before him in the performance of his functions.

(10) In case the instrument is not produced within the period specified by the Collector, he may require payment of deficit stamp duty, if any, together with penalty on the copy of the instrument in accordance with the procedure as laid down in sub-sections (2) and (4).

Recovery of duties and penalties

50. All duties, penalties, and other sums required to be paid under this Act may be recovered by the Collector by distress and sale of the movable property of the person from whom the same are due, or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

Validity of certificate or endorsement in respect of instruments for which higher rate of duty is payable in Uttar Pradesh

51. Notwithstanding anything contained in this Act, no certificate or endorsement under this Act, in respect of an instrument chargeable in Uttar Pradesh with a higher rate of duty in accordance with this Act, shall be received in evidence or be in any way valid in respect of the payment of duty on such instrument unless the duty chargeable at the rates provided in this Act, has been paid on such instrument.

CHAPTER V.

ALLOWANCES FOR STAMPS IN CERTAIN CASES.

52. Subject to such rules as may be made by the State Government as to the evidence to be required, or the enquiry to be made, the Collector may, on application made with the period prescribed in section 53, and if he is satisfied as to the facts, make allowance for impressed stamps spoiled in the cases hereinafter mentioned, namely, -

Allowance for spoiled stamps

- (a) the stamp on any paper inadvertently and undesignedly spoiled, obliterated or by error in writing or any other means rendered unfit for the purpose intended before any instrument written thereon is executed by any person;
- (b) the stamp on any document which is written out wholly or in part, but which is not signed or executed by any party thereto;
- (c) the stamp used for an instrument executed by any party thereto which-
 - (i) has been afterwards found to be absolutely void in law from the very beginning;
 - (ii) has been afterwards found unfit, by reason of any error or mistake therein, for the purpose originally intended;
 - (iii) by reason of the death of any person by whom it is necessary that it should be executed, without having executed the same, or of the refusal of any such person to execute the same, cannot be completed so as to effect the intended transaction in the form proposed;
 - (iv) for want of the execution thereof by some material party, and his inability or refusal to sign the same, is in fact incomplete and insufficient for the purpose for which it was intended;
 - (v) by reason of the refusal of any person to act under the same, or to advance any money intended to be thereby secured, or by the refusal or non-acceptance of any office thereby granted, totally fails of the intended purpose;
 - (vi) become useless in consequence of the transaction intended to be thereby effected being effected by some other instrument between the same parties and bearing a stamp of not less value;
 - (vii) is deficient in value and the transaction intended to be thereby effected has been effected by some other instrument between the same parties and bearing a stamp of not less value;
 - (viii) is inadvertently and undesignedly spoiled, and in lieu whereof another instrument made between the same parties and for the same purpose is executed and duly stamped;

Provided that, in the case of an executed instrument, no legal proceeding has been commenced in which the instrument could or would have been given or offered in evidence and that the instrument is given up to be cancelled.

Explanation: The Certificate of the Collector under section 37 that the full duty with which an instrument is chargeable has been paid is an impressed stamp within the meaning of this section.

53. The application for relief under section 52 shall be made within the following periods, that is to say,-

Application for relief under section 51 when to be made

- (a) in the cases mentioned in sub-clause (v) of clause (c), within two months of the date of the instrument:
- (b) in the case of a stamped paper on which no instrument has been executed by any of the parties thereto, within six months after the stamp has been spoiled:
- (c) in the case of a stamped paper in which an instrument has been executed by any of the parties thereto, within six months after the date of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone executed:

Provided that,-

- (a) when the spoiled instrument has been for sufficient reasons sent out of India, the application may be made within six months after it has been received back in India:
- (b) when, from unavoidable circumstances, any instrument for which another instrument has been substituted, cannot be given up to be cancelled within the aforesaid period, the application may be made within six months after the date of execution of the substituted instrument.

Allowance in case of printed forms no longer required by corporations

54. The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf may, without limit of time, make allowance for stamped papers used for printed forms of instruments, by any banker or by any incorporated company or other body corporate, if for any sufficient reason such forms have ceased to be required by the said banker, company or body corporate:

Provided that such authority is satisfied that the duty in respect of such stamped paper has been duly paid.

Allowance for misused stamps

55. (a) When any person has inadvertently used for an instrument chargeable with duty, a stamp of a description other than that prescribed for such instrument by the rules made under this Act, or a stamp of greater value than was necessary or has inadvertently used any stamp for an instrument not chargeable with any duty; or

(b) When any stamp used for an instrument has been inadvertently rendered useless under section 19, owing to such instrument having been written in contravention of the provisions of section 18.

the Collector may, on application made within six months after the date of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone executed, and upon the instrument, if chargeable with duty, being re-stamped with the proper duty, cancel and allow as spoiled the stamp so misused or rendered useless.

Allowance for spoiled or misused stamps- how to be made

56. In any case in which allowance is made for spoiled or misused stamps, the Collector may give in lieu thereof,-

- (a) other stamps of the same description and value, or
- (b) if required and he thinks fit, stamps of any other description to the same amount in value: or

(c) at his discretion, the same value in money, deducting ten paise for each rupee or fraction of a rupee.

57. When any person is possessed of a stamp or stamps which have not been spoiled or rendered unfit or useless for the purpose intended, but for which he has no immediate use, the Collector shall repay to such person the value of such stamp or stamps in money, deducting ten paise for each rupee or portion of a rupee, upon such person delivering up the same to be cancelled, and proving to the Collector's satisfaction-

Allowance for stamps not required for use

- (a) that such stamp or stamps were purchased by such person with a bonafide intention to use them;
- (b) that he has paid the full price thereof; and
- (c) that they were so purchased within the period of six months next preceding the date on which they were so delivered:

Provided that, where the person is a licensed vendor of stamps, the Collector may, if he thinks fit, make the repayment of the sum actually paid by the vendor without any such deduction as aforesaid.

CHAPTER -VI.

REFERENCE, REVISION AND APPEAL

58. (1) The power exercisable by a Collector under section 12, clause (a) of the first proviso to section 32, Chapter IV, Chapter V and Chapter VIII shall in all cases be subject to the control of the Chief Controlling Revenue Authority.

Control of, and statement of case to, Chief Controlling Revenue Authority

Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person including the Government aggrieved by an order of the Collector under section 12, clause (a) of the first proviso to section 32, Chapter-IV, Chapter-V and Chapter VIII may, within 60 days from the date of receipt of such order prefer an appeal against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, who shall after giving the parties a reasonable opportunity of being heard consider the case and pass such order thereon as he thinks just and proper and the order so passed shall be final:

Provided that no application for stay of recovery of any disputed amount of stamp duty including interest thereon or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount:

Provided further that where the Chief Controlling Revenue Authority passes an order for the stay of the recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty, or for the stay of the operation of any order appealed against and such order results in the stay of recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty, such stay order shall not remain in force for more than thirty days unless the appellant furnishes adequate security to the satisfaction of the Collector concerned for the payment of the outstanding amount.

(2) If any Collector, acting under section 36, section 43 or section 44, feels doubt as to the amount of duty with which any instrument is chargeable, he may draw up a statement of the case, and refer it, with his own opinion thereon, for the decision of the Chief Controlling Revenue Authority.

(3) The Authority referred to in sub-section (2) shall consider the case and send a copy of its decision to the Collector who shall proceed to assess and charge the duty (if any) in conformity with such decision.

(4) where any order of Collector is partially altered or quashed by the Chief

Controlling Revenue Authority, the Collector shall have the power to refund the excess amount of stamp duty, penalty or interest paid under the said order.

Statement of case by Chief Controlling Revenue Authority to High Court

59. (1) The Chief Controlling Revenue Authority may state any case referred to it under sub-section (2) of section 58, or otherwise coming to its notice, and refer such case, with its own opinion thereon, if it arises in the State, to the High Court of the State:

(2) Every such case shall be decided by not less than three Judges of the High Court to which it is referred, and in case of difference, the opinion of the majority shall prevail.

Power of High Court to call for further particulars as to case stated

60. If the High Court is not satisfied that the statements contained in the case are sufficient to enable it to determine the questions raised thereby, the Court may refer the case back to the Revenue Authority by which it was stated, to make such additions thereto or alterations therein as the Court may direct in that behalf.

Procedure in disposing of case stated

61. (1) The High Court upon the bearing of any such case, shall decide the questions raised thereby, and shall deliver its judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded.

(2) The Court shall send to the Revenue Authority by which the case was stated, a copy of such judgment under the seal of the Court and the signature of the Registrar; and the Revenue Authority shall, on receiving such copy, dispose of the case conformably to such judgment.

Statement of case by other Courts to High Court

62. (1) If any Court, other than a court mentioned in section 59, feels doubt as to the amount of duty to be paid in respect of any instrument under proviso (a) to section 39, the Judge may draw up a statement of the case and refer it, with his own opinion thereon, for the decision of the High Court to which, if he were the Chief Controlling Revenue Authority, he would, under section 59, refer the same.

(2) Such court shall deal with the case as if it had been referred under section 59, and send a copy of its judgment under the seal of the Court and the signature of the Registrar to the Chief Controlling Revenue Authority and other like copy to the Judge making the reference, who shall, on receiving such copy, dispose of the case conformably to such judgment.

(3) References made under sub-section (1), when made by a Court, subordinate to a District Court, shall be made through the District Court, and, when made by any subordinate Revenue Court, shall be made through the Court immediately superior.

Revision of certain decisions of Courts regarding the sufficiency of stamps

63. (1) When any Court in the exercise of its civil or revenue jurisdiction of any Criminal Court in any proceeding under sections 125 to 128 and section 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Act no. 2 of 1974) makes any order admitting any instrument in evidence as duly stamped or as not requiring a stamp, or upon payment of duty and a penalty under section 39, the Court to which appeals lie from, or references are made by, such first-mentioned Court may, of its own motion or on the application of the Collector, take such order into consideration.

(2) If such Court, after such consideration, is of opinion that such instrument should not have been admitted in evidence without the payment of duty and penalty under section 40, or without the payment of a higher duty and penalty than those paid, it may record a declaration to that effect, and determine the amount of duty with which such instrument is chargeable, and may require any person in whose possession or power such instrument then is, to produce the same, and may impound the same when produced.

(3) When any declaration has been recorded under sub-section (2), the Court recording the same shall send a copy thereof to the Collector, and, where the instrument to which it relates has been impounded or is otherwise in the possession of such Court, shall also send him such instrument.

(4) The Collector may thereupon, notwithstanding anything contained in the order admitting such instrument in evidence, or in any certificate granted under section 45, or in section 46, prosecute any person for any offence against the Stamp law which the Collector considers him to have committed in respect of such instrument:

Provided that-

- (a) no such prosecution shall be instituted where the amount (including duty and penalty) which, according to the determination of such court, was payable in respect of the instrument under section 39, is paid to the Collector, unless he thinks that the offence was committed with an intention of evading payment of the proper duty;
- (b) except for the purposes of such prosecution, no declaration made under this section shall affect the validity of any order admitting any instrument in evidence, or of any certificate granted under section 45.

CHAPTER VII.

CRIMINAL OFFENCES AND PROCEDURE.

64. (1) Any person who, with the intention to evade the duty, executes or signs otherwise than as a witness any instrument chargeable with duty without the same being duly stamped shall, on conviction, for every such offence be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to six months and with fine which may extend to five thousand rupees:

Penalty for executing, etc. instrument not duly stamped

Provided that, when any penalty has been paid in respect of any instrument under section 39, section 43 or section 49, the amount of such penalty shall be allowed in reduction of the fine (if any) subsequently imposed under this section in respect of the same instrument upon the person who paid such penalty.

(2) If a share warrant is issued without being duly stamped, the company issuing the same and also every person who, at the time when it is issued, is the managing director or secretary or other principal officer of the company, shall, on conviction be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

(3) No person shall be prosecuted under sub-section (1) or sub-section (2) in respect of an instrument which was produced in court and which was admitted after a decision by the court that the said instrument was duly stamped or that no stamp was required.

65. Any person who makes a declaration in a clearance list which is false or which he either knows or believes to be false, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to six months and with fine which may extend to five thousand rupees.

Penalty for making false declaration in Clearance List

66. Any person required by section 17 to cancel an adhesive stamp, and failing to cancel such stamp in the manner prescribed by that section, shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

Penalty for failure to cancel adhesive stamp

67. Any person who, with intent to defraud the Government,-

Penalty for omission to comply with provisions of section 33

- (a) executes any instrument in which all the facts and circumstances required by section 33 to be set forth in such instrument are not fully and truly set forth; or

(b) being employed or concerned in or about the preparation of any instruments, neglects or omits fully and truly to set forth therein all such facts and circumstances; or

(c) does any other act calculated to deprive the Government of any duty or penalty under this Act.

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Recovery of
amount of deficit
stamp duty

68. (1) Where any person liable to pay duty under this Act is convicted of an offence under Section 64 or 67, in respect of any instrument (not being an instrument specified in Entry 91 of List I in the Seventh Schedule to the Constitution) the Magistrate shall, in addition to any punishment which may be imposed for such offence, direct recover the amount of duty and penalty, if any, due under this bill from such person in respect of that instrument and such amount shall also be recoverable as if it were a fine imposed by the Magistrate.

(2) Upon such recovery the Collector shall thereupon certify by endorsement on that instrument that proper duty or penalty, as the case may be, has been levied in respect thereof.

Penalty for breach
of rule relating to
sale of stamps and
for
unauthorized sale

69. (a) Any person appointed to sell stamps who disobeys any rule made under section 75; and

(b) Any person not so appointed who sells or offers for sale any stamp (other than a ten paise or five paise adhesive stamp),

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

Institution and
conduct of
prosecutions

70. (1) No prosecution in respect of any offence punishable under this bill or provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) hereby repealed shall be instituted without the sanction of the Collector or such other officer as the State Government generally, or the Collector specially, authorizes in that behalf.

(2) The Chief Controlling Revenue Authority, or any officer generally or specially authorised by it in this behalf, may stay any such prosecution or compound any such offence.

(3) The amount of any such composition shall be recoverable in the manner provided by section 50.

Jurisdiction of
Magistrates

71. No magistrate other than a Magistrate, whose powers are not less than those of a Magistrate of the second class, shall try any offence under this Act.

Place of trial

72. Every such offence committed in respect of any instrument may be tried in any district in which such instrument is found, as well as in any district in which such offence might be tried under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) for the time being in force.

CHAPTER VIII.

SUPPLEMENTAL PROVISIONS

73. Every public officer or any person having in his custody any registers, books, records, papers, documents or proceedings, the inspection whereof may tend to secure any duty, or to prove or lead to the discovery of any fraud or omission in

relation to any duty, shall at all reasonable times, permit any officer whose duty it is to see that proper duty is paid or any other person authorised in writing by the Collector to inspect for such purpose the registers, books, papers, documents and proceedings, and to take such notes and extracts as he may deem necessary, without fee or charge.

74. (1) Where the Collector or the Commissioner of Stamps, Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps has reason to believe that any instrument chargeable to duty has not been charged at all or has been incorrectly charged with duty leviable under this Act, he or any other officer authorised by them in writing in this behalf (to be called the authorised officer) may require the person concerned who is having in his custody or maintaining such instruments, registers, books, records, papers, maps, documents or proceedings, to produce before him or the authorised officer any such instrument or any other relevant record pertaining thereto, including registers, books, records, papers, maps, documents or proceedings.

Collector's power to call for information, instruments or records

Explanation - For the purpose of this sub-section the expression "person concerned" includes a body of individuals, any statutory authority or association, whether incorporated or not.

(2) If any person, on being required under sub-section (1) by the Collector or the Commissioner of Stamps, Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps or the authorised officer, willfully fails to produce the required instrument or other record as aforesaid without any sufficient cause, the Collector or the Commissioner of Stamps, Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps may direct such person to pay an amount, by way of penalty, a sum not exceeding rupees five thousand:

Provided that no such order under this sub-section shall be passed by the Collector or the Commissioner of Stamps, Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps unless the person on whom such penalty is proposed to be imposed is given a reasonable opportunity of being heard in the matter:

Provided further that the order passed under this sub-section shall be subject to an appeal to the Chief Controlling Revenue Authority within a period of thirty days or within such extended time as may be allowed in that regard, who shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as he thinks just and proper and the order so passed shall be final.

75. The State Government, may by notification published in the Gazette make rules for regulating-

Power to make rules relating to sale of stamps

- (a) the supply and sale of stamps, e-stamp, stamp by franking machine, by use of internet or any other machine and stamped papers;
- (b) the persons by whom alone such sale is to be conducted; and
- (c) the duties and remuneration of and the fees chargeable from such person:

Provided that such rules shall not restrict the sale of ten paise or five paise adhesive stamps.

76. The State Government may by notification published in the Gazette make rules to carry out generally the purposes of this Act including rules for launching amnesty scheme, and may by such rules, prescribe the fines, which shall in no case exceed five hundred rupees, to be incurred on breach thereof.

Power to make rules generally to carry out Act

Delegation of certain powers	<p>77. The State Government may, by notification in the Gazette, delegate-</p> <p>(a) all or any of the powers conferred on it by clause (v) of section 2, sub-section (3) of section 38, sub-section (1) of section 70, section 75 to the Chief Controlling Revenue Authority.; and</p> <p>(b) all or any of the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority by section 12, sub-section (1) of section 58, sub-section (2) of section 70 and section 74 to such subordinate revenue authority or any officer of the Stamp and Registration Department not below the rank of Deputy Commissioner of Stamps, as may be specified in the notification</p>
Saving as to court-fees	<p>78. Except the provisions as to copies contained in section 7, nothing in this bill contained shall be deemed to affect the duties chargeable under any enactment for the time being in force relating to court-fees.</p>
Saving as to certain stamps	<p>79. All stamps in denominations of annas four or multiples thereof shall be deemed to be stamps of the value of twenty-five paise or, as the case may be, multiples thereof and shall, accordingly, be valid for all the purpose of this bill.</p>
Application of Indian Stamp Act, 1899	<p>80. The Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) in so far as it relates to the subject matter relateable to Entry 44 of List III of the Seventh Schedule of the Constitution in respect of documents specified in Entry 91 of List I of the said Schedule, shall notwithstanding anything contained in this bill or any law for the time being in force, extend to the whole State of Uttar Pradesh.</p>
Savings and Repeal	<p>81. (1) The Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) as adapted in the State of Uttar Pradesh, except in so far as it relates to documents specified in Entry 91 of List I in the Seventh Schedule to the Constitution of India, is hereby repealed and the provisions of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no. 1 of 1904), shall apply to such repeal:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the repeal hereby shall not affect,-</p> <p style="padding-left: 80px;">(i) any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or anything done or suffered;</p> <p style="padding-left: 80px;">(ii) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, title, obligation or liability;</p> <p style="padding-left: 40px;">under the provisions of the enactments hereby repealed and any such proceeding may be instituted, continued and disposed of and any such remedy may be enforced as if this Act had not been passed.</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under any of the enactments hereby repealed shall be deemed to have been, made or issued under the provisions of this bill, in so far as such appointments, notifications, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this bill and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act.</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) All stamps in denomination of annas of four or multiples thereof shall be deemed to be stamps of the value of twenty-five naya paise or as the case may be multiples thereof and valid accordingly.</p>

SCHEDULE
[See section 3 and section 80]
STAMP-DUTY ON INSTRUMENTS UNDER
THE UTTAR PRADESH STAMP ACT, 2008.

Description of instrument	Proper stamp duty
<p>1. ACKNOWLEDGEMENT, of debt exceeding one thousand rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book), or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession:</p> <p>Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.</p>	Ten rupees
<p>2. ADMINISTRATION BOND, including a bond given under section 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925 (Act no.39 of 1925) or section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873 (Act no. 5 of 1873)</p>	The same duty as Bond (No.14), subject to a maximum of two hundred rupees
<p>3. ADOPTION-DEED, that is to say, any instrument (other than a Will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.</p> <p><i>ADVOCATE. See ENTRY AS AN ADVOCATE (No. 17)</i></p>	One hundred rupees.
<p>4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed, affirming or declaring instead of swearing.</p>	Ten rupee.
Exemptions	
<p>Affidavit or declaration in writing when made -</p> <p>(a) as a condition of enrolment under the Indian Army Act, 1950, (Act no.46 of 1950) the Indian Air Force Act, 1950 (Act no. 45 of 1950) or the Navy Act, 1957 (Act no.62 of 1957), or</p> <p>(b) for the sole purpose of enabling any persons to receive any pension or charitable allowance:</p>	
<p>5. AGREEMENT OR ITS RECORDS OR MEMORANDUM OF AN AGREEMENT.</p>	
<p>(a) if relating to the sale of a bill of exchange;</p>	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof.
<p>(b) if relating to the purchase or sale of a government security.</p>	Fifty paise for every rupees 1,00,000 or part thereof of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be.
<p>(c) if relating to the purchase or sale of shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture stocks, or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate -</p>	
<p>(i) when such agreement or memorandum of an agreement is with or through a member or between members of Stock Exchange recognized under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (XLI) of 1956)</p>	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be.

Description of instrument	Proper stamp duty
(ii) in any other case;	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be.
(d)	
(i) if relating to the purchase or sale of cotton.	one rupee for every rupees ten thousand or part thereof of the value of cotton.
(ii) if relating to the purchase or sale of bullion or spices:	one rupee for every rupees ten thousand or part thereof of the value of silver or gold or sovereigns or spices , as the case may be.
(iii) if relating to the purchase or sale of oilseeds:	one rupee for every 10,000 or part thereof of the value of yarn of any kind, non-mineral oils or spieces of any kind, as the case may be.
(iv) if relating to the purchase or sale of yarn of any kind, non-mineral oils or spices of any kind;	one rupee for every rupees 10,000 or part thereof of the value of yarn of any kind, non- mineral oils or spices of any kind, as the case may be.

Explanation.

Any duty paid under Article 22, 44 or 52, as the case may be, shall be adjusted against the duty chargeable under clauses (b), (c) (d) (i), (ii), (iii) and (iv).

(e) if relating to the sale of an immovable property where possession is not admitted to have been delivered, nor is agreed to be delivered without executing the conveyance

Provided that when Conveyance in pursuance of such agreement is executed within three years from the date of execution of the said agreement, the duty paid under this clause, in excess of the duty payable under clause (c) shall be adjusted towards the total duty payable on the conveyance.

Provided further that if the said agreement is revoked within a period of three years from the date of execution of such agreement, the stamp duty paid on such agreement shall be refunded after deduction of ten percent of the amount of stamp duty paid on such agreement, subject to minimum deduction of rupees one hundred.

(f) if relating to the construction of a building on a land by a person other than the owner or lessee of such land and having a stipulation that after construction, such building shall be held jointly or severally by that other person and the owner or lessee, as the case may be, of such land, or that it shall be sold jointly or severally by them or that a part of it shall be held jointly or severally by them and the remaining part thereof shall be sold jointly or severally by them.

Twenty rupees for every one thousand rupees or part thereof, on the amount of consideration as set forth in the instrument.

Rupees twenty for every rupees one thousand or part thereof on the amount of consideration, as set forth in the agreement or the market value of the immovable property which is the subject of such agreement which ever is greater.

Description of instrument	Proper stamp duty
Explanation.	
For the purposes of this clause:	
(1) The expression "land" shall include things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth.	
(2) The expression "Lessee" shall mean a holder of a lease in perpetuity or for a period of thirty years or more.	
(3) The expression "building" shall mean a building having more than one "apartment" and/or more than one "commercial unit" where the expression "apartment" means a part of any property, intended for independent use, including one or more rooms or enclosed spaces located on one or more floors or any part or parts thereof in a building, intended to be used for residential purpose and with a direct exit to a public street, road or highway or to a common area leading to such street, road or highway, which, together with its undivided interest in the common areas and facilities, forms an independent residential unit; and the expression "commercial unit" means any separate identifiable property, including enclosed spaces located in the building or commercial complex, on one or more floors or any part or parts thereof, to be used for the purpose of practicing any profession, or for carrying on any commercial activity, occupation, trade or business or for any other related use and with a direct exit to a public street, road or highway or to a common area leading to such street, road or highway which, together with its undivided interest in the common areas and facilities, forms an independent commercial unit and includes any godown, in the building in which such unit is located for use by the owner of such unit for keeping goods.	
(g) If relating to:-	Two rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(i) Any advertisement on mass media, made for promotion of any product or programme or event with an intention to make profits or business out of it.	
(ii) conferring exclusive rights or telecasting, broadcasting or exhibition of an event or a film.	Two rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(iii) specific performance by any person or a group of persons where the value of contract exceeds rupees 1,00,000.	Two rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(iv) creation of any obligation, right or interest and having monetary value, but not covered under this Article,	Two rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(v) Assignment of copy right under the Copyright Act, 1957 (Act no.14 of 1957).	Two rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract of value signed for such assignment
(h) if not otherwise provided for.	One hundred rupees.

Description of instrument	Proper stamp duty
Exemption	
Agreement or memorandum of agreement made in the form of tender to the Central Government for, or relating to any loan:	
6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE-DEEDS, PAWN, HYPOTHECATION OR PLEDGE. that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to -	
(1) the deposit of title-deeds, or instruments, constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security); or.	
(2) the pawn, hypothecation or pledge of movable property.	
where such deposit, pawn, hypothecation or pledge has been made by way of security for the repayment	
of money advanced or to be advanced by way	
of loan or an existing or future debt	
(a) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the	
instrument evidencing the agreement:	
for every rupees one thousand or part thereof of the amount of loan or debt.	five rupees, subject to a maximum of rupees ten thousand.
Explanation-	
For the purposes of clause (1) of this Article, any letter, note or memorandum, record or writing; relating to the deposit of title deeds, whether written or made before, or at the time of, or after, the deposit of title deeds is effected, and whether it is in respect of the first loan or any subsequent loan, such loan, such letter, note, memorandum, record or writing shall, in the absence of any separate agreement relating to deposit of title deeds, be deemed to be an instrument evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds.	
(b) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.	Half the duty payable on a loan or debt under clause (a) for the amount secured.
Exemption	
Instrument of pawn, hypothecation or pledge of agriculture produce, if unattested.	
7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER.	
whether of trustees or of property, movable or	
immovable, where made by any writing not being a will-	
(a) where the value of the property does not exceed rupees one thousand.	Fifty rupees.
(b) in any other case	One hundred rupees

Description of instrument	Proper stamp duty
<p>8. APPRAISEMENT OR VALUATION made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit</p>	
(a) where the amount does not exceed Rs. 1,000.	The same duty as a Bond (No. 14) for such amount
(b) in any other case.	The same duty as a Bond (No. 14) for rupees one thousand.

Exemptions

(a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner, obligatory between parties, either by agreement or operation of law.

(b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.

9. APPRENTICESHIP DEED, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being ARTICLES OF CLERKSHIP (No. 11) Twenty rupees.

Exemption

Instruments of apprenticeship executed by a magistrate under the Apprentices Act, 1850 (Act no.19 of 1850), or by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.

10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY. Five hundred rupees.

Exemption

Articles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act, 1913 (Act no.7 of 1913).

See also MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY (No. 40).

11. ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whereby any person first becomes bound to serve as a clerk in order to secure his admission as an attorney in any High Court. Four hundred rupees.

ASSIGNMENT- See CONVEYANCE (No. 24), TRANSFER (No. 60), and TRANSFER OF LEASE (No. 61), as the case may be.

ATTORNEY- See ENTRY AS AN ATTORNEY (No. 17) and POWER-OF-ATTORNEY (No. 48). AUTHORITY TO ADOPT- See ADOPTION DEED (No. 3).

12. AWARD.- that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit-

Description of instrument	Proper stamp duty
(a) where the amount or value of the property to which the award relates as set forth in such award does not exceed Rs. 1,000.	The same duty as a bond (No. 14) such amount
(b) if it exceeds Rs. 1000, for every additional Rs. 1000 or part thereof	Ten rupees.
(c) where the subject matter of award is incapable of valuation	The same duty as a bond (No. 14) rupees one thousand.

Exemption

Award under ~~the UP Municipalities~~ Act, 1916. (Act no 2 of 1916) section 224(1) or the U.P. District Boards Act, 1922 (Act no. 10 of 1922), section 191

13 BANK GUARANTEE. Guarantee deed executed by a bank as a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability. -

for every one thousand rupees or part thereof.

five rupees subject to a maximum of ten thousand rupees.

Bill of Exchange- See No. 13 Schedule I. of the Indian Stamp Act, 1899

BILL OF LADING See No. 14 Schedule I. of the Indian Stamp Act, 1899 Schedule I.

14. BOND [as defined by section 2(ii)] not being a debenture (No. 27 of Schedule of the Indian Stamp Act, 1899), and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court-fees Act, 1870 (Act no. 7 of 1870) -

where the amount, or value secured does not exceed Rs. 100:

four rupees

where it exceeds Rs. 100 and does not exceed Rs. 1000

forty rupees

and for every additional Rs. 1000 or part thereof in excess of Rs. 1,000.

forty rupees

See ADMINISTRATION BOND (NO. 2)

BOTTOMRY BOND (NO. 15), CUSTOMS BOND (NO. 27), INDEMNITY BOND (NO. 33), RESPONDENTIA BOND (NO. 54), SECURITY BOND (NO. 55).

Exemption.

Bond, when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other subject of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.

15. BOTTOMRY BOND. that is to say, any instrument whereby the master of a seagoing ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.

The same duty as a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value secured.

16. CANCELLATION - Instrument of (including any instrument by which any instrument, previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.

One hundred rupees.

Description of instrument	Proper stamp duty
<i>See also RELEASE (NO. 53), REVOCATION OF SETTLEMENT (NO. 56B), SURRENDER OF LEASE (NO. 59), REVOCATION OF TRUST (NO. 62B)</i>	
17. CERTIFICATE OF ENROLMENT UNDER SECTION 22 OF THE ADVOCATES ACT, 1961. (Act no. 25 of 1961) issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh.	Five hundred rupees.
18. CERTIFICATE OF PRACTICE AS NOTARY under sub-section (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952. (Act no. 53 of 1952) or endorsement of renewal of such certificate under sub-section (2) of the said section.	Two hundred rupees
19. CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Court, by an officer, authority or body empowered under any law, for the time being in force, to sell such property by public auction and to grant such certificate.	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the amount of the purchase money only.
20. CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT, evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	One rupee.
<i>See also LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES (NO. 37)</i>	
21. CHARTER-PARTY, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug-steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	Ten rupee.
Article 22. (1) Clearance List relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.	The sum of duties payable under clause (b) of Article 5 or Article 44 (g), as the case may be, in respect of each of the entries in such list on the value of the securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be.
(2) Clearance List relating to the transactions for the purchase or sale of a share, scrip, stock, bond, debenture, debenture-stock or other marketable security of a like nature in or of an incorporated company or other body corporate, submitted to the clearing house of a stock exchange whether recognized or not recognized under the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (Act no. 42 of 1956).	The sum of duties payable under Article 5 (c) (i) or 44 (f), as the case may be, in respect of each of the entries in such list on the value of the securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be.
(3) Clearance List relating to the transactions for the purchase or sale of Cotton submitted to the cotton association	The sum of duties payable under Article 5 (d) (i) or 44 (a), as the case may be, in respect of each of the entries in such list on the value
23. COMPOSITION-DEED, that is, to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the	Fifty rupees.

Description of instrument	Proper stamp duty
benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business, under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors.	
24. CONVEYANCE [as defined by section 2(viii)], not being a TRANSFER charged or exempted under No. 60. -	
(a) if relating to immovable property where the amount or value of the consideration for such	
Conveyance as set forth therein or the market value of the immovable property which is the subject of such Conveyance, whichever is greater, does not exceed Rs.500.	forty rupees
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 1000.	eighty rupees
and for every Rs. 1000 or part thereof in excess of Rs.1.000.	eighty rupees
<p>Provided that, if an immovable property is sold by Government or a Local Body (constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no.2 of 1916) or the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) or by a Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. (President Act no.11 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no.30 of 1974), an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U. P. Act no.6 of 1976), the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966) and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act, 1956. (Act no.1 of 1956) on the basis of the pre-determined price, then the value determined by such bodies, shall be the market value of the subject matter of the property.</p>	
<p>Explanation. For the purposes of this proviso the "pre-determined price" includes the interest and/ or penalty, if any, relating to the transferred property levied by the above mentioned authorities on the allottee.</p>	
(b) If relating to immovable property-	
<p>by a co-operative housing society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force, in favour of its members;</p>	<p>The same duty as on Conveyance (No.24 clause (a)) on one half of the consideration or the market value of such property, whichever is higher.</p>
<p>(c) if relating to transfer of share in immovable property of an existing member of a co-operative housing society in favour of an incoming person by the co-operative housing society by means of issuance of new share certificates or when such transfer is affected by endorsement on the share certificate of the existing member in favour of the incoming person..</p>	<p>The same duty as on Conveyance (No.24 clause (a)) on the consideration or the market value of such property, whichever is higher.</p>

Description of instrument	Proper stamp duty
<p>Provided that in case stamp duty has already been paid on such transfer of shares as provided in the above clause (c) and when conveyance in pursuance of such transfer of shares is subsequently executed, the duty on such conveyance shall be one hundred rupees.</p>	
<p>Exemption</p>	
<p>Instrument of Conveyance executed in favour of a co-operative society, not being a co-operative housing society, registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force.</p>	
<p>(d) if relating to movable property :</p>	
<p>where the amount or value of the consideration of such Conveyance as set forth therein does not exceed rupees one thousand ,</p>	twenty rupees
<p>and for every rupees one thousand or part thereof in excess of rupees one thousand .</p>	twenty rupees
<p>(e) (i) if relating to the order of High Court in respect of the amalgamation or reconstruction of companies under section 394 of the Companies Act, 1956 (Act no.1 of 1956) or under the order of the Reserve Bank of India under section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Act no. 10 of 1949), or</p>	<p>Ten percent of - the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of the consideration paid for such amalgamation, or</p>
<p>(ii) whereby an incorporated company or body corporate transfers its property in the form of controlling interest by transfer of equity shares to another incorporated company or body corporate or a person or a group of persons.</p>	<p>the market value of the shares transferred to the transferee in the form of controlling interest;</p>
	<p>Provided that the amount of duty chargeable under this clause shall not exceed -</p>
	<p>(i) an amount equal to five percent of the market value of the immovable property located within the territory of Uttar Pradesh of the transferor company, or</p>
	<p>(ii) an amount equal to 0.70 percent of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid for such amalgamation whichever is higher among (i) or (ii).</p>
	<p>Provided further that in case of reconstruction or de-merger, the duty chargeable shall not exceed-</p>
	<p>(i) an amount equal to five percent of the market value of the</p>

Description of instrument:	Proper stamp duty
	immovable property located within the State of Uttar Pradesh transferred by the de-merging company to the resulting company, or (ii) an amount equal to 0.70 percent of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted to the resulting company and the amount of consideration paid for such de-merger, whichever is higher.

Exemption

Assignment of copyright in musical works by resident of, or first published in India.

Explanation-1

For the purposes of this Article, in the case of an agreement to sell an immovable property, where possession is delivered before the execution or at the time of execution or is agreed to be delivered without executing the conveyance, the agreement shall be deemed to be a conveyance and stamp thereon shall be payable accordingly:

Provided that the provisions of section 52 shall, mutatis mutandis, apply to such agreement:

Provided further that in case stamp duty has already been paid on agreement to sell with possession and when conveyance in pursuance of such agreement is subsequently executed within a period of three years from the date of execution of such agreement, the duty on such conveyance shall be one hundred rupees; and if Conveyance in pursuance of such agreement with possession is subsequently executed after a period of three years from the date of execution of such agreement, the stamp duty paid under this clause in excess of the duty payable under clause (e) of this Article shall be adjusted towards the total duty payable on the conveyance.

Explanation 2.

(i) For the purposes of clause (e), the market value of shares,-

(a) in relation to the transferee company, whose shares are listed and quoted for trading on a stock exchange, means the market value of shares as on the appointed day mentioned in the scheme of amalgamation or when appointed day is not so fixed, the date of order of the High Court; and

(b) in relation to the transferee company whose shares are not listed/ or listed but not quoted for trading on a stock exchange, means the market value of the shares issued or allotted with reference to the market value of the shares of the transferor company or as determined by the Collector after giving the transferee company an opportunity of being heard.

Description of instrument	Proper stamp duty
(ii) For the purposes of clause (e), the number of shares issued or allotted in exchange or otherwise shall mean, the number of shares of the transferor company accounted as per exchange ratio as on appointed date.	
<i>CO-PARTNERSHIP DEED. See Partnership (No.47).</i>	
25. COPY OR EXTRACT certified to be a true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees -	
(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed ten rupee;	Ten rupee.
(ii) in any other case not falling within the provisions of section 7.	Ten rupee
Exemptions	
(a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or to furnish for record in any public office or for any public purpose.	
(b) Copy of, or extract from any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.	
26. COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid. -	
(a) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed fifty rupees;	The same duty as is payable on the original.
(b) in any other case not falling within the provisions of section 7.	Fifty rupees.
Exemption	
Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty.	
27. CUSTOMS-BOND -	
	Subject to a maximum of one hundred fifty rupees, the same duty as on a Bond (No. 14).
28. DELIVERY-ORDER IN RESPECT OF GOODS , that is to say, any instrument entitling any person therein named, or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or port, or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any wharf, such instrument being signed by or on behalf of the owner of such goods, upon the sale or transfer of the property therein, when such goods exceed in value one thousand rupees.	
<i>DEPOSIT OF TITLE-DEEDS. See AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE-DEEDS, HYPOTHECATION, PAWN OR PLEDGE (No. 6).</i>	
<i>DISSOLUTION OF PARTNERSHIP. See</i>	
<i>PARTNERSHIP (No. 47).</i>	

Description of instrument	Proper stamp duty
29. DIVORCE – Instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	One hundred rupee.
DOWER-Instrument of. See SETTLEMENT (No. 56). DUPLICATE. See COUNTERPART (No. 26).	
30. EXCHANGE OF PROPERTY - Instrument of exchange of property including declaration or record of oral exchange of property or any decree or final order of any civil or revenue court,	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the market value of the property of greatest value. Provided that where stamp duty has already been paid on the decree or order of the Court and subsequently an instrument of exchange of property is executed in pursuance of such decree or order, the stamp duty, if any, already paid or recovered on such decree or order shall be adjusted towards the total duty leviable on such instrument.
<i>EXTRACT. See COPY (No. 25).</i>	
31. FURTHER CHARGE - Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property -	
(a) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article No. 41 (that is, with possession):	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the amount of the further charge secured by such instrument.
(b) when such mortgage is one of the description referred to in clause (b) of Article No. 41 (that is, without possession)-	
(i) if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given, or agreed to be given under such instrument;	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the total amount of the charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.
(ii) if possession is not so given.	The same duty as a Bond (No. 14) for the amount of the further charge secured by such instrument.
32. GIFT - Instrument of, not being a SETTLEMENT (No.56) or WILL OR TRANSFER (No. 60).	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the value of the property.
<i>HIRING AGREEMENTS or agreement for service. See AGREEMENT (No. 5).</i>	
33. INDEMNITY-BOND	The same duty as a Security Bond not being a mortgage deed (No. 55) for the same amount.

List of Instruments	Proper Stamp Duty
INSPECTORSHIP-DEED. See COMPOSITION DEED (No. 24), INSURANCE. See POLICY OF INSURANCE (No. 47 of Schedule of the Indian Stamp Act, 1899).	
34. INSTRUMENT correcting a purely clerical error in an instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid.	One hundred rupees
35. LEASE, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease -	
(a) where by such lease the rent is fixed and no premium is paid or delivered -	
(i) where the lease purports to be for a term not exceeding three years:	two percent of the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term exceeding three years but not exceeding five years;	two percent of a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent reserved.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years:	two percent of a consideration equal to five times the amount or value of the average annual rent reserved.
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years:	two percent of a consideration equal to ten times the amount or value of the average annual rent reserved.
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but not exceeding thirty years or does not purport to be for any definite term:	two percent of a consideration equal to twenty times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years or in perpetuity:	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the market value of the property which is the subject of the lease.
(b) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved:	
(i) where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years or does not purport to be for any definite term:	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(ii) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years, or in perpetuity.	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the market value of the property which is the subject of the lease.
(c) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved.	

Description of the property	Rate
(i) where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years or does not purport to be for any definite term:	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease if no fine or premium or advance had been paid or delivered:
	Provided that in a case when an agreement to lease is stamped with the <i>ad valorem</i> stamp required for lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed fifty rupees.
(ii) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years, or in perpetuity.	The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the market value of the property which is the subject of the lease.
(d) where the rent is not specified and the lease is granted on the basis of sharing of profit or percentage in turnover or otherwise for a period not more than thirty years, the rent shall be assumed to be equal to the rent as calculated on the basis of such percentage or the rent as fixed by the Collector under Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997, as amended from time to time - whichever is higher.	As in clause (a) on the amount of rent so arrived
(e) where the lease is granted for premium and/or rent on the basis of sharing of profit, or on percentage in turnover, or otherwise for a period not more than thirty years in addition to premium and/or rent.	On the sum of duty arrived under clause (d) and clause (a), (b) or (c), as the case may be.
Provided that the minimum duty payable on any lease shall be one hundred rupees.	
Provided further that, if an immovable property is given on lease by Government or a Local Body (constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) or the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) or by a Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, (Presidential Act no. 1 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974), an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1955 (U.P. Act no. 1 of 1966) and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation:	

Description of instrument	Proper stamp duty
registered under the Companies Act, 1956, (Act no.1 of 1956) the stamp duty shall be payable as following :-	
(i) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years.	The same duty as a Conveyance (No.24 clause (a)) for the amount of consideration equal to ten times of the amount or value of the average annual rent reserved.
(ii) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved	The same duty as a Conveyance (No.24 clause (a)) for the amount of consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(iii) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved and purports to be for a term exceeding thirty years.	The same duty as a Conveyance (No.24 clause (a)) for the amount of consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease in addition to the amount mentioned in respect of clause (i).

Provided also that if stamp duty has already been paid on decree or final order of a court and subsequently an instrument of lease is executed in pursuance of such decree or order, the stamp duty, if any, already paid and/ or recovered on such decree or order, the duty shall not exceed rupees one hundred.

Exemption.

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year, or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of land for cultivation together with a homestead or tanks.

Explanations.

(1) When a lessee undertakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owner's share of municipal rates or taxes which is by law recoverable from the lessor the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

(2) A lease from month to month or year to year without any fixed period or one for a fixed period with a provision allowing the lessee to hold over thereafter for an indefinite term, shall be deemed for the purposes of this Article to be a lease not purporting to be for any definite term.

(3) Rent paid in advance shall be deemed to be money advanced within the meaning of this Article unless it is specifically

provision of law

provided in the lease that is not paid in advance shall be set off towards the last installment or installments, if any.

(4) The aggregate amount at which tolls are let, whether payable in lump sum or in installments shall be deemed to be premium for the purposes of this Article.

(5) Any consideration in the form of premium or money advanced or to be advanced or security deposit by whatever name called shall, for the purpose of this Article, be treated as premium passed on.

(6) The provision of extension of the lease period along with the pre-determined rate of rent and the obligation on the part of the lessor to extend the lease shall be treated as a part of the term of the present lease.

36. LEAVE AND LICENSE.- if relating to immovable property, as defined in section 52 of the Easements Act, 1882 (Act no.5 of 1882) The same duty as a Lease (Article 35)

37. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES. in any company or proposed company; or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company. One rupee.

See also CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT (No. 20).

38. LETTER OF LICENCE. that is to say, any agreement between a debtor and his creditors, that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion. Thirty rupees.

39. LICENCE RELATING TO ARMS OR AMMUNITION. that is to say, document evidencing the license or renewal of license relating to arms or ammunition under the provisions of the Arms Act, 1959 (Act no.54 of 1959).

(A) License relating to following arms:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| (i) Revolvers or pistols | Two thousand rupees. |
| (ii) Rifles | One thousand five hundred rupees |
| (iii) DBBL Weapons | One thousand rupees |
| (iv) SBBL Weapons | One thousand rupees. |
| (v) ML Weapons | Two hundred rupees. |

(B) License relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (i) Form XI | Ten thousand rupees |
| (ii) Form XII | Ten thousand rupees |
| (iii) Form XIII | Five thousand rupees |
| (iv) Form XIV | Three thousand rupees |

(C) Renewal of license relating to following arms:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| (i) Revolvers or pistols | one hundred rupees |
|--------------------------|--------------------|

Description of instrument	Proper stamp duty
(ii) Rifles	one hundred rupees
(iii) DBBL Weapons	one hundred rupees
(iv) SBBL Weapons	one hundred rupees
(v) ML Weapons	one hundred rupees
(D) Renewal of license relating of arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962;	
(i) Form XI	Three thousand rupees
(ii) Form XII	Three thousand rupees
(iii) Form XIII	Two thousand rupees
(iv) Form XIV	One thousand rupees
40. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY -	
(a) if accompanied by articles of association under section 26 of the Companies Act, 1956. (Act no.1 of 1956) ;	Five hundred rupees
(b) if not so accompanied.	One thousand rupees.
Exemption	
Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 26 of the Companies Act, 1956. (Act no.1 of 1956)	
41. MORTGAGE-DEED, not being AN AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE DEEDS, HYPOTHECATION, PAWN OR PLEDGE (NO. 6), BOTTOMRY BOND (NO. 15), MORTGAGE OF A CROP (NO. 42), RESPONDENTIA BOND (NO. 54), OR SECURITY BOND NOT BEING A MORTGAGE DEED (NO. 55)	
(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given:	Rupees twenty for every rupees one thousand or part thereof for a consideration equal to the amount secured by such deed.
(b) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid:	Rupees five for every rupees one thousand or part thereof for the amount secured by such deed, subject to a maximum of rupees five lakh.
Explanation:	
A mortgagor who gives to the mortgagee a power-of- attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof. is deemed to give possession within the meaning of this Article.	
(c) When a collateral or auxiliary or additional or substituted security by way of further assurance for the above-mentioned purpose, where the principal or primary security is duly stamped -	
for every sum secured not exceeding Rs.1,000;	Ten rupees

Description of instrument	Proper stamp duty
and for every Rs.1,000 or part thereof secured in excess of Rs.1,000.	Ten rupees.
Exemptions	
(1) Instruments, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (Act no. 19 of 1883), or the Agriculturists' Loans Act, 1884 (Act no. 12 of 1884), or by their sureties as security for the repayment of such advances.	
(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
42. MORTGAGE OF A CROP , including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-	
(a) when the loan is repayable not more than three months from the date of the instrument -	
for every sum secured not exceeding Rs.6000:	Ten rupees
and for every Rs.6000 or part thereof in excess of Rs.6000:	Ten rupees
(b) when the loan is repayable more than three months, but not more than eighteen months from the date of the instrument	
for every sum secured not exceeding Rs.3000:	Twenty rupees
and for every Rs.100 or part thereof secured in excess of Rs.3000.	Twenty rupees
43. NOTARIAL ACT , that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a PROTEST (NO. 49) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.	Ten rupee.
<i>See also PROTEST OF BILL OR NOTE (NO. 49).</i>	
44. NOTE OR MEMORANDUM sent by a broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-	
(a) of cotton	one rupee for every rupees 10,000 or part thereof on the value of cotton,
(b) of bullion or specie	one rupee for every rupees ten thousand or part thereof on the value of silver or gold or sovereigns, as the case may be.
(c) of oilseeds,	one rupee for every 10,000 or part thereof on the value of oilseeds.
(d) of yarn of any kind, non-mineral oils or species of any kind.	one rupee for every rupees 10,000 or part thereof of the value of yarn of any kind, non-mineral oils or species of any kind, as may be.
(e) of any other goods exceeding in value twenty rupees.	one rupee for every rupees 10,000 or part thereof on the value of goods

Description of instrument	Proper stamp duty
(f) of any share, scrip, stock, bond, debenture, debenture-stock or other marketable security of a like nature exceeding in value twenty rupees, not being a Government security,	one rupee for every rupees 10,000 or part thereof of the value of the security, at the time of its purchase or sale, as the case may be.
(g) of a government security.	Fifty paise for every rupees 1,00,000 or part thereof on the value of security.

Explanation

(1) For the purposes of this Article, "Stock Exchange" referred hereinabove means a Stock Exchange as defined in clause (j) of section 2 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (Act no.42 of 1956). (2) For the purposes of Article 44, if any duty is paid under Article 52, then the same shall be reduced from the duty payable under this Article.

Exemption

Note or Memorandum sent by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal or a government security or a share, scrip, stock, bond, debenture, debenture-stock or other marketable security of like nature in or of an incorporated company or other body corporate, an entry relating to which is required to be made in Clearance List, described in Article 22.

45. NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP. Ten rupees.

See also PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP (NO. 50), ORDER FOR THE PAYMENT OF MONEY.

See BILL OF EXCHANGE (NO. 13 of Schedule of the Indian Stamp Act, 1899).

46. PARTITION- Instrument of—[as defined by section 2(xvi)] two percent of the amount of the market value of the separated share or shares of the property:

Provided that the duty payable shall be rounded off to the next multiple of ten rupees.

N.B.-The largest share remaining after the property is partitioned (or, if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares) then one of such equal shares shall be deemed to be that from which the other shares are separated :

Provided always that -

(a) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument, but shall not be less than ten rupees.

Description of instrument	Proper stamp duty
(b) where land is held on Revenue Settlement, the value for the purposes of this Article shall be deemed to be	
(i) twenty times the annual revenue, and	
(ii) ten times the net profit that has arisen from the land during the year next before the date of partition, where the land is wholly or partly exempt from payment of revenue;	
(c) where a final order effecting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition, and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed ten rupees.	
47. PARTNERSHIP - A Instrument of -	
(a) where the capital of the partnership does not exceed Rs.10000;	One hundred rupees
(b) in any other case	The same duty as a Bond (No.14) for rupees ten thousand.
B. Dissolution of	One hundred rupees.
<i>Pawn or pledge. See Agreement Relating to deposit of title deeds, pawn or pledge (no. 6)</i>	
Policy of Insurance -	
See Schedule of the (Indian Stamp Act, 1899).	
48. POWER OF ATTORNEY as defined by section 2(xxii), not being a PROXY (NO. 52 of the Indian Stamp Act, 1899) (Act no. 2 of 1899)	
When authorizing-	
(a) grandfather, father, grandmother, mother, husband, wife, son, grandson, daughter, real brother, real sister, without consideration to sell or otherwise transfer an immovable property.	One hundred rupees,
(b) a person other than those mentioned in clause (a) without consideration to sell or otherwise transfer an immovable property :-	
(i) given for a period not exceeding two years	five thousand rupees
(ii) given for a period exceeding two years or for a period not mentioned in the instrument or for an indefinite period.	The same duty as a Conveyance [No.24 clause (a)] for the market value of the property which is the subject of the instrument.

Description of instrument	Proper stamp duty
(c) any person to sell or otherwise transfer an immovable property situated in Uttar Pradesh, when given for consideration	The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for the amount of consideration or market value of the property whichever is higher.
(d) a person other than those mentioned in clause (a) by a person residing in a country other than India for a period of six months or more at the time of execution of the power of attorney to sell or otherwise transfer immovable property -	
(i) without consideration.	one hundred rupees
(ii) with consideration	The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for the amount of consideration or market value of the property whichever is higher.
(e) when irrevocable authority is given to the attorney to sell immovable property.	The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] on market value of the property forming subject matter of such attorney.
(f) one person or more to act in a single transaction otherwise than to sell or transfer immovable property.	fifty rupees
(g) persons other than those mentioned in clause (a) to sell or transfer immovable property situated outside the State of Uttar Pradesh.	
(i) without consideration.	Five hundred rupees
(ii) with consideration.	One percent of the amount of consideration mentioned in the instrument, subject to a minimum of rupees one thousand.
(h) Any other instrument of power of attorney for a purpose other than a sale or otherwise transfer immovable property or for a purpose not covered under clauses (a) to (g) or when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction, or for admitting execution of one or more such documents.	one hundred rupees

N.B.-The term "registration" includes every operation incidental to registration under the Registration Act, 1908 (16 of 1908).

Explanation

For the purposes of this Article, more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

Promissory note -See No. 49 of Schedule of the Indian Stamp Act, 1899

49. **PROTEST OF BILL OR NOTE**, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public, or other person lawfully acting as such, attesting the dishonor of a Bill of Exchange or Promissory Note. Ten rupees.

50. **PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP**, that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him Ten rupees.

Description of instrument	Proper stamp duty
with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the charterers or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such.	
<i>See also NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP (NO. 45).</i>	
<i>Proxy - See No. 52 of Schedule of the Indian Stamp Act, 1899</i>	
<i>Receipt - See No. 53 of Schedule of the Indian Stamp Act, 1899</i>	
51. RE-CONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY-	
(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs.1,000;	The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for the amount of such consideration as set forth in the Re-conveyance.
(b) in any other case.	The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for rupees one thousand.
52. Record of transaction (Electronic or otherwise) effected by a trading member through a stock exchange or the association referred to in section 15, -	
(a) if relating to sale or purchase of Government securities,	Fifty rupees for every rupees one crore or part thereof of the value of the security,
(b) if relating to purchase or sale of securities, other than those falling under the above sub-clause (a) :-	
(i) in case of delivery.	one rupee for every rupees, Ten thousand or part thereof of the value of security.
(ii) in case of non-delivery.	Twenty paise for every rupees ten thousand or part thereof.
(iii) if relating to future and/ or options trading,	Twenty paise for every rupees ten thousand or part thereof, of the value of security.
(iv) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise.	One rupee for every rupees one lakh or part thereof of the value of security.

Provided that the duty paid under Article 52 shall be adjusted with the duty paid under Article 5(b) Agreement or memorandum of an agreement, Article 22, Clearance List and Article 44 Note or Memorandum, as the case may be.

Explanation

For the purposes of clause (b), securities shall have the same meaning as defined in the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (Act no. 43 of 1956), the term "trading member" shall have the same meaning as defined in Regulation 2 (GA) of Securities and Exchange Board of India (Stock Broker and Sub-broker) Regulations.

Description of instrument	Proper stamp duty
<p>53. Release- that is to say, any instrument, not being such a release as is provided for by sub-section (2) of section 29;</p>	
<p>(1) where by a person renounces a claim upon another person or against any specified property-</p>	
<p>(a) if the amount or value of the claim does not exceed rupees ten thousand,</p>	<p>same duty as a Bond (no.14) for such amount as set forth in the release,</p>
<p>(b) in any other case.</p>	<p>same duty as a Bond (no.14) for rupees ten thousand</p>
<p>54. RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.</p>	<p>The same duty as a Bond (No. 14) for the amount of the loan secured.</p>
<p><i>REVOCAION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT. See SETTLEMENT (NO. 56); TRUST (NO. 62).</i></p>	
<p>55. SECURITY BOND NOT BEING A MORTGAGE DEED, executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability-</p>	
<p>(a) when the amount secured does not exceed Rs.1.00</p>	<p>Ten rupees</p>
<p>(b) in any other case</p>	<p>One hundred rupees.</p>

Exemptions

Bond or other instrument, when executed-

(a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem;

(b) executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (Act no.19 of 1883), or the Agriculturists Loans Act, 1884 (Act no.12 of 1884), or by their sureties, as security for the repayment of such advances;

(c) executed by officers of the Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.

56. SETTLEMENT

A. INSTRUMENT OF- (including a deed of dower).

The same duty as a Bond (No.14) for a sum equal to the amount or market value of the property settled:

Description of instrument	Proper stamp duty
<p style="text-align: center;">Exemption</p> <p>Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans.</p>	<p>Provided that, where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement, and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed ten rupees.</p>
<p>B. REVOCATION OF -</p>	<p>The same duty as a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the Instrument of Revocation but not exceeding fifty rupees.</p>
<p><i>See also TRUST (No. 62).</i></p>	
<p>57. SHARE WARRANTS. to bearer issued under the Indian Companies Act, 1913 (Act no.7 of 1913).</p>	<p>The same duty as a debenture transferable by delivery [(No.27 (b) of the Schedule of the Indian Stamp Act, 1899)] for a face amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.</p>
<p>Exemptions</p>	
<p>Share warrant when issued by a company in pursuance of the Indian Companies Act, 1913, (Act no.7 of 1913) section 43, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamp-revenue, of -</p>	
<p>(a) one and a half per centum of the whole subscribed capital of the company, or</p>	
<p>(b) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues as addition to its subscribed capital - one and a half per centum of the additional capital so issued.</p>	
<p><i>SCRIP. See Certificate (No. 20)</i></p>	
<p>58. SHIPPING ORDER for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.</p>	<p>Ten rupees.</p>
<p>59. SURRENDER OF LEASE-</p>	<p>The same duty as a Bond (No.14) for a consideration of rupees one thousand or the duty with which such lease is chargeable whichever is less:</p> <p>Provided that the duty payable shall be rounded off to the next multiple of ten rupees.</p>

Description of instrument	Proper stamp duty
Exemption	
Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	
60. TRANSFER (whether with or without consideration)-	
(a) Sec No. 62 of Schedule of the Indian Stamp Act. 1899	
(b) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8:	
When the value of the share or the face amount of the debenture does not exceed rupees five hundred,	Ten rupees
Where it exceeds rupees five hundred but does not exceed rupees one thousand	Twenty rupees
and for every rupees five hundred or part thereof in excess of rupees one thousand	Ten rupees
(c) of any interest secured by a bond, mortgage deed or policy of insurance-	
(i) if the duty on such bond, mortgage deed or policy does not exceed one hundred rupees:	The duty with which such Bond, mortgage deed or Policy is chargeable:
	Provided that the duty payable shall be rounded off to the next multiple of ten rupees.
(ii) in any other case	One hundred rupees:
	Provided further that the duty payable shall be rounded off to the next multiple of ten rupees:
	Provided that, if by any instrument the interest secured by several bonds, mortgage deeds or policies of insurance is transferred, the duty payable in respect of such instrument shall be the aggregate of the duties which would have been payable if separate instruments of transfer were executed in respect of each such bonds, mortgage deed or policy of insurance:
(d) of any property under the Administrator General's Act, 1913, (Act no.45 of 1913) section 25:	One hundred rupees.
(e) of any trust property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary.	Seventy rupees.
Exemptions	
Transfers by endorsement-	
(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;	
(b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods;	
(c) of a policy of insurance;	

Description of instrument	Proper st
(d) of securities of the Central Government or the State Government. See also section 8.	
61. TRANSFER OF LEASE by -way of assignment and not by way of under-lease.	
(a) where the transfer of lease purports to be for a term not exceeding thirty years.	The same duty [No.24 clause (a)] equal to the a consideration for tl
(b) where the transfer of lease purports to be for a term exceeding thirty years or in perpetuity or does not purport to be for any definite term,	The same duty [No.24 clause (a)] equal to the consideration for market value c whichever is great
Exemption	
Transfer of any lease exempt from duty.	
Explanation	
The renewal period, if specifically mentioned in the lease, shall be treated as part of the term of the present lease.	
62. TRUST-	
A.- Declaration of - of, or concerning any property when made by any writing not being a Will-	
(a) where the amount or value does not exceed rupees ten thousand.	The same duty as
(b) where such amount exceeds rupees ten thousand, for every additional rupees one thousand or part thereof.	On ten thousand payable under clau remainder, ten r additional one th part thereof.
B- REVOCATION OF-	
or, concerning any property when made by any instrument other than a WILL.	
The same duty as for a sum equal value of the prope not exceeding the Bond (No.14) thousand.	
<i>See also SETTLEMENT (No 56)</i>	
<i>VALUATION. See APPRAISEMENT (NO. 8). VAKIL. See ENTRY AS A VAKIL (NO. 17)</i>	
63. WARRANT FOR GOODS , that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns or the holder thereof, to the property in any goods lying in or	Ten rupees.

Description of instrument	Proper stamp duty
upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by, or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	
64. Work Contract - executed for the execution of an agreement having a stipulation of security to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability.	Rupees five for every rupees one thousand or part thereof, of the sum equal to the amount or value secured by such deed, subject to a minimum of rupees one hundred and subject to a maximum of rupees ten lakh.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indian Stamp Act, 1899 which is presently in vogue does not cope with the modern developments and advancement in information technology. As such, documents which are not covered under this said Act, go without paying proper stamp duty. With a view to keeping in pace with new technology and development, it has been decided to make a new enactment by the name of The Uttar Pradesh Stamp Act, 2008 to consolidate and amend the law relating to stamp duties in the State of Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh Stamp Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 20 राजपत्र--(हि०)--2010--(47)--597 प्रतियां--(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० विधा०-2010--(48)--850 प्रतियां--(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2016

माघ 15, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 151/79-वि-1-16-1(क)-26-2015

लखनऊ, 4 फरवरी, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 24 जनवरी, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अधिनियम संख्या 2 2-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में
सन् 1899 की धारा यथा संशोधित, की धारा 76-क में, खण्ड (ख) में, अंक "56 (1)" के स्थान पर अंक और शब्द
76-क में संशोधन "56 (1) (1-क)" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो वर्तमान में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी में निहित हैं, का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजस्व परिषद् द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को राजस्व परिषद् में ही अपील दाखिल करने की आवश्यकता के कारण कठिनाई हो रही है, जिससे उसके निस्तारण में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है। माह दिसम्बर, 2014 तक मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष लगभग 2300 स्टाम्प अपील के मामले लम्बित हैं, जिनमें रुपये 1,14,73,50,500 की धनराशि अन्तर्वलित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा अब तक प्रयुक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मण्डल के उपायुक्त स्टाम्प को किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि सरकारी राजस्व हित, आम जनता की सुविधा एवं स्टाम्प अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76-क (ख) में संशोधन किया जाय।

तदनुसार भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 151 (2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-26-2015

Dated Lucknow, February 4, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 24, 2016.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 1 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furtherto amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent
and
commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to Uttar Pradesh, in clause (b) for the figures "56 (1)" the figures and letter "56(1) (1-A)" shall be *substituted*. Amendment of section 76-A to Act no. II of 1899

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, the powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act, which are vested in Chief Controlling Revenue Authority are exercised by Board of Revenue only with reference to the State of Uttar Pradesh. As a result of this, public in general is facing difficulties on account of appeals needed to be filed only in the Board of Revenue which is likely to cause delay in the disposal of the same. Till December, 2014 there are approximately 2300 stamp appeal cases in which an amount of Rs. 1,14,73,50,500 is involved, are pending before Chief Controlling Revenue Authority. The powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act hitherto exercised by Chief Controlling Revenue Authority is proposed to be delegated to Deputy Commissioner, Stamps of the concerned Division. Therefore it is necessary to amend section 76-A (b) of Indian Stamp Act, 1899 in the interest of Government revenue, public in general and quick disposal of stamp appeal cases.

The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.